# Haryana Vidhan Sabha

## Debates

## 19 February, 1970

### Vol. I – No. 5

### OFFICIAL REPORT

# CONTENTS

## THURSDAY, the 19th February, 1979


| | ***Pages*** |
|---|---|
| Starred Questions and Answers | (5)1 |
| Written Answers to Starred Questions laid on the Table under Rules 45 | (5)16 |
| Unstarred Question and Answers | (5)33 |
| Call Attention Notices | (5)46 |
| Statements by- | |
| (i) The Chief Minister | (5)48 |
| (ii) The Health and Development Minister | (5)49 |
| (iii) The Agriculture and Labour Minister | (5)51 |
| Leave of Absence | (5)51 |
| Bill (Leave to introduce)- | |
| The Punjab Pre-emptions (Haryana Repeal)-,1970 | (5)55 |
| Resolution- | |
| Re-grant of certain concessions to the industries in view of the Industrial Backwardness of Haryana | (5)56-93 |

**HARYANA VIDHAN SABHA**

**Thursday, the 19th February, 1970**

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha Vidhan Bhavan, Chandigarh, at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

**STARRED QUESTIONS AND ANSWERS**

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहब, मैं श्रीमती चन्द्रावती के बिहाफ पर सवाल *545 पुट करना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : आपके पास उनकी ओर से कोई अथोरिटी है?

**श्री मंगल सैन** : नहीं जनाब।

**श्री अध्यक्ष** : फिर आपको इजाजत नहीं दी जा सकती।

**सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** (श्री के. एल. पोसवाल) : हमारे से सम्बन्धित कल के सवाल भी पड़े हुए हैं, सर।

**श्री अध्यक्ष** : आपसे सम्बन्धित प्रष्न मंगलवार को ले लेंगे।

**श्री के. एल. पोसवाल** : जैसे आप कहते हैं, सर।

**Schedule of Charges in respect of Electrically-operated Pumping Sets**

*551 Major Amir Singh Chaudhri : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state–

(a) Whether it is a fact that Electricity-operated Pumping Sets (Irrigators) of shallow and deep water strata regions, working under identical conditions in the State are equally charged by the Haryana State Electricity Board for power and service; and

(b) If so, the steps if any, proposed to be taken to retionalise the electricity schedule of rates and charges relating to Agricultural connections, keeping in view the disparity, if any, in Irrigational water output and the income derived from the shallow and deep water strata region?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) Yes.

(b) The question is being considered by the Board.

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : क्या मिनिस्टर महोदय यह बता सकेंगे कि यह जो ट्यूबवैलों के लिए टैरिफ मुकर्रर करते रहे हैं, इस में क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं?

**श्री के.एल. पोसवाल** : सर, सबसे पहले तो हम डिमांड चार्जिज् लेते हैं और फिर एक्विपमैंट चार्जिज् .....(विघ्न)

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : मैंने सवाल यह किया था कि वह कौन से फैक्टर हैं जो आप निगाह में रखते हैं कौमर्षियल कनैक्षन आदि का टैरिफ मुकर्रर करने के लिए और खासतौर पर

मैं यह जानना चाहता हूँ कि ट्यूबवैलों के लिए जो आप टैरिफ मुकर्रर करते हैं, उसमें कौन से फैक्टर आपकी निगाह में होते हैं?

**श्री के. एल. पोसवाल** : स्पीकर साहब, इनका प्रश्न तो यह था कि जहां पर पानी नीचा है वहां पर ट्यूबवैलों को कनैक्षन जो हम देते हैं वह किस हिसाब पर देते हैं और जहां पर पानी ऊंचा है, वहां पर किस हिसाब से देते हैं? हम तो बिजली देते हैं और जितना भी खर्चा होता है, उनके हिसाब से चार्ज करते हैं।

**मलिक सत्तराम दास बतरा** : क्या मनिस्टर साहब यह बताएंगे कि मिनिमम कन्जम्पषन के चार्जिज जिसकी गारन्टी एक साल की है, उसको आप हर महीने में क्यों चार्ज करते हैं?

**श्री के. एल. पोसवाल** : सर, यह सवाल मैं समझ नहीं सका।

**मलिक सत्तराम दास बतरा** : एम.सी.जी. जिसका एग्रीमैंट एक साल का है, वह हर महीने में आप चार्ज क्यों करते हैं?

**श्री के. एल. पोसवाल** : सर, यह सवाल पढ़िये इसमें पूछा है कि जो शैलो ट्यूबवैल हैं, या जो डीप ट्यूबवैलेज हैं, उनको बोर्ड कि हिसाब से बिजली देता है। हमारा तो एक ही हिसाब है कि कुएं पर बिजली दे देते हैं। यह नहीं देखते कि कुआं कितना गहरा है, कितना नहीं।

**मलिक सत्ताराम दास बतरा** : जनाब, यह तो चार्जिज की बात हो रही है..... (विघ्न) यह जो एम.सी.जी. है इसको ये हर महीने में चार्ज करते हैं और उनमें जमींदार का नुकसान होता है। बरसात में चार महीने जब हम ट्यूबवैल चलाते ही नहीं, तो यह मन्थली चार्ज करके जमींदारों को दण्ड क्यों डालते हैं, मैंने तो उसका क्वैश्चन किया है? (विघ्न)

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : पोसवाल साहब ने कहा कि हम बिजली देते हैं, चाहे नीचे से पानी 200 फुट से उठा लो, चाहे 20 फुट से उठा लो। क्या जो नहर का पानी आप देते हैं, वह दरिया के नजदीक करनाल वालों को सस्ता दे देते हैं, और दरिया से दूर महेन्द्रगढ़ वालों को महंगा देते हैं? आने यह भी कहा है कि सरकार के पास कोई नैषनेलाईजड षैडियूल नहीं है और जहां कोई जितनी बिजली खर्च करते हैं उसके हिसाब से हम चार्जिज ले लेते हैं। तो क्या आप कोई अम्बाला वालों को बिजली ज्यादा सस्ती नहीं देते हैं?

**श्री के. एल. पोसवाल** : इसका तो बड़ा सीधा सा उत्तर है, बावजूद इसके हम इस बात को कन्सीडर करते हैं कि कुछ इलाके मसलन महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जहां पानी बहुत नीचा है और जहां आम किसान को उसके लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है, वहां उसी के हिसाब से चार्ज किया जाता है।

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : क्या मिनिस्टर महोदय बता सकेंगे कि यह कन्सिडरेषन कितने दिनों में खत्म हो जाएगी।

**श्री के. एल. पोसवाल** : यह तो बोर्ड ने अभी स्कीम बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो देख लेंगे।

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : मैं इन्डीकेषन चाहता हूं। दो महीने में या चार महीने में?

**श्री के.एल. पोसवाल** : मेरा ख्याल है, विद इन थ्री मन्थ्स।

**महंत गंगा सागर** : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि चार्जिज बिजली के होते हैं। वह पानी की ऊंचाई नीचाई न ही देखते, बिजली के क्नैक्षन दे देते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि हम ने तो लाईन का, मीटर का खर्चा देखकर रेट आदि मुकर्रर किये हुए हैं। क्या मिनिस्टर महोदय यह बता सकेंगे कि इसी तरह से उनकी लाइन के खर्च के हिसाब से ही वे इन्डस्ट्री के रेट मुकर्रर करते हैं या उसी ढंग से मुकर्रर करते हैं जैसे कि एग्रीकलर के?

**श्री के. एल. पोसवाल** : वह तो तकरीबन लाइन का ही हिसाब है और उनके रेट्स रिवाईज होते रहते हैं।

**महंत गंगा सागर** : अगर इस ढंग से उस लाइन के हिसाब से निमिस्टर महोदय एक ही रेट्स मुकर्रर करते हैं तो

बिजली को कुओं को दी जाती है उसके ज्यादा रेट क्यों हैं और जो बिजली इन्डस्ट्रीज को दी जाती है, उसका रेट कम क्यों है? इन्डस्ट्रीज के लिए 6 पैसे और एग्रीकल्चर के लिए 15 पैसे, ऐसा क्यों है?

**श्री के. एल. पोसवाल** : स्पीकर साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि इन्डस्ट्रीज की लाईन एक ही जगह होती है, कम्पैक्ट उनका ग्रुप होता है, इसलिए हमने 3–3 मील की लाइन को जस्टीफाइ भी किया, क्योंकि उस पर ज्यादा खर्चा बैठता है। हमने रेटस सिर्फ एक दफा रिवाईज किए हैं। ट्यूबवैल्ज पर ज्यादा खर्च बैठता है, मसलन जो नुकसान 66 लाख रुपये के करीब हुआ है, वह हमने कनज्यूमर्ज पर डाला है।

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : स्पीकर साहिब, मिनिस्टर महोदय ने फरमाया कि इन्डस्ट्रीज का कम्पैक्ट एरिया होता है और एग्रीकल्चर का स्कैटर्ड होता है, इसलिए रेटस में फर्क होता है। तो मैं क्या मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि फाइनैन्शीयल जस्टिफिकेषन यह किस–किस आधार पर बनाते हैं।

**श्री मंगल सैन** : जवाब दें, बैठे–बैठे सिर मार रहे हैं।

**Mr. Speaker** : I think, there is quite a lot in what Shri Poswal has said. You can, however, put your question. In any case, we are going to discuss this matter later.

**मेजर अमीर सिंह चौधरी** : स्पीकर साहिब मेरा सवाब बड़ा रेलेवैन्ट है और बिल्कुल सीधा है। मैं मिनिस्टर साहब से दर्खास्त करूंगा कि अगर यह इस वक्त प्रिपेयरड नहीं हैं तो फिर कभी जवाब दें। मिनिस्टर साहब ने कहा कि चूंकि इन्डस्ट्रीज का कम्पैक्ट एरिया होता है और एग्रीकल्चर का स्कैटर्ड होता है जिसमें लम्बी लाइनें लगाने में खर्च होता है, इसलिए इस पर ज्यादा रेट लगाया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब बिजली इन्डस्ट्रीज वाला भी कंज्यूम करता है तो रेट्स में फर्क इतना ज्यादा क्यों होता है? इस का जवाब दें। .....(विघ्न) जनाब, इनको पता नहीं है। मुझे इस सबजैक्ट का तार तार पता है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझा हुआ हूँ। यह आन्सर नहीं है जो यह दे रहे हैं।

**श्री के. एल. पोसवाल** : आपने अगर तार–तार समझा हुआ है, तो फिर क्या रह जाता है। जो रह जाता है वह मैं समझा दूंगा बुला के।

**चौधरी अब्दुल रजाक खां** : जनाब यह जो रेट में अन्तर रखा हुआ है कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को 6 पैसे फी यूनिट और एग्रीकल्चरिस्ट्स को बिजली का रेट 15 और 25 पैसे तक भी देना पड़ता है, यह क्यों रखा गया है जबकि किसानों की पैदावार सदा एक नहीं होती और बारिष आदि में होने और न होने पर डिपैंड करती है? मैं वजीर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या यह बिजली

के चार्जिज जो किसानेां से लिए जाते हैं इनका रेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के रेट के बराबर किया जाएगा?

**श्री के. एल. पोसवाल** : इट इज ए गुड सजैषन सर, और इस पर गौर करेंगे।

**चौधरी अब्दुल रजाक खां** : क्लियर कट बतलाएं।

**श्री अध्यक्ष** : इस बारे में एक रेजोल्यूषन भी है उस वक्त बातें साफ हो जाएंगी, मिस्टर अब्दुल रजाक। उस वक्त आनरेबल मैम्बर को पता चल जाएगा।

**महंत गंगा सागर** : क्या वजीर साहब यह बताएंगे कि जहां पर फैला हुआ एरिया नहीं और एक खम्बे से ही बिजली का तार जुड़ जाता है वहां क्या बिजली के रेट सस्ते और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के रेट के बराबर किए जा सकते हैं जैसा कि वजी साहब ने कहा है कि चूंकि इंडस्ट्रीज का कम्पैक्ट एरिया होता है इसलिए बिजली सस्ती दी जाती है।

**श्री के. एल. पोसवाल** : हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्षन वगैरह पर जो रेट्स मुकर्रर किए हैं, उनका बाकायदा एक हिसाब है। अगर आप कम करने के बारे में कोई बात कहना चाहते हैं कि इस तरह से कम किए जा सकते हैं तो बताइए हम गौर करेंगे।

**महंग गंगा सागर** : वजीर साहब ने, अध्यक्ष महोदय यह जो कहा है कि एग्रीकल्चर को सप्लाई करते वक्त बिजली की

लाइनें लम्बी ली जाती हैं इसलिए रेट ज्यादा रखने पड़ते हैं और इंडस्ट्रीज का एरिया चूंकि एक जगह ही होता है इसलिए उनके रेट्स कम हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर लाइनें लम्बी नहीं है और बिजली कनैक्षन जल्दी जुड़ सकता है वहां क्या रेट कम करेंगे?

**श्री के. एल. पोसवाल** : टैरिफ मुकर्रर है, उसी के मुताबिक हम चार्ज कर रहे हैं। जहां तक एक लाइन के इधर उधर का सवाल है उससे क्या फर्क पड़ता है।

**मलिक सत्तराम दास बतरा** : अगर एक किसान अपना मैटीरियल खरीद लें और अपनी कास्ट्स पर खम्बे वगैरह लगवा लें तो क्या उसके रेट्स कम किए जाएंगे?

**श्री के. एल. पोसवाल** : इसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

**श्री रणधीर सिंह** : एग्रीकल्चरिस्ट्स से रेट जो चार्ज किए जाते हैं वह 3 महीने के बाद किए जाते हैं जबकि उनकी फसलें 6 महीने से पहले नहीं आती, तो क्या चार्जिज के भुगतान का पीरियड भी 6 महीने का नहीं किया जा सकता?

**श्री के. एल. पोसवाल** : यह फसल के मुताबिक नहीं हो सकता।

**Mr. Speaker** : I think we are going to discuss this matter and then we will try and clarify this matter.

**श्री रणधीर सिंह** : क्या मिनिस्टर साहब इस बात पर आगे के लिए कंसिडर करें कि 3 महीने के बजाय भुगतान 6 महीने में हो?

**Shri K.L. Poswal** : This is a suggestion, Sir, and we will consider it.

**महंत गंगा सागर** : जनाब स्पीकर साहब, मैं इनके जवाब से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हूं। क्या जहां पर कनैक्षन ऐसे हों जो 500 रूपये की लागत से कम के ऐस्टीमेट्स के हों तो क्या वहां मिनिस्टर साहब रियायत दे सकते हैं?

**श्री के. एल. पोसवाल** : मैं जनाब जवाब दे चुका हूं।

**Mr. Speaker** : It is only a suggestion and is the Hon. Minister prepared to consider it ?

**चौधरी चन्दा सिंह** : स्पीकर साहब, अगर सरकार यह कह दे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनके रेट्स में समता लाने का इरादा रखती है, तो काम चल सकता है क्योंकि सबका मुद्दा यह है कि रेट्स को बराबर लाया जाए।

**श्री के. एल. पोसवाल** : मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हम तो यह भ्ज्ञी कन्सिडर कर रहे हैं कि पहले वाले जो सलैब रेट्स थे उस हिसाब से हों, और इस हद तक भी कन्सिडर कर रहे हैं कि जहां किसान को बहुत नीचे से पानी मिलता है और

बिजली ज्यादा खर्च होती है उसको कुछ कन्सैषन दें। यह सारी बात we are going to consider.

**Mr. Speaker** : Good.

**राव रामजीवन सिंह** : स्पीकर साहब जब तीन मील लम्बी लाईन पर 25 हजार रुपया खर्च होता है और वह छः महीने में या साल में रिकवर हो जाता है तो क्या उस लाइन का रेट फिर उस हिसाब से ही लिया जाएगा जिस हिसाब से इंडस्ट्री वालों से लिया जाता है। अभी तक तो ऐसा होता है कि किसानों से हमेषा के लिए ज्यादा ही लिया जाता है।

**Shri K.L. Poswal** : When the discussion is held we will consider all this.

**Mr. Speaker** : When we hold the discussion, this thing will come. It is a good point.

**Dearness Allowance to Teachers**

***558. Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Minister for Health and Development be pleased to state—

(a) Whether the teachers in Government Schools in Haryana are being paid dearness allowance at the Central Government Rates :

(b) Whether any cut has been imposed on the rates of Dearness Allowance of teachers, If so, the reasons therefore; and

(c) Whether a similar cut has been imposed in the case of other Government employees; if not, the reasons therefor?

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshed Ahmed) : (a) Yes.

(b) Yes, because the Dearness Allowance existing on 1st November, 1966 was merged in the revised pay scales. Corresponding amount was, therefore, deducted from the D.A. admissible to them at the Central rates on the pay fixed in the revised scales, to avoid double payment of D.A.

(c) No, because no portion of D.A. has been merged in the revised pay scales of other employees with effect from 1st February, 1969, the date of general revision of pay scales. A teacher has filed a writ petition in the Punjab and Haryana High Court against the cut imposed in the D.A. admissible to them and the same is pending decision in the High Court. The matter, thus, is sub-judice.

**श्री मंगल सैन** : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार के पास अध्यापकों का कोई ज्ञापन इस कटौती के सम्बन्ध में पहुंचा है?

**चौधरी खुरषीद अहमद** : मैंबर साहब अगर आसान बोली में बोलें तो मेरे पल्ले पड़ेगा।

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहब मुझे इस बात के बारे में बहुत आपत्ति है कि वह किसी और भावना से कह रहे हैं, ज्ञापन कहते हैं मैमोरेंडम को। मैं जानता हूं कि वह ला ग्रेजुएट और एम. ए. भी पास हैं, लेकिन हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई मैमोरेंडम टीचर्ज का आप के पास आया कि कटौती गैरवाजब है?

**Shri Ram Saran Chand Mital** : An aspersion has been cast that he is from Aligarh University. He is from Delhi University.

**चौधरी खुरषीद अहमद** : इनको तो सब अलीगढ़ के ही नजर आते हैं। मैमोरेंडम कई बार दिए गए हैं मगर चूंकि यह केस सबजुडिस है, इसलिए उनके मैमोरेंडम पर मैं कोई ऐक्षन नहीं ले सकता।

**श्री मंगल सैन** : क्या उस मैमोरेंडम में यह बात भी दर्ज है कि टीचर्ज के साथ क्रिमिनलज वाला सलूक करके उनकी मास ट्रांसफर्ज करनी Iरू कर रखी है।

**Chaudhri Khurshed Ahmed** : It does not arise out of the main question.

**Mr. Speaker** : About transfers, you are bringing a new aspect. इसमें ट्रांसफर्ज के बारे में तो सवाल नहीं पूछा गया था।

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहब, रूल्ज के मुताबिक जब एक सवाल आता है और वह कहते हैं कि हां मेरे पास ज्ञापन आया है तो मैंने आगे सप्लीमैंट्री सवाल पूछा है कि क्या उन्होंने अपनी ट्रांसफर्ज के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, तो इसका वह हां या न में जवाब दे सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने कहा कि ज्ञापन आए हैं लेकिन चूंकि रिट पैटिषन चल रही है। इसलिए उस के बारे में वह और कुछ नहीं कह सकते।

**श्री मंगल सैन** : जो बात सबजुडिस है उसको मैं नहीं पूछता, मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या उसमें ट्रांसफर्ज के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है?

**Mr. Speaker** : Let me satisfy the member. In the main question that has been asked, there is no mention about transfers of teachers. Therefore, your supplementary does not follow from the answer.

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहब, एक सवाल पूछा गया और वजीर साहिब ने जवाब दिया कि मेरे पास मैमोरेंडम आया था और उसमें यह बात लिखी थी लेकिन यह मामला सबजुडिस है। मैंने दोबारा फिर पूछा है कि उसमें सिर्फ कटौती के बारे में ही लिखा था या उन की मास ट्रांसफर्ज के बारे में भी कुछ था।

**श्री अध्यक्ष** : उनका यह कहना है कि जो आप का मेन सवाल है उसमें ट्रांसफर्ज के बारे में कुछ नहीं पूछा गया।

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहब, जब उन्होंने एक फैक्ट को एडमिट कर लिया है तो उसी बेसिज पर पूछ रहा हूं कि उस मैमोरेंडम में इसके इलावा ट्रांसफर्ज का भी जिक्र है।

**मुख्य मन्त्री** (श्री बंसी लाल) : फिर तो स्पीकर साहब, उनको यह सवाल पूछना चाहिए था कि क्या मन्त्री महोदय को मैमोरेंडम मिला कि नहीं और गिर मिला है तो उसके कन्टैट्स क्या हैं?

**श्री मंगल सैन** : जो मुख्य मन्त्री साहब कह रहे हैं मैंने वही पूछा था। मैंने पूछा था कि कोई टीचर्ज की तरफ से मैमोरेंडम आया था तो उसका मन्त्री महोदय ने हां में जवाब दिया, तो उस पर फिर अगला सप्लीमैंट्री सवाल मेरा यह है कि उसमें ट्रांसफर्ज के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है?

**चौधरी खुरषीद अहमद** : आगे सवाल आ रहा है उसमें इस प्रष्न का उत्तर दे देंगे।

**चौधरी नारायण सिंह** : क्या वजीर साहब बताएंगे कि अगर टीचर्ज हाई कोर्ट से अपनी रिट वापस ले लें तो वह उनका डी०ए० रेसटोर कर देंगे?

**चौधरी खुरषीद अहमद** : मैं इस मामले पर कोई भी चीज हाऊस में एष्योर करने के लिए तैयार नहीं हूं।

**चौधरी चांद राम** : जब किसी कर्मचारी वर्ग के लिए महंगाई भत्ते का खास सलैब मुकर्रर है, तो क्या उसको कम ज्यादा किया जा सकता है।

**चौधरी खुरषीद अहमद** : एग्जैक्टली इसी ग्राउन्डज पर टीचर्ज ने हाई कोर्ट में रिट की है। इसलिए मैं इस स्टेज पर कोई क्लैरिफिकेषन देने के लिए तैयार नहीं हूं।

**Mr. Speaker** : The Minister should also address the Chair. I have been noticing it that you are not addressing the Chair property.

**चौधरी चांद राम** : मैं पूछ रहा हूं कि असूलन जब किसी कर्मचारी वर्ग के लिए एक सलैब मुकर्रर है और उसके हिसाब से डी०ए० भी मुकर्रर है तो फिर एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ कैसे डिसक्रिमिनेषन की जा सकती है?

**श्री अध्यक्ष** : चौधरी साहब ऐसे जनरल बात नहीं पूछी जा सकती। I think, we should stop further questioning on it. They have said that the matter is sub-judice. There is another question of this nature. So, I think, no useful purpose will be served.

**चौधरी रणबीर सिंह** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आया सरकार कोई ऐसे हालात पैदा करने के लिए तैयार है जिसमें या तो अध्यापकगण रिट वापिस ले लें या वह रिट इनफ्रक्चुअस हो जाये?

**चौधरी खुरषीद अहमद** : इसमें फिर मेरा वही जवाब है कि हाई कोर्ट में केस है इसलिए हम कोई कमिटमैंट नहीं दे सकते।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कमिटमैंट की बात नहीं कही है और न ही कोई ऐसी बात कही है कि जिससे किसी भी पार्टी को मुकदमेबाजी में कोई घाटा या नफा हो सके। मैंने तो मामूली बात जानने की कोषिष की है कि क्या सरकार ऐसे हालात पैदा करने के लिए तैयार है कि जिससे वह रिट इनफ्रकचुअस हो जाये?

**चौधरी बंसी लाल** : गवर्नमैंट रिट विदड्र करने के दबाव में आकर या रिट पैटीषन के दबाव में अरका कोई बात कन्सिडर करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे सरकार हर किसी की हर जायज बात कन्सिडर करने के लिए तैयार है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : क्या मैं मुख्य मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जायज बात वह कौन सी करना चाहते हैं और उनके मुताबिक कौन सी बात जायज हो सकती है।

**श्री बंसी लाल** : यह स्पैसिफिक बात इस वक्त ऐनेलाइज करके नहीं कही जा सकती है। अदालत में जब फैसला हो जायेगा तब सरकार इस पर विचार करेगी।

**श्री मंगल सैन** : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह हर जायज बात मानने के लिए तैयार हैं। क्या वह इस बात को जायज

नहीं मानते हैं कि जो डी.ए. दूसरे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वही अध्यापकों को भी मिले और जो कटौती टीचर्ज पर लगा कर अन्याय किया गया है, तो क्या उस अन्याय को दूर करने की मांग करना जायज है य नहीं?

**श्री बंसी लाल** : यह तो अपनी अपनी ओपिनियन की बात है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रांत में टीचर्ज को एक दो प्रांतों को छोड़कर हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।

**Mr. Speaker** : His question is : Do you consider the deduction or cut imposed, reasonable or not ?

**श्री बंसी लाल** : जो भी कुछ फैसला किया गया है वह सरकार ने रीजिनेबल देखकर ही किया है। आखिर सरकार ने अपने साधन और रिसोर्सिज भी तो देखने हैं।

**श्री दया कृश्ण** : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जिस तरह मुकदमाबाजी में दोनों फरीकेन बैठ कर राजी नामा कर लेते हैं तो क्या इस वक्त सरकार और ओचर एक जगह बैठ कर राजीनामा करने के लिए तैयार हैं?

**श्री बंसी लाल** : स्पीकर साहब मुकदमे की धमकियों में आकर या रिट के विदड्रा करने की कंडीषन्ज लेकर सरकार बात नहीं कर सकती है।

**Mr. Speaker** : think that is an unfair question. You cannot ask the Government to commit about a thing where the other party is nowhere in the picture.

**श्री दया कृश्ण** : मेरे सवाल का मुद्दा यह था कि जिस तरह आम तौर पर किसी मुकदमा के दौरान भी दोनों फरीकेन मुकदमेबाजी के दबाव में न आकर बल्कि झगड़ा निपटाने की नियत से राजनीनाम कर लेते हैं तो क्या सरकार भी उसी तरह से झगड़ा खत्म करने की नीयत से टीचर्ज के साथ बैठ कर राजीनामा करने के लिए तैयार है।

**श्री बंसी लाल** : गवर्नमैंट मुलाजमीन के साथ रिट के दबाव में आकर, बैठ कर राजीनामा करने बैठे, ऐसी बात तो नहीं हो सकती है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय प्रष्न में यह बात पूछी गई है कि जो सरकारी कर्मचारियों का भत्ता है इसमें किसी और कैटेगिरी के कर्मचारियों के भत्ता में भी कट लगाया हुआ है?

**Mr. Speaker** : His question is, whether the cut imposed on this particular category of personnel has been applied to other Government servants also?

**चौधरी रणबीर सिंह** : मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था कि दूसरे कर्मचारियों का सवाल इस सवाल में नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि इस में अध्यापकों की ही बात है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रष्न के "सी पार्ट" को अगर आप पढ़ें तो आप

देखेंगे कि उसमें दूसरे कर्मचारियों के बारे में भी पूछा हुआ है कि आया जो महंगाई भत्ता है वह दूसरे कर्मचारियों के पे–स्केल के हिसाब से एक जैसा ही मिलता है या उसमें कोई फर्क है या कट लगा है?

**श्री बंसी लाल** : पार्ट सी का जवाब दिया जा चुका है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कल ही इस किस्म का एक सवाल आया था जो सिपाहियों और हवलदारों के बारे में था। उसका जवाब अगर आप पढ़ें और उस जवाब को अगर इस सवाल के जवाब से मिला कर देखें तो आपको पता लगेगा कि सरकार की तरफ से एक ही किस्म के सवालों के दो किस्म के जवाब आये हैं। कल कुछ कहा और आज कुछ कहा। कल के जवाब में बताया गया कि उनकी तनखाह 1966 में बढ़ा दी थी, इसलिए उनको डी.ए. और मुलाजमों की तरह नहीं दिया और अब कहा कि सबका बढ़ा है। फैक्ट को फैक्ट के ढंग से कबूल करना चाहिए। इन दोनों जवाबों में कुछ अन्तर है।

**श्री बंसी लाल** : कोई दो किस्म के जवाब नहीं हैं। जिस महकमा का जिस ढंग का जवाब था वह यहां सदन में बता दिया गया है। अगर मैंबर साहब को इसके बावजूद डिसक्रिपैंसी लगती है तो जब बजट पर डिस्कषन होगी तो उस वक्त यह बात

डिकस हो सकती है और सरकार की तरफ से जवाब दिया जा सकता है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : ऐसे प्रष्नों के बारे में जहां कोई सदस्य बताये कि सरकार की तरफ से दो प्रकार के उत्तर आए हैं जो एक–दूसरे से मेल नहीं खाते हैं तो यह प्रथा है कि स्पीकर साहब आमतौर पर यह बात देखते हैं कि आया जवाबों में कोई अन्तर है या नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब नहीं तो बाद में आप दोनों सवालों के जवाब देख लें और देखकर अगर आप समझें कि फर्क नहीं है तो ठीक है।

**Mr. Speaker** : I shall give you my decision tomorrow.

**चौधरी चांद राम** : पार्ट सी के जवाब में नो जवाब दिया गया है। इस का मतलब है कि दूसरे कर्मचारी हैं उनकी कटौती नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर दूसरों की नहीं की गई तो फिर टीचर्ज की क्यों की गई है और इस डिसक्रिमिनेषन का क्या कारण है?

**श्री बंसी लाल** : इस का जवाब पहले दिया जा चुका है।

**चौधरी चांद राम** : जब एक पर्टीकुलर सलैब के हिसाब से भत्ता दिया जाता है तो टीचर्ज के साथ ऐसा क्यों किया गया है मैं यह जानना चाहता हूं?

**Mr. Speaker** : In their reply they have said—

"No, Because no portion of Dearness Allowance has been merged in the revised pay scale of other employees with effect from 1st February, 1969, the date of general revision of pay scales."

**चौधरी चांद राम** : इसका मतलब यह हुआ कि इसी प्रकार के कर्मचारी और भी होंगे जिनको दो–दो बार भत्ता मिला होगा या उनका भत्ता मर्ज कर दिया गया होगा और कटौती हुई होगी?

**श्री बंसी लाल** : इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सवाल का पार्ट (सी) एडमिट नहीं होना चाहिए क्योंकि हर डिपार्टमैंट का जवाब ऐजूकेषन मिनिस्टर नहीं दे सकता। यह फाईनैन्स डिपार्टमैंट में ऐग्जामिन होना चाहिए।

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहब, मै। आपकी रूलिंग चाहता हूं कि एक आनरेबल मेम्बर ने इस हाउस में यह कहा कि पार्ट (सी) ऐडमिट नहीं होना चाहिए। जो क्वैष्चन टेबल किया गया, आपने उसको ऐडमिट किया और मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, उस सवाल के बारे में जब हमारे मुख्य मन्त्री साहिब फरमा रहे हैं कि इस सवाल के पोर्षन को ऐडमिट नहीं करना चाहिए। स्पीकर साहब, यह हाइली औब्जैक्षनेबल है। What the Hon. Chief Minister has said, is an encroachment on the rights of the Speaker. We cannot tolerate this type of attitude from the Chief Minister.

**Mr. Speaker** : I do not think, the Leader of the House has said anything of that nature.

**श्री मंगल सैन** : इन्होंने यह कहा कि ऐडमिट नहीं होना चाहिए था।

**Mr. Speaker** : I think, the idea was, if I understood it correctly that this case has notbeen examined by the Finance Department.

**Shri Bansi Lal** : No, Sir. This is not the case. There should have been a separate question for the Finance Department and not mixed up with the Education Department. दूसरे डिपार्टमेंट्स की कटौती फाइनैन्स डिपार्टमैंट ही बता सकता है, ऐजुकेषन डिपार्टमैंट की कटौती नहीं बता सकता।

**Mr. Speaker** : I think, this is a question which relates to two matters. Firstly, the teachers are under the Minister for Education and Secondly abou their pay, they are dealt with by the Finance Department. So, such matters should be dealt with by both the Ministers. I think, in this case, it was the duty of the Education Minister to consult the Finance Minister before giving the answer to the question. Mind you, I have no objection whatsoever if such questions are separated. The main thing is that the hon. Members should be able to get replies to their questions, whether they are given by two Ministers or one Minister.

**Shri Bansi Lal** : The point is that two separate questions should not have been mixed up in one Department.

**Mr. Speaker** : The main idea is that replies to the question be given in the same manner in which they are put. Normally, in such cases, as I have already observed, the Finance Department should have been consulted. I think, the Finance Minister wants to say something. Let us know hear her.

**वित्त मंत्री** (श्रीमती ओम प्रभा) : पोजीषन क्या है, मैं ऐक्सप्लेन करती हूं। टीचर्ज की तन्खाह 1 नवम्बर, 1966 को रिवाईज की गई थी। यह रिवीजन कोठारी कमीषन की सिफारिषात के अनुसार की गई। कमीषन की सिफारिषात यह थी कि जो 60—175 का ग्रेड था उसको रिवाई करके 125—250 कर दिया जाए। कोठारी कमीषन ने लिखा कि इस ग्रेड के मुताबिक डीयरनैस अलाउंस और डीयरनैस—पे को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। उस समय 1 नवम्बर, 1966 को टीचर्ज को 18.50 रुपये डीयरनैस अलाउंस दिया जाता था। जब ग्रेड रिवाईज हुआ तो 18.50 रुपए बेसिक—पे में मर्ज कर दिए गए। दूसरे इम्पलाइज की तन्खाहें 1 दिसम्बर, 1969, से रिवाइज की गई। कोठारी कमीषन के मुताबिक हमने 18.50 रुपए बेसिक—पे में मर्ज कर दिए। इस हिसाब से टीचर्ज की डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए हम टाइम टू टाइम पैसे देते रहे हैं। 1966 में इनको केवल 18.50 रुपए दिए गए और कई केसिज में 68 रुपए दिए गए। जो कट लगाई गई है वह कोठारी कमीषन की सिफारिषात के अनुसार ही है।

**श्री मंगल सैन** : स्पीकर साहिब, आनरेबल मेम्बर साहब कह रहे थे कि इस सवाल के दो सवाल बना दिए जाएं। हमने तो इनोसेंटली यह पूछा था कि कितनी कैटेगरीज की कटौती की है, क्या ऐजूकेषन के इलावा किसी और डिपार्टमैंट में इम्पलाईज की भी कटौती की है?

**श्री बंसी लाल** : टीचर्ज के मामने को और कैटेगरीज के साथ कम्पेयर न किया जाए। इस किस्म का सवाल फाइनैंस डिपार्टमैंट को जाना चाहिए, फाइनैंस डिपार्टमैंट से एग्जामिन होने के बाद किसी भी डिपार्टमैंट से पूछ लेते .....

**Mr. Speaker** : The point is that supposing there is a question by an honorable member and we have sent it to the Finance Minister. But, the Finance Minister thinks it is a question which relates to Irrigation and Power Minister. In that case, the question should be passed on to the Minister concerned. I know that there have been 4/5 such cases where two Department were mixed up. In that case, I had to split up the two questions and send them to the two Ministers concerned. Here, we have to ensure that the hon. Ministers get proper replies to their questions and also see to the convernience of the Government in giving proper answers. So, there should not be any difficulty on that account.

**चौधरी चांद राम** : स्पीकर साहब, जब कोई वर्ग विषेश यह मांग करता है कि हमारे साथ भेद भाव हुआ है तो वह मामला सबसे पहले अपने पेरैंट डिपार्टमैंट यानी फाइनैंस डिपार्टमैंट में

जाता है। फाइनैन्स डिपार्टमैंट एग्जामिन करके अल्टीमेटली ओब्जैक्षन लगता है कि चूंकि पहले ही महंगाई भत्ता ले लिया है, इसलिए डबल नहीं ले सकते। टीचर्ज ने अपने मैमोरेंडम में दिया हुआ है कि हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया है। जबकि दूसरे कर्मचारियों को मिल गया है। इसलिए फाइनैंस डिपार्टमैंट से एग्जामिन होने के बाद ऐजुकेषन डिपार्टमैंट के पास आता है। फाइनैन्स डिपार्टमैंट लिखता है कि आया कोई दूसरा कर्मचारी वर्ग है, या नहीं है, जैसी भी स्थिति हो उसके मुताबिक ऐजुकेषन डिपार्टमैन्ट ही भरता है और मिनिस्टर कंसर्न्ड जवाब देता है। मेरा ख्याल है कि वह सवाल फाइनैन्स डिपार्टमैंट के पास जरूर गया होगा।

**Mr. Speaker** : I entirely agree with what the hon. Member has said. The position stated by him is correct. But, you will agree that such matters are more clearly and better understood by the Finance Department than any other Department. So, there is no harm in getting their help.

**श्रीमती ओम प्रभा जैन** : मैंने पोजीषन ऐक्सप्लेन कर दी है कि जब ग्रेड रिवाइज किया गया था उस समय कट नहीं थी..... .।

**Mr. Speaker** : But, I only wish that you should have done it a little earlier.

**Shri Bansi Lal** : The Vidhan Sabha Secretariat should have split up the question.

**चौधरी चांद राम** : इस को सैप्रेट करने की बात नहीं है जब किसी डिपार्टमैंट में किसी वर्ग की कटौती होती है.....

**Mr. Speaker** : Whenever the question of pay of teachers is discussed and decided upon, it is first taken up by the Minister concerned with the Finance Minister. Eventually, they both agree. So, actually the basis for a certain pay structure has to be agreed upon both by the Finance Minister and the Minister concerned. On the other hand we want a cohesive Government and when a Minister wishes to discuss or consult his colleague, he will of course do that. I also agree that if we can facilitate the Government or the various Ministers by sending separate question, we should do it.

**चौधरी चांद राम** : इससे तो फाइनैन्स मिनिस्टर का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। इसका जवाब 'नो' में दिया है। महकमे से पूछना था कि 'नो' में किस बुनियाद पर देते हो? There must be some knowledge or certain information with the Education Department and the Education Minister before replying should have contacted or consulted the Finance Minister and should have elicited the exact information.

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, कल आपने बिल्कुल सही कहा था कि प्रष्नोत्तर में ज्यादा समय लगता है। अध्यक्ष महोदय, अपने इस प्रष्न के जवाब में देखा होगा कि एक मंत्री महोदय ने कहा दिया कि मामला सब्जुडिस है और दूसरे मंत्री महोदय ने इतनी लम्बी चौड़ी बहस के बाद जब जाकर जवाब दिया। (विघ्न) अगर वित्त मंत्री महोदय इस तरह का जवाब पहले

ही दे देती या इस तरह का जवाब पहले ही दे दिया जाता तो मैं समझता हूं कि काफी समय बच सकता था। यह तो सबजुडिस के नाम से बात को बंद करना चाहते थे मगर हम वित्त मंत्री महोदया के धन्यवादी हैं कि उन्होंने आखिरकार सदन को वह जानकारी दी जिसे सदन चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सबजुडिस कह करके जो संरक्षण में लेना चाहते थे क्या वह ठीक था?

**श्री अध्यक्ष** : वह तो मैंने बहिन जी से पहले की कहा था कि पहले ही क्यों नहीं इस तरह का जवाब दे दिया गिा। मगर उन्होंने जो कुछ कहा है इसमें कोई कंट्राडिक्षन नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बैक–ग्राउंड दी है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : सदन भी इसी बैक–ग्राउंड को जानना चाहता था जिसको कि ये सबजुडिस के नाम से नहीं बताना चाहते थे।

**Tubewell Connection**

***609. Shri Daya Krishan** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state–

(a) ..... member of application, if any, pending for tubewell connectction as on 1st January, 1970'

(b) ..... of tubewells energised or likely to be energised from January, 1970 to 31st March, 1970 :

(c) …… targets fixed forentergising tubewells from 1st April, 1970 to 31st March, 1970, and the extent of achievement ……. other with the details of the target fixed for the next …… year ;

(d) Haryana State Electricity Board has sufficient funds ……. materials to achieve the target fixed for the next year ;

(e) other it is in the notice of the Government that due to frequent breakdown of electricity some of the irrigation feel quent breakdown of electricity some of the irrigators feel handicapped and are forced to take to diesel engine; and

(f) If so, the steps, if any, the Government propose to take to ensure constant supply of electricity to the tubewells?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) 16675.

| | |
|---|---|
| (b) 6402 | |
| (c) Target for 1969-70 | 22000 |
| Achievement upto 31st, December, 1969 | 15598 |
| Target for 1970-71 | 20000 |

(d) No.

(e) No such case has come to the notice of the Board.

(f) Constant supply of electricity has already been maintained for the tubewells. The transmission and distribution system is further being strengthened to ensure better service.

**श्री दया कृश्ण** स्पीकर साहब, मेरे सवाल का पार्ट 'डी' यह था कि क्या हरियाणा इलैट्रिसिटी बोर्ड के पास अगले साल का टारगैट पूरा करने के लिए काफी रकम है। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया 'नहीं'। पार्ट 'सी' के जवाब में इन्होंने टारगैट 20 हजार का बताया है। तो मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि कितनी रकम की कमी है? और अगर कमी है तो यह टारगैट क्यों फिक्स किया गयाहै? और अगर इस टारगैट को पूरा करने का इरादा है तो इस कमी को किस तरह से पूरा करेंगे?

**श्री के. एल. पोसवाल** : इसमें कोई षक नहीं कि बोर्ड के पास इस वक्त पैसा नहीं है लेकिन स्पीकर साहब, ओपन मार्किट और कारपोरेषन्स आदि से लोन लेकर किसी न किसी तरह पैसे का इन्तजाम करेंगे और इस टारगैट को पूरा करेंगे।

**श्री दया कृश्ण** : कितनी रकम की जरूरत है?

**श्री के. एल. पोसवाल** : यह तो इस वक्त मैं नहीं बता सकूंगा लेकिन हम मैनेज कर लेंगे।

**श्री दया कृश्ण** : वजीर साहब ने अगले साल का टारगैट 20 हजार का बतलाया, पैंडिंग्स एप्लीकेषन्ज 16675 बतलाई। एक साल में सिर्फ साढ़े तीन हजार न्यू एप्लीकेषन्ज

आएंगी और उनको ट्यूबवैल का कनैक्शन दे सकेंगे। ऐसी इम्पार्टैंट चीज के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हमारा टारगैट होना चाहिए था। क्या इस टारगैट को वजीर साहब बढ़ाने की कृपा करेंगे और इस डिपार्टमैंट को, जो कि इतना काम कर रहा है, और पैसा दे कर तेजी से चलाएंगे?

**श्री के. एल. पोसवाल** : कोषिष करेंगे कि और भी ज्यादा से ज्यादा काम हो। पिछली दफा भी हमने कोषिष की थी और अब भी कर रहे हैं। पिछली दफा 20 हजार का टारगैट था मगर इस दफा 22 हजार का है। इसी तरह पिछली रकम 800 गांवों का टारगैट था लेकिन अब की बार 16 सौ गांवों का है।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या फी कनैक्शन के खर्च में एल.डी. लाइन की लम्बाई का कोई असर पड़ता है कि नहीं?

**श्री के. एल. पोसवाल** : स्पीकर साहब, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। मलाहिदा नोटिस दे दें मैं पता कर लूंगा।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रष्न का मुख्य सवाल से बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि दरखास्तें ज्यादा और पैसा कम होने की वजह से सबकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि अगर एल.टी. लाइन लम्बी हो तो खर्च ज्यादा आता है और अगर छोटी हो तो

खर्च कम होता है। अगर सरकार छोटी लाइनों वाले काम को प्राथमिकता दे तो खर्च कम होने की वजह से ज्यादा कनैक्षन्ज दे सकती है। लेकिन मैं इस बात की इनसे पुश्टि करवाना चाहता था कि आया कि कनैक्षन पर तार की लम्बाई का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है?

**मुख्य मन्त्री** (श्री बंसी लाल) : तार की लम्बाई का असर पड़ता है। जितनी लम्बी लाइन ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा खर्च होगा। पैसे का फिलहाल हमारे पास प्रबन्ध नहीं है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए ओपन मार्किट, कारपोरेषन्ज और बैंकों आदि से लोन लेकर काम किया जाता है। टारगैट तो पीछे भी वक्तन–फक्तन रिवाइज करते रहे हैं और इस साल भी कोषिष करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कनैक्षन मुहैया किए जाएं। फी ट्यूबवैल पर क्या खर्च आता है, ये आंकड़े इस वक्त नहीं हैं। अगर आनरेबल मेम्बर कहेंगे तो आंकड़े भी दे देंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह** : स्पीकर साहब, बड़ी खुषी की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने माना कि असर पड़ता है। मंत्री महोदय ने तो कह दिया था कि मालूम नहीं।

**श्री के. एल. पोसवाल** : मैंने यह तो नहीं कहा था, मैंने तो यह कहा था कि इस से सवाल पैदा नहीं होता।

**चौधरी रणबीर सिंह** : यह तो आप नहीं कह सकते, स्पीकर साहब कह सकते हैं कि आया पैदा होता है या नहीं होता है।

**श्री के. एल. पोसवाल** : मैं सजैस्ट तो कर सकता हूं।

**चौधरी रणबीर सिंह** : सजैस्ट भी नहीं कर सकते, सबमिषन कर सकते हैं।

**श्री के. एल. पोसवाल** : अच्छी बात।

**चौधरी रणबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इन षब्दों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये बातें तो आपको करनी थी मगर मेरे दोस्त ने मेरे से ही कहलवा दी। (हंसी)

**श्री के. एल. पोसवाल** : हम दोनों ही माफी मांगते हैं।

**Mr. Speaker** : I am glad.

**चौधरी रणबीर सिंह** : मेरे नाम की तो, स्पीकर साहब, यह माफी भी नहीं मांग सकते, मैं ही मांग सकता हूं (हंसी)।

खैर, स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कबूल किया है कि लो–टैन्षन की लाईन अगर लम्बी होगी तो खर्च ज्यादा आएगा और अगर कम होगी तो कम आएगा। क्या इस बात को तथा पैसे की कमी को देखते हुए ऐसी लाइनों को जिनकी लम्बाई कम हो प्राथमिकता दी जाएगी?

**श्री बंसी लाल** : स्पीकर साहब, इस बात पर गौर किया जा सकता है।

**महंत गंगा सागर** : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि हमारे पास पैसा तो है नहीं मगर टारगैट को पूरा करने की कोषिष करेंगे। मैं काफी देर से सोच रहा था कि पैसा तो है नहीं टारगैस कैसे पूरा करेंगे क्योंकि लोन लेने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि टैरीफ बढ़ा कर टारगैट पूरा करने का इरादा तो नहीं है।

**श्री बंसी लाल** : हर साल स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बैंक और कारपोरेषन्ज आदि से लोन लेकर काम करता है और इसके लिए नैगोसिएषन्ज करनी पड़ती है। कोई हां करता है, कोई नहीं करता है। दिक्कतें तो हमें हैं मगर अन–नैसेसरली टैरीफ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAND ON THE**

**TABLE UNDER RULE 45**

**Grievance/Demands of Teachers**

***633. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Health and Development be pleased to state–

(a) Whether the teachers of the State have put any grievances or made any demands since April, 1969; If so, the details thereof; and

(b) Whether the Government is taking any steps to remove the difficulties of the teachers referred to in part (a) above if so, the details thereof ?

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshed Ahmed) : (a) and (b) Yes. A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

**Statement regarding the grievances/demand of teachers**

| (a) ***Demands of Government school Teachers*** | ***Demands of Privately Managed School Teachers*** |
|---|---|
| (i) Restoration of cut imposed in Dearn Allowance. | (i) Security of service through legislation. |
| (ii) Exemptions from the payment of professional tax. | (ii) Payment of salary through Government treasury. |
| (iii) Scrapping of policy of posting of teachers formulated in 1968 | (iii) Introduction of triple benefit scheme. |
| (iv) Payment of Dearness Allowance in pay. | (iv) To make applicable the leave rules as in the case of Government teachers. |
| (v) Merger of Dearness Allowance in ba pay. | (v) Payment of selection grades to teachers. |
| (vi) Grant of Uniform rate of increment all teachers. | (vi) To give representation to private school teachers in the School Education Board. |

| | |
|---|---|
| (vii) Creation of Whitley Councils. | (vii) To treat untrained teachers who have five years experience as trained. |
| (viii) Grant of House rent Allowance, Education Allowance and Medical allow to all teachers. | (viii) To make provision for medical aid facilities. |
| | (ix) To treat language teachers at par with trained graduates. |

(b) The demands are being examined and appropriate action will be taken in due course.

**Pending application for Allotment of Surplus land**

***656. Shri Randhir Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of applications of the ejected tenants lying pending for the allotment of surplus land in the State, district-wise, together with the total area of surplus land in ths State at present ?

**वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन)** : (i) 626 प्राथर्ना पत्र

(ii) 34347 सटैन्डर्ड एकड़

सूची सदन की मेज पर रखी जाती है।

जिलेवार सरपलस भूमि की अलाटमेंट के लिए लम्बित प्रार्थना–पत्र

| क्रम संख्या | जिले का नाम | फालतू भूमि के लिए लम्बित प्रार्थना–पत्रों की संख्या | फालतू भूमि जो इस समय उपलब्ध है (स्टैन्डर्ड एकड़) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | करनाल | | 14377 |
| 2 | जीन्द | | 1687 |
| 3 | महेन्द्रगढ़ | 378 | |
| 4 | गुड़गांव | 38 | 786 |
| 5 | हिसार | 26 | 15525 |
| 6 | अम्बाला | | 243 |
| 7 | रोहतक | 183 | 1729 |
| | जोड़ | 626 | 34347 |

**Constables recruited in the Regular Police H.A.P.**

***686 Chaudhri Chand Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the number of Police constables recruited in the Haryana Regular Police and Haryana Armed Police, separately, during 1966-67, 1967-68, 1968-69 and 1969-1970 in each district;

(b) the number of Persons belonging to scheduled castes and backward classes out of (a) above, district-wise;

(c) the percentage, qualification and age prescribed for recruitment to the posts of Police Constables for members of scheduled castes and backward classes and whether that is being observed by the Police Department;

(d) Whether the reservation in promotions for the persons belonging to Scheduled Castes applies to Police Department and Whether that is being observed, if so, the details thereof, together with the details of promotions made in each category, district-wise, at the Divisional and State Headquarters ?

**Chief Minister (Shri Bansi Lal)** : (a) and (b) statement is laid on the table of the House.

(c) Regarding para (c) the information is as under —

| | |
|---|---|
| (i) Percentage | 20 percent for Scheduled Castes and 2 percent for Backward Classes |

| | |
|---|---|
| (ii) Height and chest measurement | 5'—6" instead of 5'–7" and 32"–33½" instead of 33"—34½" |
| (iii) Age | 30 years |
| (iv) Qualifications | In the case of Scheduled Castes/Backward Classes, being considered for recruitment as Constable, literacy on their part is not insisted upon |

The qualifications are being observed by the Police Department.

(d) Yes, Statement regarding promotion in the ranks of Head Constable, Asistant Sub-Inspector and Sub-Inspector of Police, is laid on the table of the House.

During this period there was no Scheduled Caste/Tribe Officer of the rank of Sub-Inspector on Promotion list and no officer of the rank of Inspector, D.S.P., who could be considered for promotion to the rank of Inspector, D.S.P. and S.P., respectively. There is, however, no reservation for promotion in Class I and II posts.

The vacancies above the rank of Constable, which occurred in the Haryana Armed Police, were filled in by

absorbing the staff rendered surplus as a result of the embodiment of the HAPBattalions in C.R.P., SSB and B.S.F. A few vacancies were, however, filled in by promoting personnel strictly in accordance with their seniority and merits.

**Statement regarding number of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes Recruited during the years mentioned below :**

| **Districts** | **No. of regular Police and HAP Constables recruited during the years** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 |
| Hisar | 1 | 63 | 10 | |
| Rohtak | 25 | 11 | 3 | 5 |
| Gurgaon | 21 | 20 | 21 | 1 |
| Karnal | 14 | 11 | 2 | 1 |
| Ambala | 56 | 39 | 12 | 3 |
| Narnaul | 4 | 5 | 3 | |
| Jind | | 2 | | |
| O.R.P. | | 7 | 4 | |
| Wireless Section | 2 | 3 | 2 | |
| H.A.P. | | 155 | 44 | 515 |

Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45

| **No. of Scheduled Castes/Tribes recruited** | | | | **No. of Backward Classes recruited** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1966--67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 |
| Hisar | 1 | 17 | 9 | | | 7 | 1 | |
| Rohtak | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Gurgaon | | 1 | 3 | | | | | |
| Kernal | 2 | | | | 7 | 1 | | 1 |
| Narnaul | 1 | | | | | | 1 | |
| Jind | | | | | | | | |
| G.R.P. | | 1 | 2 | | | | | |
| Wireless Section | 1 | 2 | | | 1 | | | |
| H.A.P. | | 14 | 7 | 55 | | 6 | 4 | 35 |

**Statement showing number of vacancies in the ranks of Head Constables, ASI and SI, occured and filled in by**

**Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, during the years 1966-67, 1967-68, 1968-69 and 1969-70 districtwise**

| District | No. of Vacancies | | Filled by Scheduled Castes Tribes and Backward Classes Candidates | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | H.C. | ASI | SI | H.C. | ASI | SI |
| Hisar | 23 | 5 | | 4 | | |
| Rohtak | 51 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| Gurgaon | 1 | 1 | 3 | 1 | | |
| Kernal | 6 | 6 | 6 | 1 | | 1 |
| Ambala | 49 | 6 | 6 | 1 | | |
| Narnaul | | 3 | 3 | | | |
| Jind | 6 | 1 | 1 | | | |
| G.R.P. | 40 | 17 | 12 | | | |

**Construction of Roorkee-Polangi-jasrana Approach Roads**

***665. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to State–

(a) The date on which the beneficiaries share, if any, was deposited in respect of approach roads of Roorkee Polangi-Jasrana of tehsil and district Rohtak;

(b) the estamited sanctioned cost of the roads;

(c) the date on which the administrative sanction for the construction of the said roads was issued;

(d) the date on which the work was started and the period within which it is likelyto be completed; and

(e) the reasons for the delay, if any, in the completion of the work?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) :

(a) (i) Roorkee-Polangi Road.— Rs. 3000 despsited in cash in Octoer, 1966 and Rs. 9000 deposited in cash in January, 1970.

(ii) Polangi-Jasrana Road.— Rs. 6000 deposited in cash in October, 1966, Rs. 5000 deposited in cash in May, 1967.

(b) (i) Roorkee-Polangi Road— Administratively approved cost to 1966 Rs. 91500.

(ii) Polangi-Jasrana Road—Administratively approved cost in 1966 Rs. 89060

(c) 23rd November, 1966.

(d) The work of Roorkee-Polangi approach road was started in March, 1967 and of Polangi-Jasrana road in February, 1967. These reads will be completed in a year's time provided beneficiaries contribute their share in full.

(e) The beneficiaries have non deposited their share in full for both the roads so far. Dispute of alignment of Polangi-Jasrana road has also to be settled.

**Establishment of a University in the State**

***671. Shri Shyam Chand :** Will the Minister for Health and Development be pleased to State—

(a) Whether there is any proposal under the consideration of the Government to establish a separate University in the State and if so, the location thereof together with the period within which it is likely to be established; and

(b) Whether there is any proposal to raise the status of the Kurukshetra University from the residential to the affiliating University.

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshed Ahmed) :

(a) No.

(b) No such proposal is under the consideration of the State Government for the present.

**Starred Question No. 698**

Extension having beed asked for in respect ofstarred question No. 98. ot was. Tjerefpre. [pst[pmed/

**Unemployed Educated persons in the State**

***564. Smt. Chandravati** : Will the Minister for Labour and Employment be pleased to State–

(a) Whether there are any educated persons unemployed in the state;

(b) if so, their numbers, District-wise; and

(c) the steps, if any, the Government proposes to take to provide employment to all sch persos?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : (a) Yes

| (b) District | Total (as on 31-12-1969 |
|---|---|
| Rohtak | 6100 |
| Ambala | 5062 |
| Gurgaon | 7697 |
| Hisasr | 4500 |
| Jind | 1651 |
| Karnal | 4630 |
| Mahendragarh | 1852 |

(c) Employment is a concurrent subject and it is the Government of India which are primarily responsible for formulation schemes for removing unemployment. The major employers in the Public Sector are also Central Government establishments such as the Defence Services, the Railways, the Post

and Telegraph etc. The State Government are already in communication with the Government of India for setting up some units in the Public Sector in Haryana. The State Government are also taking steps to develop industries in the State. In the State Public Sector, the various industrial, canal digging, road building and other development schemes of Government are likely to provide gainful employment and create opportunities.

**Replacement of the Service Rental Lins System By Service Charges**

***552. Major Amir Singh Chaudhri** : Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) whether it is fact that the Haryana State Electricity Board, has since replaced the "Service Rental Line System" by "Service Charges"; if so, the date thereof togetherwith detailed reasons necessitating such charges;

(b) the amount of initial Levy of "Service Charges" and particulars of subsequent enhancements, if any, made together with the criterion adopted in determining the initial rates and subsequent enhancement;

(c) whether it is also a fact that the said levy was imposed on connections retrospectively in cases of old connections also?

**Irrigation and Power Minister** (Shri K.L. Poswal) : (a), (b), (c) A statement is laid on the Table of the House

**Statement**

(a) No.

(b) The demand charges in lieu of service rental was fixed in the composite Punjab State Electricity Board at Re. I per BHP per month with effect from 1st April, 1966. The Haryana State Electricity Board enhanced it to Rs. 1.50 per BHP per month with effect from 1st August, 1969.

The Average return from service rental in the case of Agricultural Power consumers was worked out before 1st April, 1966. in the composite Punjab State Electricity Board. The service rentals for other categories of consumers were increased cost of material and labour and on the analogy of increased service rentals for other categories, the demand charge were increased by 50 per cent for Agricultural Power consumers.

Receipt of Revenue from district Ambala

*559. Dr. Malik Chand Gambhir : Will the Minister forFinance be pleased to state the total amound of revenue received from district Ambala as a whole and from Jagadhri-Yamuna Nagar, separately during 1968-69?

**वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन)** : जिला अम्बाला में वर्ष 1968–69 में राजस्व (भू–राजस्व आबियाना तथा उन्नति प्रभार) की कुल वसूली 3425189 रुपए हुई। इस में से जगाधरी तहसील की वसूली 1396092 रुपए हुई।

**Villages electrified in the State**

***610. Shri Daya Krishan** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of villages electrified district-wise from 1st April, 1969 to 31st December, 1969;

(b) the number of villages electrified district-wise from 1st April, January, 1970 to 31st March, 1970, and from 1st April, 1970 to 31st March, 1971, district-wise, separately

(c) Whether the villages in Jind District have been proportionately electrified as compared to other districts; if not, the reasons therefore; and

(d) whether the deficiency, if any, in Jind District will be made up in the next financial year?

**Irrigation and Power Minister** (Shri K.L. Poswal) : (a), (b), (c), (d) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement regarding villages electrified in the State**

.....

.....

| (b) District | 1.1.70 to 31.3.70 | 1.4.70 to 31.3.71 |
|---|---|---|
| 1. Hisar | 20 | District-wise list not yet finalised |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Rohtak | | (96 villages have already been electrified in excess of targets) | |
| 3. Gurgaon | | 136 | |
| 4. Karnal | | 99 | |
| 5. Ambala | | 78 | |
| 6. Jind | | 22 | |
| 7. Mahendragarh | | 80 | |
| | Total | 435 | 1000 |

(c) Yes

(d) Not applicable

**Taking out of the posts of S.D.Os. from the purview of the Public Service Commision, Haryana**

***635. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government have taken out any posts of S.D.Os (Irrigation, Power or Buildings and Roads) from the purview of the Public Service Commission since 1st April, 1969; if so, the number thereof togetherwith the reasons thereof ?

**मुख्य मन्त्री** (श्री बंसी लाल) : नहीं।

***657. Shri Randhir Singh** : Will the Minister for Irrigation and Powewr be pleased to state the total number of villages electrified in the State during the years 1968 and 1969 together with the number of remaining villages?

**Irrigation and Power Minister** (Shri K.L. Poswal : During 1968, 191 villages were electricified. During 1969, 983 villages were electrified. The numberof villages in the State which remained to be electrified was 4244 on 1st January, 1970.

## Instruction regarding reservation of Posts for Members of Scheduled Castes, etc.

***687. Chaudhri Chand Ram** : Will the Chief Minister be pleased to—

(a) lay on the Table of the House a copy of the instructions regarding reservation in recruitment and promotions for the members of Scheduled Castes and Backward Classes, if any, issued in a consolidated form on May 31, 1966; and

(b) the modified instructions regarding initial recruitment and promotions, if any, issued and applicable in the State of Haryana be also laid on the Table of House?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : (a) No Such instructions were issued in a consolidated form on 31st May, 1966

(b) Copies of the modified instructions regarding initial recruitment and promotions issued and

applicable in the State of Haryana are laid on the Table of the House.

*Copy of letter No. 2480-SW&BC-67/22979,dated the 10th August, 1967, from the Secretary to Government, Haryana Social Welfare and Backward Clases Department to all Heads of Departments, Financial Commissioner, Revenue, Haryana and all Administrative Secretaries to Government, Haryana etc., etc.*

Subject—Reservation for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in promotion cases.

I am directed to refer to the erstwhile Punjab Government Scheduled Castes and Backward Classes Department Circular letter No. 6872-4WGI-66/29992, dated the 23rd August, 1966, on the subject noted above, and to say that the decision contained in sub-para (2) of paragraph 2 thereof has been modified as follows to bring it strictly in conformity with the method and procedure being followed by the Government of India in the matter, subject of course to the higher percentage of reservation already being allowed in the Haryana State in the matter of recruitment :—

**Class III and Class IV appointments**

(a) In the case of Class III and Class IV appointments in grades or services to which there is no direct recruitment whatever, there will be reservation of vacancies at 20 per cent for Scheduled Castes/Tribes and 2 per cent for Backward Classes in promotions made by (i) selection or (ii) on the

results of competitive examinations limited to departmental candidates.

(b) Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes officials should be drawn up separately to fill the reserved vacancies. Officials belonging to these classes will be adjudged separately and not along with other officials and if they are suitable for promotion, they should be included in the list irrespective of their marit as compared to that of the other officials. Promotions against reserved vacancies will continue to be subject to the candidates satisfying the prescribed minimum standards.

(c) There will be no reservation in appointments made by promotion on the basis of seniority subject to fitness but cases involving supersession of Scheduled Castes/Tribes officials, if any, will be reported with a month to the Minister or Deputy Minister concerned for information.

2. You are requested to bring the above decisions to the notice of all concerned for strict compliance.

3. The receipt of this communication may kindly be acknowledged.

*Copy of letter No. 4236-45W & BC-67/30119, dated the 11th October, 1967, from the Secretary to Government, Haryana, Social Welfare and Backward Classes Department, to all Heads of Departments, Commissioner Ambala Division and all Deputy Comissioners and Sub-Divisional Officers (Civil) in Haryana, the Registrar Punjab and Haryana High Court, and District and Sessions Judges in Haryana.*

*Subject*—Reservation for the members of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, in promotion cases.

I am directed to invite attention to the correspondence resting with Haryana Government, Social Welfare and Backward Classes Department, No. 2480-SW & BC-67/22979, dated the 10th August, 1967, on the subject noted above, and to say that according to the existing instructions there is reservation for Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, in the case of Class III and Class IV appointments subject to the following conditions :

(a) In grades or services to which there is no direct recruitment there will be reservations of vacancies in promotions made by (i) selection or (ii) on the results of competitive examinations limited to departmental candidate.

(b) Tere will be no reservation in appointments made by promotion on the basis of seniority subject to fitness.

2. Government have under consideration the question of modifying the above instructions so that there should be reservation of vacancies irrespective of the fact whether promotion is made by a selection or on the results of the competitive examinations or on the basis of seniority subject to fitness, and whether or not there is a provision for direct recruitment. Government have therefore decided that pending decision of the said policy question no reversion of members belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes should be effected,

till further orders from the posts of which they have been promoted against reserved vacancies although under the relevant service rules, promotions were required to be made on the basis of seniority subject to fitness and for that matter there should have been no such reservation. This decision will however, not affect the reversion already made as a result of the classification given in clause 20© in para 1 of the Government letter, dated the 10th August, 1967, referred to above; *statusquo* may be maintained in these cases pending decision.

2. The receipt of this communication may please be acknowledged.

Copies are forwarded to the Administrative Secretaries to Government of Haryana (ii) Secretaries, (iii) Private Secretaries to the Chief Minister/Ministers of State/Parliamentary Secretary/ Deputy Ministeer for information.

U.O. No. 4236-4SW & BC-67 dated, Chandigarh, the 10th October, 1967.

*Copy of letter No. 611...EI-68, dated the 24 January, 1969, from the Chief Secretary to Government, Haryana to all Heads of Departments, Comissioner, Ambala Division, Deputy Comissioners and Sub-Divisional Officers in Haryana etc., etc.*

*Subject*—Ban on recruitment against non-technical posts.

Sir,

I am directed to refer to the circular communication noted in the margin on the above subject and to say that on

reconsideration it has been decided that the ban on fresh recruitment against vacant posts should be lifted if such posts are to be filled by the appointment of persons belonging to the "Scheduled Castes" and "Backward Classes" according to the reservation prescribed for them. In view of this decision elearance from this Organisation for filling such posts by the aforesaid persons will not be required. There will, however, be no change, in the procedure laid down for filling posts, that is, through the Public Service Commission, Employment Exchanges, etc., and that procedure will continue to be followed without modification.

D.O.No. 1369-5 GS-68/6619 dated 23rd March, 1968, from Chief Secretary.

From

Shri H.S. Achreja, I.A.S.

Secretary to Government, Haryana

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes,

Chandigarh

To

All Heads of Departments in Haryana State

No. 9111-71-WSC & BC/69, dated Chandigarh, the 19th September, 1969.

*Subject*—Reservation in services for scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward Classes—Clarification regarding filling up the Reserved Vacancies.

Sir,

Kindly refer to this Department Memo. No. 3418/DSW & BC/69, dated the 2nd August, 1969, addressed to all the Heads of Departments under which you were required to obtain prior consent of Board which consists of Chief Minister, Haryana, Minister-in-Charge of the Departmet and Secretary of Department of Welfare of Scheduled Caste and Backward Classes to fill up a reserved vacancy by a person other than one belonging to the Scheduled Castes. This matter has again been considered and it is decided that the reserved vacancy should be re-advertised, if no fit candidate belonging to Scheduled Caste is available for filling up the post in the first instant instead of filling up the said vacancy by candidate belonging to a Non-Scheduled Caste.

Yours faithfully

(Sd.) .....

**Deputy Secretary to Government, Haryana,**

*for* Secretary to Government, Haryana

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes.

Endorsement No.9111-71/WSC&BC/69, dated, Chandigarh, the 19th August, 1969.

A copy is forwarded to the :

(1) Secretary, Public Service Commission, Haryana, Chandigarh

(2) Director of Public Relation, Haryana, Chandigarh, for Publicity.

(Sd.) .....

Deputy Secretary to Government, Haryana.

*for* Secretary to Government, Haryana,

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes.

पत्रांक 23 (ए.एल.एम.) स–ब–69/26293

प्रेषक

सचिव, हरियाणा सरकार,

समाज कल्याण विभाग।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर, अम्बाला मंडल, सभी उपायुक्त तथा उप–मण्डल अधिकारी।

(2) रजिस्ट्रार, न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा, चण्डीगढ़। और हरियाणा के सभी जिला तथा सभी न्यायाधीष

दिनांक चण्डीगढ़ 27 अक्टूबर, 1969

**विषय**–अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सेवाओं में आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह निदेश हुआ है कि आप का ध्यान उपयुक्त विषय पर सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेषों की ओर दिलाऊं और लिखूं कि यह देखने में आया है कि जो आसामियों अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं उन पर इन उम्मीदवारों के न मिलने पर स्वर्ण जाति के उम्मीदवारों को लगा दिया जाता है। परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। अतः राज्य सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करके यह निर्णय किया है कि यदि आरक्षित पदो ंके लिए इन वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उस दषा में आसामियों को दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा न भरा जाए। बल्कि इन आसामियों को केवल अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरने के लिए लोक सेवा आयोग को फिर लिखा जाए।

यह आदेष अभी केवल 30 अप्रैल, 1970, तक के लिए जारी किया जाता है उस के पश्चात् अनुदेष फिर जारी किया जाएगा।

भवदीय,

वी.पी.जोहर,

सचिव, हरियाण सरकार,

समाज कल्याण विभाग।

एक प्रति वित्त कमिश्नर, राजस्व, हरियाणा तथा अन्य सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, को सूचनार्थ तथा आवष्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की जाती है।

वी. पी. जोहर,

सचिव हरियाणा, सरकार,

समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

1. वित्त कमिश्नर राजस्व, हरियाणा।

2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा. क्रमांक 23 (ए.एल.एम.)–69, दिनांक चण्डीगढ़ 27 अक्टूबर, 1969

**Construction of Jasia-Sanghi Approach Road to Sanghi Civil Dispensary, Sanghi is District Rohtak**

***666. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state–

(a) the date on which the beneficiaries share, if any, was deposited with the Public Works Department in respect of approach road from Jasia-Sanghi approach road to Sandhi Civil Dispensary, Sanghi of Tehsil and district Rohtak;

(b) the date on which the admininstrative sanction for the construction of the road was issued;

(c) the date on which the work was started and period within which it is likely to be completed; and

(d) the reasons for the delay, if any, in the completion of the work?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : (a) Rs. 1000 deposited in October, 1966 and Rs. 1000 in February, 1967.

(b) 24th April, 1967

(c) The work was started on 1st January, 1970 and is likely to be completed by 30th June, 1970, subject to the availability of funds and the beneficiaries depositing their full share of Rs. 5025.

(d) Non-availability of earth near the road.

**Appointment of a Harijan as a member of the Haryana Public Service Comission**

***672. Shri Shyam Chand** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to appoint any Harijan as a Member of the Haryana Public Service Comission, and if not, the reasos therefor ?

**मुख्य मन्त्री** (श्री बन्सी लाल) : प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस समय हरियाणा लोक सेवा आयोग में किसी सदस्य का स्थान

खाली नहीं है। इस पर केवल तभी विचार होगा जब कोई स्थान रिक्त होगा।

**Emotional Integration**

***565. Smt. Chandravati** : Will the Minister for Health and Development be pleased to state—

(a) whether the Government has taken any steps to make education the means of emotional integration; if so, details thereof;

(b) whether it is a fact that some of the text-books of school children still contain references of Hindu-Muslim hatred; and

(c) if so, the steps, if any, Government proposes to take to eliminate such references ?

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshied Ahmed): (a) Yes (i) There is sufficient material on emotional integration in the text-books of Social Studies and Languages.

(ii) An integration course has been arranged for students and teachers.

(b) No.

(c) Question does not arise.

**Conference of the Principals of Haryana Colleges**

***553. Major Amir Singh Chaudhri** : Will the Minister for Health and Development be pleased to state—

(a) whether any conference of Principals of Haryana Colleges presided over by the Director, Public Instruction, Haryana, was held at Rohtak, on the 16th of October, 1969;

(b) If so, the recommendations, if any, of the said conference and the action taken thereon by the Government;

(c) whether it is a fact that Higher Secondary System of Education was informally discussed in the conference.

(d) whether it is also a fact that consesus in the conference was that the Higher Secondary System had failed and that the practical solution of the problem was to go back to High School system; if so, the action, if any, proposed to be taken by the Government, in this behalf; and

(e) whether any saving scan accrue to the State Exchequer, in the annual recurring expenditure, if the proposal to abolish the Higher Secondary System of Education is accepted; if so, the total amount thereof ?

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshed Ahmed) : (a) Yes.

(b) A statement indicating the recommendations made and action taken thereon by Government is laid on the Table of the House (Annexute I).

(c) Yes.

(d) Yes, the consensus in the Conference was that High Secondary System had not proved successful. However, no formal resolution was passed by the conference proposing

the discontinuance of the system and going back to High School System.

(e) Since there is no proposal at present to abolish the Higher Secondary System of Education the question of saving to the exchequer does not arise.

**ANNEXURE-I**

**Statement showing recomendations made by the conference of Principals of Haryana Colleges**

The following resolutions were unanimously adopted and decision taken by the Conference—

(I) This Conference of Principals of Haryana Colleges resolves that there should be running grades of Rs. 300–25–600–40–920 for all lectrurers in colleges by merging the two grades Rs. 300–600 and 400–800. Besides this, there should be a selection grade of Rs. 700–40–1100–50–1250. The number of selection grade posts should be 15% of the total strength of lecturers in Colleges.

For promotion to selection grade either by promotion or by direct recruitment proper norms and minimum qualifications be laid down. A teacher elighible for selection grade must have put in 10 years service in a College; this may be 7 years for Ph. D. The norms for promotion should take into consideration service record, improvement in qualifications besides length of service.

(II) The Conference resolves that the existing grades in which Principals have been placed are not commensurate with the academic and administrative responsibilities they have to

shoulder. It is fair that Principals Grade should be equated with the grade of Professors in the Universities. It is recommended that Principals of Colleges shold be put in the grade of Rs. 1100–50–1300–60–1600.

(III) It is recommended that minimum rate of Provident Fund in all Colleges should be ten per cent.

(IV) The history of the system of grants shows that this system was started by the foreign Government to evade responsibility of the State for the spread of Education. In the changed circumstances of today it is necessary that the objective of grants should be to ensure that the standards of instruction are maintained in all non-Government Colleges and equal opportunities are provided to the students in Government and Non-Government Colleges. For this purpose the Government must subsetaintially increase the budget under this head so as to cover 95 percent of the deficit of an institution. To work out the details the Conference recommends that a Committee be appointed to go into all apsects of the mechanism of determining the grants. This Committee should also consider the question of U.G.C. grades/grants for Colleges for posts coming into existence after 1st November, 1966. In the meantime it is emphasised that the disbursement of grants should be made in the month of October and February every year. Issue of grants during the last week of the financial year puts every body in an avoidable difficulty.

(V) After discussing the whole matter of the development of Post-Graduate Education in Haryana it was decided to make the following recommendations :

(I) The Punjab University be requested to modify its rule regarding the grant of affiliation to Colleges for Arts or M.Sc. Classes in respect of the Endoment Fund :

(a) Rs. 25000 for opening M.A./M.S. in one subject;

(b) Rs. 15000 for second subject; and

(c) Rs. 11600 for each subsequent subject.

(2) That the principals who would like to open M.A. Classes in their College be requested to send to the Director of Public Instruction a copy of the case which they address to the Punjab University.

(VI) This Conference resolves that previous system of refreshment after NCC parades should be revived as refreshment is necesssary after parades.

That N.C.C. is not compulsory this year and for next year if it to be made compulsory the decision should be taken well in advance of admission.

N.C.C. can serve useful purpose only if the staff sent by themillitary authorities is adequate and suitable to colleges.

That State N.C.C. Advisory Board should be set up with Director of Public Instruction as Chairman, ad O.C. by rotation, two Principals from Government colleges by rotation four Principals from non-Government Colleges by rotation and one Principal from Women College by rotation.

VII. The Conference resolves that the question of General Education be discussed in the next Conference.

VIII. The Conference resolves thateach Planning Forum be given a grant of at leas Rs. 500 per year.

IX. It was decided to postpone the consideration of this matter till the next conference.

X. Procedure for admission of students from other Universities—

A student coming from another University and seeking admission to a College affiliated to Punjab University, should on his own, get eligibility certificate from the University before taking admission and pay Rs. 5 to the University direct as fee. The student should then be required to fill in the migration form after admission.

XI. Hindi as Medium for Science Subjects, B.Ed. and Post-graduate level :

The Committee strongly felt that the point was very much desirable that Hindi be adopted as medium for all levels, and all books on all subjects are now easily available and there is no need or basis to wait for this change-over. If two dozen other Universities have sucessfully adopted this medium why cannot this University? This change over should take place as early as possible.

XII. Remuneration for University work : Posponed till next conference.

XIII. Sharing of remuneration with the Government on the part of Government Lecturers.

The Government Lecturers should get remuneration in full like non-Government college Lecturers and should be sent on duty leave for practical.

XIV. Regulation of Admission in Colleges—Number of Students admitted to Colleges should depend on the facilities regarding building, laboratories, etc. available in this college. If the number exceeds considerably either the Government should help in extending the facilities or second shifts be introduced in the colleges.

The University Regulations provide unfettered discretion and powers to Principals, regarding admission. The University should not therefore issue instructions regarding admissions which are in contravention of these Regulations. The Principals must have the discretion to admit or refuse to admit a student.

Regarding admission to Colleges of Education, however, the Committee strongly felt that only candidates with a minimum of 45% marks either at graduate post-graduate level be admitted. The admission should be on merit, but preference be given to local candidates and priority to candidates from sister institutions under the same management.

As far as possible candidates from rural areas and the State of Haryana should be accomodated.

## Action taken by the Department on various Recommendations of the Conference of Principals of Haryana Colleges.

### I. (a) Running Grades for Lecturers

The matter is under consideration of the Government.

### (b) Grant of Selection Grade to Lecturers

The proposal to grant selection grade of Rs. 700/1100 to lecturers is under the consideration of the Government.

### II. Enhancement of Grades of Principals

The University Grants Commission has not recommended the grade of Rs 1100/1600 for Principals of College. This recommendation of the Conference has not been conceded.

### III. Rate of Provident Fund

This matter is under consideration of the Department.

### IV. Grants to Non-Government Colleges

The matter is under consideration of the Department.

### V. Modification of Rules Regarding Grant of Affiliation

(1) Matter concerns the Punjab University to whom it has been referred.

(2) No action on the part of Government is required.

### VI. (a) System of Refreshment : N.C.C. Cadets

It has not been considered desirable to revert to the old system of giving refreshment after each parade, as suggested by the Principal's Conference.

**VI. (b) Making NCC Compulsory**

The matter relates to the Punjab and Kurukshetra Universities to whom it has been referred.

VI. (c) Industrial Staff for the N.C.C. is provided by the Armed Forces and every effort is made to keep the staff upto prescribed establishment. It is, however, pointed out that the position of officers and instructional staff in the N.C.C. Units located in Haryana State, is quite satisfactory.

**VI (d) Formation of State NCC Advisory Board**

In the N.C.C. Act, a provision exists for the constitution of a State Advisory Committee in each State, with the Minister for Education as Chairman. Such a committee already exists in this State. It has as its members, officials as well as non-officials, and it is not considered advisable to change its composition.

**VII. General Education**

Action will be taken at the appropriate time.

**VIII. Planning Forums**

The provision for giving grants to the Planning Forums in the State already exists. A Planning Forum in a College can be given a grant of Rs. 200 to 400. For the current year there is a provision of Rs. 17600 for the purpose.

## IX. System of Internal Assessment

No action is called for.

## X. Procedure for Admission of Students from other Universities.

The matter concerns the Punjab University to whom it has been referred.

## XI. Hindi as Medium for Science Subjects, B.Ed. and Post-Graduate Level

The matter concerns the Punjab University to whom it has been referred.

## XII. Remuneration for University Work

No action is called for.

## XIII. Sharing of Remuneration with the Government on the Part of Government Lecturers.

The matter is under consideration of the Government.

Every effort is being made to provide requisite facilities to the colleges according to their NEEDS keeping in view the finances of the State.

The question regarding regulation of admissions in colleges relates to the Punjab University to whom it has been referred.

## Supply of Yamuna Canal Water

***556. Dr. Malik Chand Gambhir** : Will the Minister for Finance be pleased to State—

(a) whether the State Government has suffered any loss of revenue at the annual auction of liquor contracts this year due to the restriction imposed on the sale of liquor on Mondays and Tuesday; if so, details thereof;

(b) whether it is in the notice of the Government that liquor is being sold openly on the days referred to in part (a) above; and

(c) whether there is any proposal to change this policy ?

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) हां, इस नीति के कारण वर्ष 1969–70 में देषी शराब के ठेकों की निलामी वर्ष 1968–69 की अपेक्षा 25916800 रुपए कम की हुई।

(बी) समय समय पर जहां पर ऐसी बात ध्यान में आती है और जहां कहीं भी सरकारी आदेश का उलंघन होता है, दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सी) मामला विचाराधीन है।

***658. Shri Randhir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total acreage of KALLAR land in the State together with the area of the land made cultivable cut of such land since the formation of Haryana to-date ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी नेकी राम) : (ए) हरियाणा राज्य सरकार की स्थापना के समय राज्य में कल्लर भूमि का कुल रकवा 199399.46 एकड़

(बी) इसमें से जो रकबा काबले काष्त बनाया गया 1590137 एकड़

**Amount allocated by Government of India for the construction of A Hostel for Harijan Girls.**

***688. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state—

(a) whether the Government of India allocated any amount for the construction of a Hostel for Harijan Girls in the Haryana State in the year 1968-69 or 1969-1970; and

(b) if so, the details therof and whether that amount was utilized for the purpose as mentioned in part(a) above, if not, the reasons thereof ?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : (a) No.

(b) The question does not arise.

**Construction of Makrauli Khurd Approach Road**

***667. Chaudhri Ranbir Singh** : will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state—

(a) whether Makrauli Khurd approach road taking off from Rohtak-Gohana road lies in the Rohtak Market Committee area;

(b) the funds earmarked for this road;

(c) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued; and

(d) the date on which the work was taken up together with the period within which it is likely to be completed ?

**Agriculture an Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : (a) Yes.

(b) No funds have been deposited by the Market Committee so far.

(c) No.

(d) The earthwork was started in the 1st week of January, 1970 and is almost complete. The work will be completed during 1970-71 provided funds are made available by the Market Committee immediately.

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Villages included in the Market Committee, Rohtak

**332. Chaudhri Rambir Singh** : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state the number and names of the villages included in Rohtak Market Committee area ?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : Part (a) 82.

Part (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement of the Villages falling in the Market Committee, Rohtak

| Serial No. | Name of Village |
|---|---|
| 1 | Kheri Sadh |
| 2 | Bhalot |
| 3 | Kaloi Khas |
| 4 | Kaloia Dupana |
| 5 | Dhamt Pur |
| 6 | Basan |
| 7 | Makrolikal |
| 8 | Ladhot Ina |
| 9 | Bhaya Pur |
| 10 | Para and Sukhpura |
| 11 | Astal Bohar |
| 12 | Bohar |
| 13 | Garhi Bohar |
| 14 | Pahrawar |
| 15 | Karontha |
| 16 | Simli |

| | |
|---|---|
| 17 | Mayana |
| 18 | Kanchli |
| 19 | Rohtak |
| 20 | Kamroli Khurd |
| 21 | Sarai Ahmad |
| 22 | Nasir Pur |
| 23 | Sisroli |
| 24 | Chamarain |
| 25 | Bhacanwas |
| 26 | Sahan Majra |
| 27 | Jassia |
| 28 | Sandhi |
| 29 | Katwara |
| 30 | Khadwali |
| 31 | Guskani |
| 32 | Jindran |
| 33 | Tatoli |
| 34 | Bhagoti Pur |
| 35 | Samar Gopal Pur |

| | |
|---|---|
| 36 | Naya Gaon |
| 37 | Sunder Pur |
| 38 | Singh Pura Khurd |
| 39 | Singh Pura Kalan |
| 40 | Bahu Jamal Pur |
| 41 | Bahuakbar Pur |
| 42 | Taja Majra |
| 43 | Kutana |
| 44 | Gadhi Khera |
| 45 | Bhali Anand Pur |
| 46 | Bobh |
| 47 | Jalan Pur |
| 48 | Sunari Kalan |
| 49 | Sunari Khurd |
| 50 | Marodhi Jattan |
| 51 | Kaka Srana |
| 52 | Garanaothi |
| 53 | Balland |
| 54 | Retoli |

| | |
|---|---|
| 55 | Retoli |
| 56 | Mattana |
| 57 | Masudpur |
| 58 | Balab |
| 59 | Tehmur Pur |
| 60 | Sundana |
| 61 | Kahanaur |
| 62 | Manjha |
| 63 | Katesara |
| 64 | Nigana |
| 65 | Garhi Balab |
| 66 | Patwa Pur |
| 67 | Marodhi Rangran |
| 68 | Banyanal |
| 69 | Lahli |
| 70 | Anwal |
| 71 | Gudhan |
| 72 | Kalanaur Kalan |
| 73 | Kalanaur Khurd |

| | |
|---|---|
| 74 | Mioana |
| 75 | Madina Gidran |
| 76 | Muradpur Tekana |
| 77 | Mokhra khas |
| 78 | Kokra Kheri Roz |
| 79 | Madina Kaurasan |
| 80 | Sangahara |
| 81 | Pilana |
| 82 | Basana |

**Funds Available with the Market Committee, Rohtak**

**333. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state—

(a) total funds available with the Market Committee, Rohtak;

(b) funds, if any, earmarked, schemewise, for construction of approach roads under Crash Programme;

(c) Estimated annaual income of the Market Committee ?

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) :

(a) Rs. 966321.03 (including long-term investments)

(b) Rs. 625000

(c) Rs. 725440.00 for the year 1969-70

## Area Irrigated in Mungan Village

***334. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the area irrigated during 1963-64 to 1969-70, year-wise by each of the outlet of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate area of Mungan village of tehsil and district Rohtak ?

**Irrigation and Power Minister** (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlet of Bhalaut Branch and its distributaries in the revenue estate on village Mugan of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclose stastement.

| S.No. | Name of Disty. | R.D. Outlet | O.O.A | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 *upto January, 1970) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasrana Mr.<br>do | 45578—R<br>42200–R | 514<br>101 | 334 | 200 | 281 | 158<br>69 | 119<br>66 | 261<br>32 | 176<br>15 |
| 2 | Rurkee Mr.<br>Do | 10780–L<br>18050–TL | 258<br>246 | 184<br>101 | 145<br>68 | 138<br>73 | 150<br>84 | 102<br>67 | 176<br>67 | 49<br>25 |

*Note.* — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentativebecause final check measurement of Rabi Crop will be completed by the end of March, 1970

**Capacity of Rohtak Rajbaha and Area Irrigated**

**335. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power the pleased to state—

(a) the sanctioned and existing capacity of Rohtak 'Rajbaha', the discharges, if any, observed at the outlet head in the Revenue Estate Area of villages Sanghi, Jasia, Kherwali, Chamarian and Sunderpur of Tehsil and District Rohtak;

(b) Whether desilting of the 'Rajbaha' has been done at any time after 1964-65; if so, the dates thereof;

(c) the C.C.A. of the 'Rajbaha' together with the area irrigated year-wise, in respect of the above said villages from 1963-64 to 1969-70 by each outlet of Rohtak Rajbaha ?

**Irigation and Power Minister** (Mr. K.L. Poswal) : (a) Sanctioned and existing capacity of Rohtak Distributary are 107.25 cusecs and 99 cusecs, respectively. Outletwise discharges are given in the statement, which is laid on the Table of the House.

(b) Yes. As per details below :

R.D. 8500 — 11600 2/69

R.D. 80000 – 85000 12/69

(c) C.C.A. of Rohtak Rajbaha is 35911 acres. Outletwise irrigation alongwith C.C.A. In the years 1963-64 to 1969-70 is given in the statement, which too is laid on the Table of the House.

Statement showing discharge of outlets in Rohtak Distributary

| R.D. of outlets | | Discharge of outlets |
|---|---|---|
| 1 | 69940-L | 1.40 |
| 2 | 70720-R | 0.33 |
| 3 | 72880-L | 2.00 |
| 4 | 73688-R | 0.85 |
| 5 | 76736-L | 0.25 |
| 6 | 78420-R | 0.50 |
| 7 | 82727-L | 2.65 |
| 8 | 82832-R | 1.50 |
| 9 | 84932-L | 2.00 |
| 10 | 90676-L | 1.10 |
| 11 | 99330-L | 0.73 |
| 12 | 104873-L | 0.35 |
| 13 | 105685-R | 1.79 |
| 14 | 108049-L | 0.41 |
| 15 | 112774-L | 1.41 |
| 16 | 113876-R | 0.67 |
| 17 | 118596-R | 1.67 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | 126003-R | 0.85 |

Statement of Irrigation on Outlets of Rohtak Distributary

| Sr. No. | name of Village | R.D. of C.C.A outlet | | 1963-64 | | | 1964-65 | | | 1965-66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | New/old | | Kharif | Rabi | Total | Kharif | Rabi | Total | Kharif | Rabi | Total |
| 1 | Sanghi | 69940-L 109770 | 11 | This area has heen transferred from outlet 72880/L 112000 | | | | | | | | |
| | | 70720/R 110000 | 130 | 55 | 47 | 102 | 40 | 50 | 90 | 66 | 49 | 115 |
| | | 72880/L 112000 | 285 | 130 | 120 | 250 | 114 | 118 | 232 | 174 | 110 | 284 |
| | | 73688-R 1128 | 376 | 92 | 101 | 193 | 86 | 145 | 231 | 169 | 116 | 285 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 | | | | | | | | | | |
| | | 76736-L 116047 | 98 | 54 | 33 | 87 | 49 | 36 | 85 | 54 | 27 | 81 |
| | | 78420-R 117695 | 192 | 84 | 125 | 209 | 73 | 117 | 190 | 119 | 94 | 213 |
| | Rest House | 78405-L 117633 | 1 | | | | | | | | | |
| | | 82832-R 122131 | 642 | 151 | 185 | 336 | 151 | 189 | 340 | 220 | 171 | 391 |
| | | 82727-: 122131 | 160 | 85 | 76 | 161 | 67 | 73 | 140 | 97 | 64 | 161 |
| | | 84932-L | 17 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 124343 | | | | | | | | | | |
| 2 | Jasia | 82727-L 122131 | 788 | 242 | 113 | 355 | 211 | 122 | 333 | 333 | 163 | 496 |
| | | 84942-L 124343 | 657 | 229 | 89 | 318 | 185 | 113 | 298 | 248 | 186 | 434 |
| | | 90676-L 1130000 | 162 | 26 | 2 | 28 | 3 | 7 | 10 | 18 | 23 | 41 |
| 3 | Chamari | 99330-L 139629 | 167 | 31 | 12 | 43 | 42 | 8 | 50 | 37 | 15 | 52 |
| | | 104873-L 144392 | 64 | 36 | 25 | 61 | 27 | 40 | 67 | 56 | 55 | 111 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 108049-L 147435 | 160 | 56 | 38 | 94 | 51 | 49 | 100 | 87 | 96 | 153 |
| | | 112774-L 152193 | 547 | 139 | 202 | 341 | 132 | 174 | 306 | 157 | 157 | 314 |
| | | 113876-R 153876 | 56 | 20 | 22 | 42 | 12 | 28 | 40 | 20 | 21 | 41 |
| | | 105685-R 145143 | 32 | 12 | 9 | 21 | 4 | 8 | 12 | 8 | | 8 |
| 4 | Sunderpur | 118596-R 158000 | 542 | 82 | 87 | 169 | 90 | 189 | 279 | 124 | 109 | 233 |
| | | 126003/R 1654 | 187 | 69 | 44 | 113 | 56 | 114 | 170 | 88 | 74 | 162 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 | | | | | | | | | | |

Statement of irrigation on outlets of Rohtak Distributary

| Sr. No. | Name of Village | R.D. of outlet and Side | C.C.A. | 1966-67 | | | 1967-68 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | New/old | | Kharif | Rabi | Total | Kharif | Rabi | Total |
| 1 | Sandhi | 69940-L 109770 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| | | 70720/R 110000 | 130 | 14 | 40 | 54 | 29 | 49 | 78 |
| | | 72880/L 112000 | 285 | 77 | 113 | 190 | 89 | 94 | 182 |
| | | 73688/R 112840 | 376 | 104 | 138 | 242 | 82 | 135 | 217 |
| | | 76736-L | 98 | 27 | 49 | 76 | 33 | 47 | 80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 116047 | | | | | | | |
| | | 78420-R 117695 | 192 | 52 | 97 | 149 | 64 | 110 | 174 |
| | Rest House | 78405/L 117633 | 1 | 11 | 1 | 2 | | | |
| | | 82832/R 122131 | 642 | 140 | 155 | 295 | 109 | 162 | 271 |
| | | 82727/L 122131 | 160 | 54 | 55 | 109 | 52 | 55 | 107 |
| | | 84931/L 124343 | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 14 |
| 2 | Jasia | 82727/L 122131 | 788 | 209 | 233 | 442 | 210 | 246 | 456 |
| | | 84932/L | 657 | 164 | 192 | 356 | 137 | 142 | 279 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 124343 | | | | | | | |
| | | 90676/L 113000 0 | 162 | 6 | 9 | 15 | 14 | 15 | 29 |
| 3 | Chamari | 99330/L 139629 | 167 | 31 | 47 | 78 | 27 | 31 | 58 |
| | | 104873/L 144392 | 64 | 28 | 26 | 54 | 16 | 17 | 33 |
| | | 108049/L 147435 | 160 | 67 | 75 | 142 | 57 | 78 | 135 |
| | | 112774/L 152193 | 547 | 128 | 189 | 317 | 112 | 186 | 298 |
| | | 113876/R 153876 | 56 | 14 | 16 | 30 | 17 | 20 | 37 |
| | | 105685/R | 32 | 10 | 23 | 33 | 6 | 12 | 18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 145143 | | | | | | | |
| 4 | Sunderpur | 118596/R 158000 | 542 | 88 | 154 | 242 | 57 | 177 | 234 |
| | | 126003/R 165432 | 187 | 52 | 76 | 128 | 27 | 57 | 84 |

Statement of Irrigation on outlets of Rohtak Distributory

| Sr. No. | Name of Village | R.D. of outlet and side | C.C.A. | 1968-69 | | | 1969-70 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | New/old | | Kharif | Rabi | Total | Kharif | Rabi | Total |
| | | 112774L 152192 | 547 | 115 | 97 | 212 | 99 | 100 | 199 |
| | | 113876R 153876 | 56 | 15 | 18 | 33 | 12 | 15 | 27 |
| | | 10568 | 32 | 97 | 7 | 16 | 9 | 15 | 24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5R<br>14514<br>3 | | | | | | | |
| 4 | Sunderpur | 11859<br>6R<br>15800<br>0 | 542 | 96 | 18<br>1 | 277 | 78 | 18<br>0 | 258 |
| | | 12600<br>3R<br>16543<br>2 | 187 | 35 | 55 | 890 | 15 | 50 | 65 |

Final figures for the current crop Rabi 1969-70 are not available as irrigation is still in progress and the crop ends on 31st March, 1970.

**Recruitment through Haryana Public Service Commission**

**336. Smt. Chandravati** : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and full addresses of gazetted and non-gazetted Government employees, separately, recruited through the Haryana Public Service Commission after the formation of Haryana State?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा इस से विषेश लाभ न होगा।

**Extemption from Payment of Levy of Octrol Duty to Jindal Indial Limited, Hisar**

**340. Lala Balwant Rai Tayal** : Will be Minister for Health and Development be pleased to State—

(a) whether M/s Jindal India Limited, Hisaar, were exempted from the levy of octrol duty; if so, the dates with years of exemption, seperately;

(b) whether it is a fact that Shri Richhpal Singh, Ex-member, Municipal Committee, Hisar, filled a writ petition in the Punjab and Haryana High Court in the year 1969 against the Government of Haryana regarding Jindal India Limited and the said writ petition was decided against the Government of Haryana on 24th October, 1969; if so, the steps taken by the Government theron;

(c) the amount of the octrol duty so remitted in a year; and

(d) whether the said Municipal Committee was consulted at the time of allowing the said remission ?

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshed Ahmed) : (a) Yes. The examption was granted to M/s Jindal India Private Limited, Hisar, from the levy of octrol duty, for the following period :

| | | |
|---|---|---|
| (1) | 22-2-63 | Exemption granted from payment of octrol on tools, machinery and its parts imported for installation and used in the factory at Hisar. |

| | | |
|---|---|---|
| (2) | 24-2-64 | for two years. Exemption granted from the payment of octrol on mild steel strips, sheets, plates, flats, tools, machinery, equipment, zinc, ammonium chloride, acid brought for the manufacture of steel pipes, pipe fittings and buckets in the factory at Hisar. |
| (3) | 23-4-65<br>to<br>27-2-71 | Exemption granted from the payment of such amount of octrol as was in excess of 5000 rupees per annum on mild steel strips, sheets, plates, flats, tools, machinery, equipment, zinc, ammonium chloride acid, oils, lubricants, pipes, tubes and steel skelp brought into the limits of Municipality, Hisar for the manufacture of steel pipe, pipe fittings and buckets in the factory at Hisar |
| (4) | Exemption withdrawn on 19-6-67 by cancelling the erstwhile Punjab Government notification No. 3594-2CI-65/3473 dated the 23rd, April, 1965. | |
| (5) | Exemption again granted from 7-9-68 to 22nd February, 1971, vide notification no. 5789-ICII-68/22283, dated the 7th September, 1968 | |
| (6) | Period again extended from 22nd February, 1971 to 7th September 1978, —vide notification No. 1223-CI-69, | |

| | |
|---|---|
| | dated the 24th January, 1969 |

(b) Yes. On an application presented by the Counsel of M/s Jindal India Pivate Limited, the recovery of Octrol has been stayed by the High Court on 1st December, 1969, till the application of M/s Jindal India Private Limited for the grant of a certificate for permission to appeal to the Supreme Court of India is considered by the High Court.

(c) The annual income to the Hisar Municipality from this source was abour Rs. 220000. The exemption from the payment of such amount of Octrol, as was in excess of Rs. 5000 per annum was granted to the Firm.

(d) Before the exemption was granted on 22nd February, 1963, the Municipal Committee, Hisar, was consulted and it was resolved by the Municipal Committee,—vide its resolution No. 20, dated 28th September, 1962, that M/s Jindal India Private Limited be given exemption for five years. However, on reconsideration the Municipal Committee —vide its resolution No. 29, dated 16th December, 1962, did not agree to grant such exemption. In accordance wilh the provisions contained in section 71(I) of the Punjab Municipal Act, 1911, the State Government is competent to grant such exemption.

**Release of Water in Hisar Major Distributary of Western Jamuna Canal**

**341. Lala Balwant Rai Tayal** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of times water was released in the Hisar Major Distributary of Western Jamuna Canal during the years 1968 and 1969 and in the current year so far; and

(b) whether the Government received any letter from the land-holders regarding the shortage of water; if so, the details thereof and the steps taken by the Government thereon ?

**Irrigation and Power Minister** (Shri K.L. Poswal) :

(a) 1968 22 times

1969 23 times

1970 2 times

(b) Yes. Applications of S. Shri Balwant Rai Tayal and Sham regarding shortage of supplies were received. The channel has now been rennovated and full supply discharge is passed satisfactorily subject to the availability of water in the river.

## Number of Government Higher Secondary Schools/High Schools/ Middle Schools in the State on 1st January, 1970

**342. Smt Parsanni Devi** : Will the Minister for Health and Development be pleased to State—

(a) the number of Government Higher Secondary Schools, High Schools and Middle Schools in various districts of the State as on 1st January, 1970;

(b) the number of Government Higher Secondary Schools, High Schools and Middle Schools in different Assembly Constituencies of various districts on the date referred to in part (a) above;

(c) the lists of villages, Assembly Constituency-wise in which Government Higher Secondary Schools, High Schools and Middle Schools were functioning in different districts of the State on the date referred to in part (a) above, and;

(d) whether in the matter of the above mentioned figures there is any disparity in different consistuencies; if so, the details of the steps, if any proposed to be taken to remove the same ?

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khurshed Ahmed) :

(a) A statement is laid on the Table of the House. (b) and (c) Time and labour involved in the matter will not be commensurate with the benefits to be achieved.

(d) Yes. The schools are starred/upgraded on merit after taking into consideration the educational needs of the areas and not with reference to the constituencies in which they fall.

**Statement regarding Distrist-wise Number of Government Schools on 1st January, 1970**

| Serial No. | Name of the District | Higher Secondary Schools | High Schools | Middle Schools |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | 8 | 58 | 65 |
| 2 | Mohindergarh | 9 | 56 | 76 |
| 3 | Gurgaon | 23 | 87 | 129 |
| 4 | Hisar | 11 | 120 | 167 |
| 5 | Karnal | 14 | 107 | 123 |
| 6 | Jind | 3 | 39 | 38 |
| 7 | Rohtak | 12 | 144 | 141 |

**Electrification of Kharwali, Katwara, Jindran and Ghuskani Villages**

**343. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the estimated population of villages Kharwali, Katwara, Jindran and Ghuskani of the tehsil and district Rohtak;

(b) distance of each of the villages mentioned in part (a) above from 11 K.V. lines;

(c) Whether the said villages are covered under any project or sub-projected of rural electrification; if so, the name of the project or sub-project of the rural electrification with date of sanction in each case;

(d) the estimated cosst for rural electrification of the villages referred to in part (a) above; and

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefor together with the

time within which the work is likely to be commenced and completed ?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) 4097, 384, 699 and 606, respectively.

(b) Half mile, 1 mile, 1½ miles and 1½ miles, respectively.

(c) Sub-projeced Estimate for electrification of villages Samar Gopal Pur, Kharainthi, Tatoli and surrounding Rural Areas sanctioned, —vide composite Punjab State Electricity Board office order No. 1/PSEB/(F&B), dated 27th January, 1962.

(d) Rs. 30000, Rs. 20000, Rs. 30000 and Rs. 20000 respectively.

(e) No. Rohtak distruct has the highest percentage of electrified villages in the State. Electricity Board is trying to narrow down the gap in the percentage of electrified villages of various districts. The villages in question are likely to be electrified during the Fourth Five-Year Plan depending upon the availability of funds for the purpose.

**Electrification of Pahrawar and Kasrenti Villages**

**344. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State—

(a) the estimated population of villages Pahrawar and Kasrenti of tehsil and district Rohtak;

(b) distance of each of the villages mentioned in part (a) above from 11 K.V. lines;

(c) whether the villages referred to in part (a) above are covered under any project or sub-project of rural electrification; if so, the name of the project or sub-project of the rural electrification in each case;

(d) the estimated cost for rural electrification of the villages referred to in part (a) above; and

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefor together with period within which the work is likely to be commenced and completed ?

**Irrigation and Power Minister** (Shri K.L. Poswal) : (a) Pehrawar 1634, Kasrenti 1374.

(b) Pehrawar 2 miles, Kastrenti 1 mile.

(c) Not covered under any Sub-Project Estimate.

(d) Rs. 35000 and Rs. 20000 respectively.

(e) No. Rohtak district has the highest percentage of electrified villages in the State. The gap in the percentage of electrified villages in each district is being narrowed down so as to mitigate the imbalance. The villages in question are likely to be electrified during the Fourth Five-Year Plan depending upon the availability of funds for the purpose.

## Electrification of Totoli, Bhagauti Pur, Samar, Gopalpur and Samar Khurd Villages

**345. Chaudhri Ranbir Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State—

(a) the estimated population of villages Totoli, Bhagauti Pur, Samar, Gopalpur and Samar Khurd of Rohtak Tehsil;

(b) distance of each of the villages mentioned in part (a) above from 11 K.V. lines;

(c) whether the villages referred to in part (a) above are covered under any project or sub-project of the rural electrification in each case;

(d) the estimated cost for rural electrification of the villages referred to in part (a) above; and

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefor together with the period, within which the work is likely to be commenced and completed?

**Irrigation and Power Minister** (Shri K.L. Poswal) : (a) 4325, 2462, 3670 and 500 respectively.

(b) Each of the villages Totoli, Gopalpur and Samar Khurd (Naya Gaon) is one mile from the existing line and village Bhagautipur is under the existing line.

(c) Sub-Project Estimate for electrification of villages Samar Gopalpur, Kharainthi, Totoli and surrounding rural area sanctioned, —vide compossIte Punjab State Electricity Board office order No. 1/PSEB(F&B), dated 27th January, 1962.

(d) Rs. 30000, Rs. 30000, Rs. 40000 and Rs. 15000, respectively.

**Statement by the Chief Minister in regard to Call Attention Notice No. *1**

**Chief Minister (Shri Bansi Lal)** : The factual position is that previous sporadic incidents of mischief and lawless activities at Sonepat necessitated the promulgation of a ban u/s 144. Cr. P.C. proclamation of which was duly made in the town and its intimation duly given to the organisers of the public meeting in question, who were simultaneously informed of the cancellation of permission previsouly given for the use of a microphone. Inspite of this, the organisers of the meeting indulged in a deliberate deflance of the ban on meetings, processions, and demonstrations imposed through a valid order in the interest of public safety. The assembly at the meeting was duly administered the warning to disperse and on their failure to disperse, the police was compelled to make the arrests of Chaudhri Rizak Ram and his other associates for the aforesaid deliberate defiance of the prohibitory order. The circumstances do not warrant any suggestion of *malafide* malice or ill-will or any revengful spirit having been shown by the authorities who were only acting in discharge of their lawful duties.

*(At this stage Shri Ram Saran Chand Mital, a member of Panel of Chairman occupied the Chair)*

No lathi-charge was made at all. Two tear gas shells were used to disperse the members of the unlawful assembly when they had refused to disperse after due warning of dispersal had been given to them.

The students of C.R.A. College, Sonepat, indulged in brick-batting and assulted the Police Personnel on duty. Since the students has escaped into the College premises to avoid arrest, the Police entered the area in hot pursuit to effect arrests of the accused, wanted in case FIR No. 20 dated 15th February, 1970 u/s 143/147/149/186/188/332/352. IPC, P.S. City Sonepat. It is incorrect that any student or any body else was beaten by the Police there.

**Statement by the Chief Minister in regard to Call Attention Notice No. 2**

**Chief Minister (Shri Bansi Lal)** : It is totally incorrect that the State Government did not make timely and suitable arrangements for maintaining law and order. It is also incorrect that the Government machinery could not foresec the possibility of outbreak of such disturbances in the wake of adverse decision on Chandigarh Issue. The State Government was fully aware and alive to the situation and the possibility of disturbance in the State. The State Government took adequate percautionary measures. The Disstrict authorities were alerted, and the Central Government were also requested for Police and Army assistance. Twelve Companies of C.R.P. and 22 Companies of B.S.F. were obtained and deployed in various districts during the disturbances. As an extra safegaurd the military authorities were also requested to move their troops in sufficient strength to all the District Head-quarters on the night between 29th and 30th January, 1970 as a stand-by, so that they could be available to the district authorities whenever required,. Fifteen Platoons of H.A.P. were deployed in various districts and the Home Gaurds were also

summoned and posted to guard the vulnerable points in the districts. A Control Room was established at the State Headquarters and at each district headquarters in order to keep constant contact with the happenings in the districts. The situation which had taken an ugly turn on 30th and 31st January, 1970, the first two days of disturbances, was brought quickly under control with the use of minimum force. It was because of the timely, well-planned, effective, and firm action by the district authorities that this situation was brought under control so quickly.

It is possible to fix responsibility for these disturbances on any particular element. It was partly a spontaneous eruption because some sections of the people felt aggrieved with the decision to give Chandigarh to Punjab. The situation, however, took an ugly turn because some anti-social and mischievous elements tried to exploit it by inciting and instigating the students with ulterior motives and with the sole intention of causing embrassment to Government.

The Government machinery had foreseen the possibility of such happenings and acted with great promptness, when the disturbances occurred and became widespread. There was no default on the part of authorities and there is, therefore, no question of taking any action against them.

**Mr. Chairman** : The Hon. Minister for Health and Development had promised to make a statement on Call Attention Motion No. 3 today. He may please do so.

**Statement by Health and Development Minister in regard to Call Attention Notice No. *3**

**Health and Development Minister** (Chaudhri Khursheed Ahmed): As reported in the press, a deputation of teachers met the Prime Minister of India on 25th January, 1970, but no copy of any memorandum stated to have been presented to the Prime Minister has been received from the P.M.'s Secretariat by this State Government. It is tue that a deputation of these teachers met the Chief Minister and Education Minister on 14th February, 1970 and presented a memorandum of their grievance.

2. Some of the prominent grievances of the teachers are :

(i) restoration of cut imposed in the dearness allowance admissible on revised pay;

(ii) Exemption from the payment of professional tax;

(iii) payment of pension to provincialised teachers;

(iv) payment of hosue-rent allowance/education allowance and medical allowanve.

(v) scrapping of policy of transfer of teachers formulated in 1968;

(vi) formation of Whitely Councils.

2 (i) In respecto of the restoration of cut imposed in the Dearness Allowance admissible on revised pay to teachers, it is stated that the scales of pay recommended by the Kothari Commission and which were allowed to teachers with effect from 1st December, 1967, were inclusive of the element of Dearness Allowance as existing in November, 1966. The total

dearness allowance admissible on General Government rates on revised pay to teachers was, therefore, reduced by an amount equal to the amount of dearness allowance as existed in 1966 because that portion of Dearness Allowance was merged in the revised pay scales and made part of their basic pay.

For instance, a J.B.T. teacher who was drawingan amount of Rs. 18.50 as D.A. on 1st November, 1966 was allowed Rs. 79.50 as D.A. on revised pay instead of Rs. 98 which would have been normally admissible to him in case no cut was imposed in the total D.A. admissible to teachers on revised pay. But this portion of D.A. viz., Rs. 18.50 was, however, made part of their pay with effect from 1st December, 1967. In this connection, it is also stated that one of the teachers has field a writ petition in Punjab and Haryana High Court which is still pending in the said court. The matter, therefore, is *subjudice*.

2(ii) The professional tax is levied on all Government servants who are posted within the jurisdiction of Panchayat Samitis and not on teachers alone. The demand of giving exemption from payment of this-tax to teachers alone cannot, therefore, be acceded to.

2 (iii) The teachers of Local Bodies' institutions were taken in Government service with effect from 1st October, 1957—the date of provincialisation of local bodies' institutions. Prior to provincialisation, these teachers were entitled for contributory provident fund and this benefit is also being given to them after provincialisation. However, the demand of these teachers for giving them pensionary benefits

as admissible to the teachers in the State Cadre is receiving active e consideration of the Government and an appropriate decision in this regard will be taken in due course of time.

2 (iv) The house-rent allowance and medical aid facilities are provided to the teachers as well, as these are allowed to other Government employees. The teachers who are working in such villages which are within 5 miles of the periphery area of municipal towns are also allowe4d house rent allowance in case they do not get residential accommodation in villages. As far as the question of payment of education allowance to teachers is concerned, Haryana Government do not allow this facility to other Government employees and as such, a facility cannot be allowed to teachers alone.

2 (v) The policy of posting of teachers beyond 20 miles of their home villages and outside their home districts was formulated after giving mature consideration to this problem. There were frequent complaints from the public that the teachers being posted near their home villages and towns do not attend to their duties punctually and regularly and this tendency adversely affect the education of the children. Government, therefore, is not ready to accept any change in this policy because it is not in public interest and is likely to invite public criticism.

2 (vi) The demand for creating a body like Whitely Councils was also raised by the Subordinate Services Federation which represents all categories of employees and is separately under consideration of the Government. It is expected that some decision in this regard will be taken in due course.

3. Government, however, fully realizes its responsibility and is always ready to consider the genune grievances of its employees including those of teachers. This is quite apparent from this fact that Haryana Government was ond of the few Governments in the country which accepted the recommendations of Kothari Commission regarding the revision of pay scales of teachers and revised their scales with effect from 1st December, 1967, making these recommendations a basis.

**Mr. Chairman** : Now the hon. Agriculture Minister may make a statement in reply to Call Attention Motion No. 5 by Shri Fateh Chand Vij.

**Statement by the Agriculture and Labour Minister, in regard to Call Attention Notice No. *5**

**Agriculture and Labour Minister** (Chaudhri Ran Singh) : The minimum wages for Textile Industry were notified in Haryana from 14th July, 1969. The management of Khadi Ashram, Panipat have approached the Labour Department, Haryana, for exemption from the provisions of Minimum Wages Act, 1948, but no exemption has been granted so far. The matter is being examined and it will be decided on merit after taking into account the conditions obtaining in other States in the Country. It is understood that a negligible section of the workers led by Khadi Karamchari Sangh, Panipat, have resorted to hunger strike since 30th January, 1970, to press their demand for the implementation of the minimum wages fixed by the Government for the Textile Industry. In fact, the union has never approached Government to intervene in this matter before they ndulged in direct action or hunger strike

whatever it may be called. They sent a telegram to the Labour Officer, Karnal, on 1st February, 1970 after resorting to hunger strike. The Labour Officer, Karnal, called their representatives on 3rd February, 1970 and informed them that the question will be examined and they would indulge in direct action. The workers promised in writing that they would discontinue the hunger strike. Government recognize the right of the workers for trade union and their right to collective bargaining. When the union has taken up the matter directly with the management (Khadi Ashram) depending on their union strength and capacity to bargain without the help of the State, there is no need for the Government to intervene particularly when there is no demand notice nor there is any law and order problem which warrants the intervention of the State Government.

There are about 50000 artisans in Khadi Industry who spin and weave at their own homes. About 500 employees are working in production Centres, finishing, processes and in sale depots. The Khadi Ashram is managed by Khadi volunteers who work with missionary zeal. At Panipat there are only about 175 workers. It is run on no profit and no loss basis. If at all there is any profit the benefits are distributed to the artisans as envisaged b Mahatma Gandhi Jee. The wage structure of the lowest paid ranges from Rs. 90 to Rs. 125 besides rent-free accommodation and other facilities including promotion to the Supervisory Staff. The wage structure of the Supervisory Staff is Rs. 125 to Rs. 325 with rent-free accommodation, Provident Fund, etc.

The workers met the Labour Commissioner on 13th February, 1970 and submitted a memorandum which is being examined along with the memorandum of the Khadi Ashram.

**LEAVE OF ABSENCE**

**Mr. Chairman** : Hon. Members, Chaudhri Sarup Sing, a Member of this House, has applied to the hon. Speaker for leave to remain absent today. The letter reads :

"I am unable to move from bed and, therefore, cannot attend the Assembly sitting today. I will therefore, request you to kindly grant leave of absence for the 19th February, 1970."

**श्री मंगल सैन** : चेयरमैन साहब, प्वायन्ट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब यह नयी प्रथा कैसे शुरू कर रहे हैं।

**श्री सभापति** : क्या आपने रूल को पढ़ा है ? पहले आप रूल पढ़िए।

**श्री मंगल सैन** : चेयरमैन साहब, मैं तो प्रथा की बात कर रहा हूं क्या आज यही प्रथा रही है ? (व्यवधान)

**Mr. Chairman** : I invite your attention to Rule 59 of the Rules procedure and conduct of Business in this connection. It says :

"(I) If a member finds at any time that he would be unable to attend the sitting of the Assembly for a period of sixty consecutive days as conputed in the manner provided in Article 190(4) of the Constitution he shall apply

for permission of the Assembly. He may either move a motion himself or authorize any other member to do so on his behalf or may apply in writing to the Speaker, stating the reason for his absence and seeking the permission of the Assembly."

**श्री मंगल सैन** : हमें आपत्ति तो कोई नहीं है लेकिन यह रूल की बात है।

**Mr. Chairman** : I know the Rule. I have been dealing with such matters myself.

**श्री मंगल सैन** : एक दो दिन की छुट्टी लेने के लिए रूल्ज के मुताबिक इजाजत की जरूरत नहीं है।

**Mr. Chairman :** You should know the Rules. Now, it is a question of one day's absence and later he can ask for more leave. The question now is whether he may be given the leave of absence from the House.

**श्रीमती चन्द्रावती** : प्वायन्ट आफ आर्डर, सर। मिस्टर चेयरमैन, ..... बैड प्रेसीडैन्ट हो जायेगा यदि हाउस में छुट्टी का मामला लाया जायेगा। सैक्रेटरी ..... भी यह काम कर सकते हैं।

**Mr. Chairman** : It is not a question of any precedent. It is a question of rules which require that the leave of the House may be taken. In the connection, I invite your attention to sub-rule (2) of Rule 59, which ------- :

"If an application is made it shall, as soon as may be, be read out by the Speaker to the Assembly."

**चौधरी रणबीर सिंह** : सभापति महोदय, क्या किसी और सदन में, या पंजाब के सदस्य भी अपनी गैरहाजरी के लिए सैक्रेटरी महोदय से गैर–हाजिरी के ..... छुट्टी की आज्ञा मांगते हैं ? यह तो इसी प्रदेष के रूल की प्रक्रिया है और ..... में तो ऐसे रूल की प्रक्रिया नहीं है। मैं मानता हूं कि शायद माननीय सदस्य . ..... इस बात को ज्यादा अच्छा मानते हैं कि सदन से वह गैर–हाजिरी की छुट्टी की ..... मांग लें बजाय इसकि कि सैक्रेटरी साहब से वह अपनी गैर–हाजिरी के लिए छूट ..... (व्यवधान) .....

**मलिक मुख्तियार सिंह** : चेयरमैन साहब आपकी परमिषन से एक सबमिषन करना चाहता हूं अनफार्चुनेटली हम तो कल बाहर चले गये थे लकि चीफ मिनिस्टर साहब ..... साहब के एड्रैस के ऊपर बहस का जो बवाह दिया है वह आज अखबरात में मैंने देखा है। उसमें उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की है। मैं उनका बहुत–बहुत शुक्रिया करता हूं। चेयरमैन साहब, उसके अन्दर यह जो तारीफ की गई है, मैं इस आउस के जरिये आपको बताना चाहता हूं कि इस तारीफ के पीछे एक राज है और इस ताह से मुझे वह, पब्लिक के अन्दर और इस लेजिलेस्चर के अन्दर इस किस्म के स्टेटमैन्ट्स देकर इन्टैन्शनली गलतफहमियां पैदा करके, मेरे आइडीयाज को आइसोलेट करके, एक्सप्लायट करना चाहते हैं दैट इज वैरी बैड।

**Mr. Chairman** : You are not capable of exploitation.

**मलिक मुख्तियार सिंह** : अगर आप यह कह देते बड़ा अच्छा होता। चेयरमैन साहब कोई ऐसी बात नहीं, अपना इतना क्यों कर रहे हैं ? खैर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जानबूझकर आर.एस.एस. जमात पर जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की सब से बड़ी पार्टी है इस किस्म के इल्जामात लगा कर उसको बदनाम करने की कोषिष की है यह बहुत बुरी बात है। चेयरमैन साहब मैं इसको चैलेन्ज करना चाहता हूं और इस हाउस के अन्दर चीफ मिनिस्टर को चैलेन्ज करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए और अगर यह साबित हो जाये तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

**श्री सभापति** : कल जब चीफ मिनिस्टर महोदय यहां पर भाशण दे रहे थे उस वक्त आप कुछ बोलते तो वे जवाब दे देते। जब डिसकषन की इजाजत नहीं है, मामला खत्म हो गया है।

**श्री मंगल सैन** : प्वायन्ट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब। मैं आपकी रूलिंग चातहा हूं। एक नाजायत बात जब मुख्यमंत्री करता है। और जनता को गोलियों से उड़ाने के बाद जब जुडीषियल इन्कवायरी कराने को भी तैयार नहीं तो हमारा तो यह हक था और इसलिए कल हम वाक आउट कर गये। (व्यावधान), चेयरमैन साहब जब से आप चेयर पर बैठे हैं, मुझे आप ठीक से बोलने ही नहीं देते हैं। चेयरमैन साहिब मुझे बोलने तो दीजिए, आप ऐसा न कीजिये। आप तो हर एक मौके पर हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं .... (व्यावधान) .....

**Mr. Chairman** : It is not proper for the hon. Member to make such remarks. He should take his seat. He should know that when a Member of the House occupies this Chair, he is supposed to be a non-partyman. During the course of Point of Order, I will not permit any hon. Minister to make any objectionable remarks.

यह बात उड़ी काबिले एतराज है; इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। हां प्वायन्ट आफ आर्डर आप उठा लीजिए। आप बताइये कि मेरा यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है। उसकी एक्सप्लेनेषन आप दे सकते हैं। You will have full time to say that. दूसरे जिस ढंग से आप बात करते हैं that is very objectionable and I will not permit that.

**श्री मंगल सैन** : चेयरमैन साहब, मैं उस अन्दाज को वापिस लेता हूं। मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि सुबह–षाम मेम्बरों से मेरी बात होती रहती है, लेकिन जब कोई आनरेबल मैम्बर चेयर पर बैठता है तो वह किसी भी पार्टी का मैम्बर नहीं रहता। चेयरमैन साहब मेरी प्रार्थना है और मैं आप की रूलिंग भी चाहता हूं कि कल वदन में एक बात कही गयी जो बेबुनियाद थी और वह एक आनरेबल मैम्बर के खिलाफ इल्जाम लगाये जाने वाली बात थी। तो क्या चेयरमैन साहब आप मेरे प्वायन्ट आफ आर्डर के द्वारा उन्हें अपनी बात एक्सप्रैस करने का अवसर देंगे या नहीं ?

**श्री सभापति** : इसमें वैसे कोई परसनल एक्प्लेनेषन की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था यहां रिप्रजैन्ट होती, और उसका रिप्रेजैन्टेटिव अगर कोइ बात कहता तो जरूर उसका जवाब दिया जाता। जहां तक चौधरी मुख्तियार सिंह का ताल्लुक है उस बारे में उन्होंने जो कुछ कहना था वह कह दिया। उसमें भी दूसरी बौड़ीज के बारे में कोई जिक्र नहीं है। He represents that body here. He has given the personal explanation and made his position clear. Further discussion on the Governor's Address is over and the resolution on the Governor's Address has also been passed.

**मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल)** : चेयरमैन साहब, क्या चौधरी मुख्तियार सिंह जी के मुताबिक जो मैंने कल कहा था, उन्होंने उसे मान लिया है ?

**मलिक मुख्तियार सिंह** : चेयरमैन सहब, मैंने सुना नहीं कि इन्होंने क्या कहा ?

**श्री बंसी लाल** : मैंने कहा है कि क्या चौधरी मुख्तियार सिंह जी के मुताबिक जो मैंने कल कहा, उसको आपने मान लिया है या नहीं।

**श्री सभापति** : चौधरी साहब, आप उस झगड़े में न पढ़िये।

**मलिक मुख्तियार सिंह** : मैं यह समझता हूं कि यह बात जानबूझ कर की जा रही है। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं

चेयरमैन साहब, मैं इके झगड़े में या डिसकषन में नहीं पड़ता। कल इन्होंने कुछ तारीफ की थी कि मैंने तो चण्डीगढ़ के मामले में सहायता दी है लेकिन अपोजिषन पार्टियों ने कोई सहायता नहीं की है।

**श्री बंसी लाल** : उन्होंने ही दी है, वे खुद कह रहे हैं।

**मलिक मुख्तियार सिंह** : चेयरमैन साहब, इंडिविजुअल के तौर पर जो भी मेरा कन्ट्रीब्यूषन हो सकता था वह मैंने किया और पार्टी की तरफ से भी जो हो सकता था वह हुआ है।

**Mr. Chairman** : Let the matter be over now and let us proceed with the resolution.

**श्री मंगल सैन** : चेयरमैन साहब, उनकीयह स्टेटमैंट एबसोल्यूटली रोंग है कि अपोजीषन में सहायता नहीं की।

**श्री सभापति** : क्या आप अपनी एक्सप्लेनेषन दे रहे हैं ?

**चौधरी रणबीर सिंह** : चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आप भी उस कमेटी के मैम्बर हैं, मैं भी था, जिसने चण्डीगढ़ का केस तैयार किया है। आप भी जानते हैं कि मिसीज ओम प्रभा जैन जी ने कितना काम किया परन्तु पता नहीं वे क्यों इन्कार कर रही हैं ?

**Mr. Chairman** : The matter is over now. Let us proceed further.

**खान अब्दुल गफ्फार खां** : चेयरमैन साहब, अभी चौधरी साहब ने कहा है कि पंजाब असैम्बली में भी सैक्रेटरी को यह अख्तियार नहीं था कि वह किसी मैम्बर की गैर हाजिरी को कन्डोन कर सके। लेकिन मुझे मालूम है कि पंजाब असैम्बली के स्पीकर साहब को तथा सैक्रेटरी को हम लिखते थे कि मेहरबानी करके गैर–हाजिरी को कन्डोन कर दें। उस समय हम दोनों को लिखते थे, कभी स्पीकर को कभी सैक्रेटरी को लिख देते थे, और सैक्रीटेरिएट हमारी गैर–हाजिरी को कन्डोन कर देता था। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब असैम्बली में सैक्रेटरी को यह हक रहा है।

**श्री सभापति** : ठीक है। (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह** : चेयरमैन साहब, खान साहब ने तो यह बताया था कि वजारत बनाना काफी भारी जुर्म है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैंने यह कहा था कि आज के दिन को पंजाब की असैम्बली के इलावा कुछ थोड़े ही सदन ऐसे हैं जहां पर मैम्बरों को अपनी गैर–हाजिरी की माफी विधान सभा के सैक्रेटरी से मांगनी पड़ती है। यह ठीक है कि विधान सभा के सैक्रेटरी को यह अधिकार है कि एबसैन्स (गैर हाजिरी) को कन्डोन (माफ) कर सके लेकिन जहां तक लम्बे अर्से के लिए गैर–हाजिरी का सवाल है, इसके लिए तो आउस को ही छुट्टी देने का अधिकार है, चाहे वह पंजाब हो चाहे हरियणा हो। खान साहब की पुरानी बात यदि आ

गई होगी कि नहरों की कट हुई, यह तो हमारे बस की बात नहीं है।

**खान अब्दुल गफ्फार खां** : सवाल यह नहीं। कहना यह चाहिए कि नहरों की काट–वाट हुई, तो वह भी अल्ला के फजल से आप काटते ही रहे (विघ्न) .....

**THE PUNJAB PRE-EMPTION (HARYANA REPEAL)**

**BILL, 1970 (INTRODUCED)**

**Shri Daya Krishan** (Jind) : Sir, I move–

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Haryana Repeal) Bill, 1970.

**Mr. Chairman** : Motion moved–

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Haryana Repeal) bill, 1970.

**Mr Chairman** : Question is–

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Haryana Repeal) Bill, 1970.

*The leave was granted.*

**Shri Daya Krishan** : Sir, I beg to introduce the Punjab Pre-emption (Haryana Repeal) Bill, 1970.

**RESOLUTION REGARDING THE GRAND OF CERTAIN CONCESSIONS TO THE INDUSTRIES IN VIEW OF THE INDUSTRIAL BACKWARDNESS OF HARYANA**

**Mr. Chairman** : The Bill has been introduced. Now I would request Shri Vij to move his resolution.

(श्री फतेह चन्द विज बोलने के लिए खड़े हुए)

**चौधरी रणबीर सिंह** : चेयरमैन साहब, यह दूसरा प्रस्ताव जो है, यह तो पहले प्रस्ताव में भी अहम है। अगर माननीय सदस्य मान जाएं तो ..... (विघ्न)

**Mr. Chairman** : No please. We will follow the order on the Agenda for today.

**चौधरी रणबीर सिंह** : चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हूं कि यह जो पहला प्रस्ताव है, यह बहुत ही अहम है और दूसरा उस से भी ज्यादा अहम है, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर वह दूसरा प्रस्ताव मूव होने दें।

**श्री दया कृश्ण** : चेयरमैन साहब, जिस तरह से रेजोल्यूषन ऐप्रूव है, उसी तरह से कार्यवाही चलनी चाहिए, क्योंकि मैम्बरान इसके लिए तैयार हो कर आए हैं।

**Mr. Chairman** : We shall proceed with the resolution in the order in which they are set in the agenda papers please.

**श्री फतेह चन्द विज (पानीपत)** : चेयरमैन साहब, मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं। मगर मजबूरी है कि जो रेजोल्यूषन हमारे वाला है, वह भी काफी अहमियत रखता है,

इसलिए मैं उनको अकमोडेट नहीं कर सकता। So, Sir, I beg to move :

In view of the Industrial Backwardness of Haryana, this House recommends to the Government to approach the Central Government that the following concessions should be allowed to all the Industries coming up during the Five Years' period commencing from April, 1970 :

(1) Relief from the Income-tax;

(2) Relief in the Central State Tax;

(3) Placing of sufficient funds at the disposal of the State by the Central Government, for loan to the Industries;

(4) Easy availability of raw material at reasonable rates; and

(5) Priority for amenities required for the Industries.

**श्रीमान् चेयरमैन साहब** : मैंने आज जो यह प्रस्ताव हाउस के सामने अभी रखा है यह बड़ा सिम्पल सा है (इस समय उपाध्यक्ष पदाअसीन हुई) अगर डिप्टी स्पीकर साहिब, यह सारा हाउस इस प्रस्ताव के पेषेनजर अपनी गवर्नमेंट से अनुरोध करे हक वह मुतफिक्का राय से पास किया जाए और सेंट्रल गवर्नमैंट से वह सब रियायतें जो इस प्रस्ताव के जरिये मांगी गई हैं, लेने में कामयाब हो जाए तो जो यह कहा जाता है कि हरियाणा इंडस्ट्रीज के लिहाज से पिछड़ा हुआ है, वह पिछड़ापन दूर हो जाएगा और

तरक्की करके यह दूसरी स्टेटों के मुकाबिले में आगे आ जाएगा। यही नहीं, मेरा अनुमान यह है कि सारी स्टैटों से भी आगे निकल जाएगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1966 की यकम नवम्बर से पहले हरियाणा के साथ बहुत भेदभाव बरता जा रहा है और 1964 में जो इन बेइन्साफियों के कारणों को मालूम करने के लिए कमेटी बनी तो उसकी रिकमेंडेषन में यह बात साफ हो कर आ गई थी कि पंजाब का अब जो इलाका है, विभाजन के बाद उस इलाके को हरियाणा के इलाके से पंजाब (ज्वायंट पंजाब) में अधिक तरजीह दी जाती रही है और हर प्रकार से इंडस्ट्री में इस इलाके को बैकवर्ड रखा गया।

मुझे याद है कि विभाजन के पहले के पंजाब में स्माल स्केल के 22 हजार यूनिट रजिस्टर्ड में जिसमें से 18 हजार पंजाब वाले हिस्से में थे और सिर्फ 4 हजार यूनिट हरियाणा वाले हिस्से में थे। यह बिल्कुल गलत रवैया था उस वक्त की सरकार का। लेकिन यह सब उस वक्त होता रहा। जब जब बदकिस्मती से हमसे चंडीगढ़ छीनने का फैसला किया गया है और हम नई राजधानी बनाने का सोच–विचार कर रहे हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमैंट से यह मांग करें कि हमें इंडस्ट्री के मामले में रियायतें दें ताकि हमारे यहां इंडस्ट्री तरक्की करके प्रदेष की राजधानी डिवैल्प हो सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको याद होगा कि पिछले साल डॉक्टर मंगल सैन और मैं पार्लियामैंट ग्रुप के साथ आसाम गए थे जिस

ग्रुप की लीडर आप थी तो सरकट हाउट के अन्दर वहां के निवासी जो राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले थे उन सब पूंजीपतियों और कारखानेदारों का एक डेपूटेषन हमें मिला था और उन्होंने यह मजबूरियां जाहिर की थी कि हमारा रहना यहां पर मुष्किल हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आप हमें सहूलियत दें ताकि वह हरियाणा में आकर अपना कारोबार षुरू कर सकें और अपने ग्रुप लीडर की हैसियत से उनको यह कहा था कि प्रदेष सरकार सैंट्रल गवर्नमैंट से मनवा कर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहुलियतें दिलाएंगी। आपने उनको यह भी कहा था कि जमीन भी नो प्रोफिट और नो लॉस के बेसिज पर एक्वायर करके दी जाएगी। मैं इस प्रस्ताव के जरिए हाउस से प्रार्थना करता हूं कि वह मुतफिक्का तौर पर सैंट्रल गवर्नमैंट से यह मांग मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करे।

पिछले साल सैंट्रल गवर्नमैंट के पावर लूम के 4 हजार यूनिट दिए जिनमें से 2800 के करीब पंजाब को दिए गए और 1200 के करीब हरियाणा को दिए गए। और जो यह यूनिट अलाट हुए उनके लिए ऐप्लीकेषन आए 1 साल गुजर गया है। लोगों से 100–100 रुपया पर पावर यूनिट के हिसाब से मांगा गया था। तो लोगों ने दरखास्तें भी दे रखी हैं मगर अभी तक कोई पावर लूम फिट नहीं हुआ। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, आजकल कम्पिटीषन है, लुधियाना और अमृतसर जो कि साल ही साल में इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उनके मुकाबिले में अगर हरियाणा को सहूलियतें न

मिली तो वह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। अगर साल डेढ़ साल और इसी तरह से गुजर गया तो सेंट्रल गर्वनमैंट दिए हुए प्रोजैक्ट्स को वापस करने के लिए आपको लिख देगी। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि जल्दी जल्दी यह सहूलियतें दी जाएं ताकि प्रदेष में इंडस्ट्री को खड़ा करने में मदद मिल सके।

हमारी मांग यह कोई नई मांग नहीं है इस तरह की। इससे पहले राजस्थान में कोटा में इंडस्ट्र–सैट अप करने में सैंट्रल सरकार ने इंसेंटिव प्रोवाइड किया है और जिन्होंने कोटा देखा है वह यह समझ सकते हैं कि 7–8 साल में कोर्ट में और अब के कोर्ट में स्थिति के लिहाज जमीन आसमान का अन्तर है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, 4–5 मील के अन्दर वहां पर कारखाने ही कारखाने नजर आएंगे। वहां पर जैसे ही कारखानेदारों को यह पता लगा कि जमीन भी रियायत से मिलती है और टैक्स भी फ्री है, और भी कई छूटें दी गई हैं तो धड़ाधड़ कारखाने लग गए। अब जहां भी नजर उठाए वहां ही फैक्ट्रीज लगी हुई नजर आएंगी। अब जब कि हमारी राजधानी नई बनाने का विचार षुरू हो रहा है, तो क्यों न मांग की जाए सैंट्रल गवर्नमैंट से और कारखानेदारों को क्यों न यहां आकर इंडस्ट्रीज लगाने का निमंत्रण दें। यह हरियाणा के हित में रहेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, फरीदाबाद में इंडस्ट्री लगी हुई है लेकिन उसको डिवैल्प करने में भी पंजाब सरकार का कोई पार्ट नहीं था। वह तो दिल्ली की वजह से वह एरिया डिवैल्प कर गया

हालांकि हरियाणा का इतना फायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि कारखानेदारों ने दफतर दिल्ली में रखे हुए हैं और जो टैक्स वह देते हैं वह सारे का सारा दिल्ली को जाता है। पिछले साल मुख्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो टैक्स फरीदाबाद के दिल्ली को जा रहे हैं वह किसी न किसी तरह से हरियाणा के लिए हासिल करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से दरखास्त करूंगा कि जो लौस हरियाणा का हो रहा है उसको बचाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप तो जिला अम्बाला की रहने वाली हैं, जगाधरी के अन्दर और यमुनानगर में (विघ्न).....

**उपाध्यक्ष** : मैं तो विज साहब खास जगाधरी की रहने वाली हूं।

**श्री फतेह चन्द विज** : फिर तो बड़ा अच्छा है जी। मैं अर्ज कर रहा था कि यमुनानगर और जगाधरी में बर्तनों की इंडस्ट्री हैं और ऐसे ही रिवाड़ी में भी थोड़ा बहुत यही काम है। वहां के कारखानेदारों में अपने रजिस्टर्ड ऑफिस यू.पी. के अन्दर मुरादाबाद में या बनारस के पास खोल रखे हैं। हरियाणा के अन्दर बर्तन बनाकर वह अपना माल वहां पर भेज देते हैं जहां पर उनके रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं और वहां से मुल्क के दूसरे हिस्सों को बर्तन सप्लाई करते हैं। इसकी क्या वजह है ? इस का कारण यह है कि यू.पी. के अन्दर एक परसैंट स्टेट सेल्स टैक्स है और एक परसैंट सैंट्रल सेल्ज टैक्स है, तो उनको हरियाणा में नो

परसेंट देना पड़ता है, इसलिए वह अपना माल यू.पी. में भेजते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि नो परसैंट लेने की बजाय हम दो परसैंट भी खो बैठते हैं, क्योंकि वह दूरी स्टेट को चला जाता है। इसलिए मैं यह तजबीज करूंगा कि आप अपनी सेल्ज टैक्स वाली पॉलिसी पर गौर करें और स्टेट को जो गलत पालिसी की वजह से नुकसान होता है उससे बचें। अगर हरियाणा का माल यहां पर ही बिक्री होगा तो आप को फायदा होगा।

अब मैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीयल कारपोरेषन्ज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह कारपोरेषन्ज इसलिए बनाई गई थी कि कारखानेदारों को रा–मैटीरियल मुनासिब कीमत पर और बगैर किसी किस्म की मिलावट के ला कर दें ताकि लोग अच्छा माल तैयार करें और सूबे की तरक्की हो। लेकिन अफसोस है कि जिस काम के लिए वह कारपोरेषेन्ज बनाई गई थी, वह उस मकसद को पूरा नहीं करती। उसका एक कारण यह भी है कि आफिस तो चण्डीगढ़ में है और माल वगैरहा कलकत्ते और बम्बई वगैरहा से आता है। बीच में कोई नाइजन अफसर नहीं है जो कारखानेदारों की इमदाद कर सके। इसलिए कोई लाइजन अफसर होना चाहिए। पानीपत में खड्डी का माल बहुत ज्यादा बनता है, तकरीबन बीस तीस लाख रूपए का माल हर साल एक्सपोर्ट होता है लेकिन वहां पर जो लोग काम चला रहे हैं उनको जरूरी सामान नहीं मिल पाता। हमारे डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज वहां पर जब गए थे तो वहां पर उनकी एक डैपूटेषन मिला जिसने यह बताया कि हमें

कैमिकल सलफर हासिलकरने में बहुत मुष्किल पेष आ रही है और अगर ब्लैक से ली जाती है तो वह अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती जिस का नतीजा यह होता है कि जब वह रंग लगाते हैं तो वह पक्का नहीं हो पाता और इसलिए उनके माल की मांग कम हो जाती है।इसमें उनका भी नुकसान होता है और हमारी स्टेट का भी नुकसान होता है क्योंकि जो बाहर से पैसा आता है वह नहीं आएगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह जो स्माल–स्केल इंडस्ट्रीयल कारपोरेषन्ज हैं यह स्माल–स्केल इंडस्ट्री वालों को मदद करें ताकि हमारा सूबा तरक्की कर सके और जो लोगों ने मेहनत करके इंडस्ट्री लगाई है वह फेल न हो जाएं।

एक चीज और मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कारपेट इंडस्ट्री के बारे में है। सारे मुल्क में जो कारपेट बनते हैं वह बदोई और मिर्जापुर में बनते हैं। लेकिन आपको यह सुन कर हैरानगी होगी कि उनके लिए वूल 75 परसेंट पानीपत से जाती है। इसकी वजह यह है कि यहां पर इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैंनें परसों भी चीफ मिनिस्टर साहिब को मिलकर कहा था कि यह जो कारपेट की इंडस्ट्री है इसके लिए ज्यादा मषीनरी की जरूरत नहीं होती, लोगों को सिर्फ वर्किंग कैपिटल की ही जरूरत होती है वह अगर आप इन्तजाम कर दें तो हमारी स्टेट को काफी फायदा हो सकता है लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट की पालिसी के मुताबिक वर्किंग कैपिटल नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर

साहिब ने पानीपत में भाशण देते हुए यह कहा था कि अगर कारपेट इंडस्ट्री वाले अपनी डिमांड्ज लगाएंगे तो गवर्नमेंट उनको पूरा करने के लिए विचार करेगी। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह लोगों को यह सुविधा देने की कृपा करें। तकरीबन दो लाख रुपए का माल हर साल पानीपत से एक्पोर्ट होता है लेकिन अगर सरकार वहां पर व्यापारियों को सहूलियतें दे सके तो कम से कम 40–50 लाख रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट करके फौरन एक्सचेंज कमाया जा सकता है। इसके इलावा मैंने एक और अर्ज करनी है वह यहहै कि जहां पर भी यह इंडस्ट्री लगाई जाए वहां पर फिनिषिंग प्लांट का बंदोबस्त जरूर करना चाहिए वरना जो छोटे–छोटे कारखाने लगाएंगे वह अगर पहले अपना माल देहली भेजें या लुधियाना भेजेंगे और फिर मंगवा कर व्यापारियों को देंगे तो उनको खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और वह बेचारे घाटे में रहेंगे। यह प्लांट कम से कम 10–15 लाख रुपए में लग सकता है जो कि किसी एक आदमी के लिए लगाना मुष्किल है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि वहां पर सरकार फिनिषिंग प्लांट लगाने का प्रबंध करें उससे हमारी स्टेट में यह इंडस्ट्री ज्यादा तरककी कर सकती है।

डिप्टी स्पीकर सहिबा, गुड़गांव के अन्दर एक इंडस्ट्रियल कालोनी बनाई जा रही है और वहां पर 14 रुपए गज के हिसाब से जमीन दी जा रही है। गवर्नमैंट जब जमीन एक्वायर करती है तो बहुत कम कीमत पर करती है इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि

स्टेट में इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए लोगों को नो प्रोफिट नो लौस बेसिज पर जमीन दी जानी चाहिए। हरियाणा के अन्दर चार जगहों पर इंडस्ट्री के लिए फोकल प्वायंट बनाए गए हैं, मूरथल, बहादुरगढ़, भिवानी और पंचकुला। मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार इन फोकल प्वायंट्स को अगर सब–बैकवर्ड एरियाज में सप्रैड कर दे तो उससे अधिक लोगों का फायदा हो सकता है।

पंजाब में फोकल प्वायंट्स मुकर्रर करके वहां कारखाने लगाने वालों को बड़ी सुविधाएं दी गई हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग भी पंजाब ने जो सहूलियतें दी हैं उनको मंगाकर स्टडी करे और उसमें भी जो कमियां रह गई हो उनको इम्प्रूव करके जो लोग हरियाणा में कारखाने लगाना चाहते हैं उनको वह दी जायें ताकि कारखानेदारों को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाने का इनसैंटिव मिले और हमारे हरियाणा का उद्योग के क्षेत्र में विकास हो। अगर ऐसा न किया गा तो कहीं ऐसा न हो इधर के लोग जो पहले ही निराष हैं पंजाब की सहूलियतें देखकर वहां कारखाने लगाना षुरू कर दें। इसलिए पंजाब वाली सहूलियतें यहां भी दी जाएं। विभाजन से पहले पंजाब में अमृतसर और लुधियाना में पावरलूम्ज के लिहाज से पंजाब का नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं बाहर के देषों में भी मषहूर था। हरियाणा बनने के बाद यहां भी किसी जगह पावर लूम इंडस्ट्री चालू की जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आजकल के कम्पीटीषन के जमाने में कोई भी कारखानेदार सरकार की सहूलियतों के बगैर अपने

पांव पर खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को मुताफिका तौर पर पास करके गवर्नमैंट से अनुरोध किया जाए कि सैंट्रल गवर्नमैंट से ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें लेकर यहां कारखाने लगाने वालों को दी जायें ताकि हरियाणा डिवैल्प हो सके।

**Deputy Speaker** : Motion moved—

That in view of the Industrial backwardness of Haryana, this House recommendes to the Government to approach the Central Government that the following concessions should be allowed to all the Industries coming up during the Five Years' period commencing from April, 1970—

(1) Relief from the Income-tax;

(2) Relief in the Central Sales Tax;

(3) Placing of sufficient funds at the disposal of the State by the Central Government for loans to the Industries;

(4) Easy availability of raw material at reasonable rates; and

(5) Priority for amenities required for the Industries.

**श्री बनारसी दास गुप्ता** (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री फतेहचन्द विज ने सदन में रखा है वह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और हमारे राज्य में जितने भी

उद्योग लगाने वाले हैं उनको अगर यह सभी सहूलियतें उपलब्ध हों जायें तो इस में संदेह नहीं कि राज्य में औद्योगीकरण होने में बड़ी आसानी होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, .... कि मेरे दोस्त ने भी बताया कि विभाजन से पहले जब संयुक्त पंजाब था तो हरियाणा ..... साथ हर क्षेत्र में बड़ा भारी भेदभाव, पक्षपात और बेइंसाफी होती थी। इसका एक प्रमाण उन्होंने बताया कि संयुक्त पंजाब में 22 हजार इंडस्ट्रीयल युनिट्स होती थी जिनमें से 18 हजार उन क्षेत्रों में होती थी जो आज पंजाब में है और 22 हजार में से केवल चार हजार हमारे क्षेत्र में होती थी। इस बात का तगड़ा सबूत है कि हरियाणा के साथ कितनी बेइंसाफी होती थी। डिप्टी स्पीकार साहिबा, आप बहुत पुरानी राजनीतिज्ञ हैं और आप जानती हैं कि हरियाणा के साथ कितना असहाय बर्ताव होता रहा है। इसके बाद पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा बना, लेकिन बदकिस्मती से हरियाणा बनते ही कुछ इस किस्म के हालात पैदा हुए कि इस प्रांत के अन्दर स्थायित्व नहीं आया। जिस राज्य में स्टेबिल्टी नहीं होती वहां आप जातने ही हैं कि कोई भी विकास का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। यह दुर्भाग्य था हमारा कि विभाजन होते ही और हरियाणा का जन्म होते ही यहां की लीडरषिप कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आई कि वह इसे सम्भाल नहीं सके और स्थाई प्रषासन स्थापित नहीं कर सके। उसका नतीजा यह हुआ कि साल डेढ़ साल तक जो हरियाणा के विकास के दिन थे और तरक्की का जो मौका मिला था उससे फायदा नहीं उठाया जा सका, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती

हैं और महसूर भी करती हैं कि जब से यह सरकार बनी है तब से यहां पर स्थाईत्व आया है और राज्य का प्रषासन ठीक प्रकार से चल रहा है और यही कारण है कि राज्य में हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। आप यह भी जानता हैं कि हमारा यह छोटा सा प्रदेष कृशि प्रधान प्रांत हैं। जो कृशि की उन्नति के लिए मैंने राज्यपाल महोदय से अभिभाशण पर बोलते हुए सदन के सामने बताया था कि यह सरकार भूमि सुधार के सम्बन्ध में किस प्रकार से कोषिष कर रही है और किस प्रकार जो भूमि कृशि योग्य नहीं है उसे कृशि योग्य बनाने के लिए और जो भूमि सिंचित नहीं हो सकती उसे पानी सप्लाई करने के लिए, जिस भूमि में बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाने के लिए सारे साधन जुटा रही है और यह कोषिष की जा रही है कि हमारा यह प्रदेष सारे हिन्दुस्तान में एक प्रमुख राज्य हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब चण्डीगढ़ पंजाब को देने के फैसले से हमें चोट अवष्य लगी है परन्तु इसके साथ–साथ एक बड़ी बात यह भी हुई कि फाजिल्का जैसा जरखेज, उपजाऊ और खुषहाल इलाका हरियाणा को मिला है। फाजिल्का हरियाणा में षामिल होने के बाद में आषा करता हूं कि खेती के लिहाज से हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रमुख होगा और कई राज्य इसका मुकाबलानहीं कर सकेगा। आपको पता है कि फाजिल्का में कितनी भारी मिकदार में कपास पैदा होती है और ऊन का कितना बड़ा काम होता है, वहां कितने अच्छे ढंग से सिंचाई होती है और वहां की भूमि कितनी उपजाऊ है। इसके आने से हमारे इस राज्य की समृधि में इजाफा होगा और यह फले

फूलेगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि केवल कृशि के विकास से ही कोई राज्य पूर्णतया खुषहाल और विकसित नहीं होता है। उसके साथ–साथ उद्योग–धंधों को उन्नह बनाना अत्यावष्यक है। जैसा कि मैंने पहले इस सदन के सामने निवेदन किया है हरियाणा को हर दृश्टि से पिछड़ा रखा जाता है और पंजाब का जो षासक वर्ग था उसने हमारे इस क्षेत्र के साथ पक्षपात करके उद्योग के मामले में काफी पिछड़ा रखा है। लेकिन अब, जब से हरियाणा अलग बना है, और यह सरकार बनी है जब से हरियाणा के अन्दर एक स्वस्थ प्रषासन चलाया जा रहा है। इस स्वस्थ प्रषासन के कारण है प्रौद्योगिक केन्द्र–फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरबढ़ काफी पनपे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें पहले इन केन्द्रों का जितना भी विकास हुआ था वह पंजाब में उस समय के राज्य की मेहरबानी से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था कि ये केन्द्र दिल्ली के निकट हैं। उद्योगों को दिल्ली के निकट होने से आप जानते हैं कि प्रकार की सुविधा मिलती है, दिल्ली हिन्दोस्तान का सबसे बड़ा केन्द्र है, जहां मालकी खरीद–फरोख्त बड़ी आसानी से होती है, हर प्रकार के टैक्नीसियन्ज मौजूद हैं और हर प्रकार के खरीददार मौजूद हैं। ये केन्द्र दिल्ली के पास होने से बहुत बड़े फायदे के रहे हैं।इस सारे फायदे को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में प्रोद्योगिक केन्द्र स्थापित किए गए थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन उद्योगपतियों को दूसरे क्षेत्रों में भी औद्योगिक सुविधाएं प्रदान करें, सारे हिन्दुस्तान में उद्योगपतियों को आर्शिकत करें ताकि वे

इस स्टेट में उद्योगधधे लगायें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि इस देष में जो बेकारी फैली हुई है, वह तभी दूर हो सकती है जब हम प्रदेष में उद्योगधन्धे चालू करें और उनको सुविधाएं देकर तरक्की दें ताकि बेरोजगार आदमी रोजगार हासिल कर सकें। जब तक उद्योगधन्धे नहीं होंगे, तब तक कोई भी सरकार चाहे कितनी अच्छी सरकार क्यों न हो, वह सब लोगों की जो बेरोजगार हैं, पढ़े–लिखे हैं, टैक्नीषियन्ज हैं, अषिक्षित हैं, उन को रोजगार दिया जा सकता है। उद्योगधन्धों से काफी से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार दिया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देख रही हैं और जानती हैं कि देष के अन्दर यह आषंका पैदा होती जा रही है कि भूमि पर बहुत बोझ बढ़ता जा रहा है। जमीन बंटती जा रही है, उसके कई–कई हिस्से होते जा रहे हैं। मेरी अपनी याद के अन्दर है, जो किसान पांव सौ बीघे का मालिका था, वह आज 35–40 बीघे जमीन का मालिक रह गया हैं। वह जमीन उसके बच्चों, पोतों में बंट गई है और उसकी होल्डिंग इकनोमिकल नहीं रही है। अब वे अपनी होल्डिंग से खेती करके अपना गुजारा नहीं कर सकते। हमारे सामने यह एक बड़ी समस्या मौजूद है कि भूमि पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को दूर करने के लिए अति आवष्यक है कि हम उद्योग धन्धों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की दें। मुझे इस बात से बड़ी भारी खुषी है कि हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य ने एक बड़ा उपयोगी प्रस्ताव सदन के सामने पेष किया है। जो सुविधाएं इस प्रस्ताव द्वारा मांगी गई हैं अगर वे उद्योगपतियों को दी जाय तो इसमें कोई सन्देह

नहीं है कि इस क्षेत्र के अन्दर तरक्की न हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मानता हूं कि चार फोकल प्वायंट्स लगाए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो सुविधा इन फोकल प्वायंट्स पर इन्डस्ट्र लगाने वालों को दी जाय वह उन व्यक्तियों को दी जाए जो हरियाणा के किसी भी हिस्से में अपना उद्योग धन्धा लगाना चाहते हैं। उनको इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भूमि नो प्रोफिट नो लौस बेसिज पर दी जाए। गुड़गांव के अन्दर बड़े महंगे भाव पर जमीन दी जाती है। मैं नहीं समझ पाता कि इतनी महंगी क्यों दी जाती है, ऐसा क्यों होता है ? जब सरकार की एक नीति है, एक पॉलिसी है कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भूमि नो प्रोफिट नो लौस के बेसिज पर दी जाएगी तो क्या कारण है कि इतनी महंगी जमीन दी जाती है, सरकार को इस की जांच करवानी चाहिए ताकि यह सुविधा प्रत्येक इन्डस्ट्रियलिस्ट को उपलब्ध हो। जहां भी, जो भी व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहे उको आवष्यकतानुसार भूमि मिले और वह नो प्रोफिट नो लौस के बेसिज पर मिले।

भूमि के इलावा इंडस्ट्रीज लगाने वालों को पूंजी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते जिनके पास पर्याप्त पूंजी हो ताकि वे इंडस्ट्री पर इम्वैस्टमैंट होने वाली पूंजी अपने पास से खर्च कर सकें। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें पर्याप्त ऋण मिलना चाहिए, और जो कर्जे की षर्तें हैं वे इतनी आसान होनी चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति फायदा उठा सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे सरकारी अधिकारी क्षमा करेंगे

हमारे यहां एक फाईनेलिषियल कारपोर्रेषन बनी हुई है जहां से उद्योग धन्धे लगाने वाले लोगों को ऋण मिलता है। मेरा अपना अनुभव है क्योंकि कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं और वे कर्जा लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें कर्जा नहीं मिलता क्योंकि कर्जा लेने की षर्तें इतनी कठिन हैं कि यह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वह फाईनेन्स कारपोरेषन से कर्जा ले सके। षर्तें इतनी कम्पलीकेटिड और मुष्किल हैं कि कोई साधारण आदमी उनको पूरा नहीं कर सकता। इसके अलावा इन के यहां एक लीगन एडवाईजर है, ये बाल की खाल उतारने की कोषिष करते हैं। उनकी मनषा यह नहीं होती कि ऋण लेने वाले आदमी की कोई सहायता की जाय, उसकी एक ही मनषा होती है कि किस प्रकार रूकावट पैदा की जाए कि कर्जा लेने वाला कर्जा हासिल न कर सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन षर्तों को आसान करें, सुगम बनायें। मै। यह नहीं कहता कि बिना किसी गारंटी के कर्जा दिया जाए या बिना किसी तसल्ली के दे दिया जाए। अपनी पूरी तसल्ली करें लेकिन उन षर्तों को सुगम बनायें, ताकि हर आदमी फायदा उठा सके। यह ठीक है, मैं सरकार का आभारी हूं कि इसने फाईनेंषियल कारपोरेषन से जिस दर से कर्जा मिलता था वह कम कर दी जाए। पहले 9 प्रतिषत ब्याज वसूल किया जाता था, अब वह एक प्रतिषत घटाकर 8 प्रतिषत कर दिया गया है। इसके इलावा सरकार की तरफ से, इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट की तरफ से लोन मिलता है। इसमें 20 हजार की रकम तक के ऋण पर 2 फीसदी

ब्याज लिया जाता है जिससे छोटे छोटे उद्योग धन्धे लग सकते हैं। जो पूंजीहीन व्यक्ति हैं वे ब्याज की दर थोड़ी होने से काम कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे से पहले की सरकार जो कहा करती थी कि हम राज्य के हितैशी हैं, हरियाणा को तरक्की देना चाहते हैं, मेरे दोस्त विज साहिब, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, इनके समर्थन से जो सरकार बनी थी, जिस को वे चलाते रहे हैं उसमें 3 परसेंट से बढ़ाकर 9 परसेंट ब्याज कर दिया था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब यह सरकार बनी, इसने बोर्ड में फैसला किया, इस बोर्ड का मैं भी मैम्बर था, इसने अपनी पहली ही बैठक में फैसला लिया कि इंडस्ट्रीज लगाने वालों को डिपार्टमैंट की तरफ से 9 परसेंट की बजाय 3 परसेंट पर कर्जा दिया जाएगा। बोर्ड की पालिसी में परिवर्तन किया क्योंकि हमने यह महसूस किया कि 9 परसेंट बहुत ज्यादा है, उसको घटाकर 3 परसेंट कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिपार्टमैंट के पास इतनी रकम तो होती नहीं कि वह प्रत्येक चाहने वाले को कर्जा दे सके। इसके लिए तो हरियाणा फाइनेंषियल कारपोरेषन है जिसके पास रिजर्व बैंक की तरफ से कर्जा देने की काफी छूट है। रिजर्व बैंक बहुत मोटी मोटी रकमें कर्जे के रूप में दे सकता है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह कर्जे की षर्तों को आसान करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति फायदा उठा सके। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री लगाने के लिए पानी को भी जरूरत होती है और बिजली की भी जरूरत होती है। सौभाग्य की बात है कि इस राज्य के अन्दर बिजली इतनी मात्रा में

उपलब्ध है कि हम काफी बड़े पैमाने पर सारी स्टेट के अन्दर इंडस्ट्रीज चला सकते हैं। आने वाले समय के लिए भी बिजली बोर्ड वालों से बातचीत करने से मालूम होता है कि बिजली के सम्बन्ध में इस स्टेट का भविश्य उज्ज्वल है। जहां तक पानी सम्बन्ध है, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी की कमी है मगर कुछ में आवष्यकता के मुताबिक पानी है। विज साहब ने जिन चार फोकल प्वायंट्स का जिक्र किया उनमें बहादुरगढ़ और भिवानी भी षामिल हैं। भिवानी का तो मुझे जाति तौर पर तजरूबा हैं वहां पाने का पानी लोगों को नहीं मिलता। एक तो वह नहर की बिल्कुल टेल पर है और दूसरे नहर भी केवल वाटर वर्कस, रेलवे वालों और पुराने समय से लगी हुई इंडस्ट्रीज को ही पानी देने योग्य है। अगर वहां बड़ी–बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई या औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया गया तो मैं समझता हूं कि भिवानी डिस्ट्रिब्यूटरी वहां पानी देने में नाकाफी है। उससे उद्योगधन्धे लगाने वालों की आवष्यकता कभी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जहां भी इस तरह के फोकल प्वायंट्स निष्चित किए जाते हैं और लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इन्वाइट किया जाता है वहां पहले से ही पूरी सुविधाएं तैयार रखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री एक ऐसा धन्धा है जिसमें पहले अपनी जेब से निकालकर अपनी तिजौरी में निकाल कर या कर्जा लेकर पैसा लगाना पड़ता है और यदि उस इंडस्ट्री को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह समय पर न मिले तो उसका तमाम पैसा बेकार जाता है तथा वह निर्धन होकर बैठ जाता है। मुझे हिसार का

तजरूबा है। सरकार ने वहां इंडस्ट्रियल कालोनी बनाई। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वहां मषीनरी लगाई, पूंजी लगाई, मगर मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि आज वहां आधी इंडस्ट्रियल कालोनी बन्द पड़ी हुई है। वहां पानी की सुविधा नहीं है, रा–मैटीरियल नहीं मिलता है और इसी तरह की बहुत ज्यादा कठिनाईयां उनके सामने दर पेष हैं। मेरे कई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले हैं। उनके पास जितना सरमाया था उसे उन्होंने वहा लगा दिया था मगर आज उनको इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी है। उनकी तमाम पूंजी, उनकी तमाम रकम उन लोहे की मषीनों के रूप में वहां पड़ी हैं। जिनकी आज धेले की भी कीमत नहीं। अगर उसे वे बाजार में बेचना चाहें तो एक चौथाई कीमत पर भी नहीं बिकेंगी। मुझे इस बात का डर है कि हम तो लोगों को इनवाइट करते फिरें कि आओ हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाओ मगर उनको सुविधाएं न मिलें और उनके जो पल्ले की पूंजी होती है वह भी ब्लॉक हो जाए और बेचारे खाली हाथ होकर बैठ जाएं। तो इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा में सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां वह इंडस्ट्रीज को तरक्की देना चाहते हैं, जहां वह केन्द्रीय सरकार से सुविधाएं दिलाना चाहते हैं वहां वह अपनी तरफ से भी पूरी कोषिष करें इस बात की कि किसी उद्योगपति को किसी स्टेज पर भी कोई कठिनाई उपस्थित न हो। मेरे दोस्त विज साहिब ने यह ठीक ही कहा है कि पिछले दिनों जब वह आसाम गए तो बहुत सारे लोग उनसे हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में मिले। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले

साल मुझे भी आसाम के एक बड़े षहर तनसुकिया, जहां आसाम प्रादेषिक मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था, जाने का अवसर मिला था। सौभाग्य की बात है कि वहां के जितने भी उद्योगपति थे वे सब हरियाणवी थे। मुझे बड़ी खुषी हुई, बड़ा गौरव हुआ यह देखकर कि हरियाणा के लोगों ने किस प्रकार अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से एक दूर दराज प्रदेष में जाकर इतने अच्छे अच्छे उद्योग धन्धे लगाए हैं, कारखाने लगाए हैं। उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। वे हरियाणा के अन्दर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि आज के युग की सबसे बड़ी लानत जो है वह यह है कि सब जगह प्रान्तीयता का जहर फैलता जा रहा है। हमारे जिन भाईयों ने बंगाल, आसाम और उड़ीसा में उन बुरे दिनों में काम लगाया, अपना रोजगार चलाया जब वहां तरक्की नहीं थी, कोई सूझबूझ नहीं थी, मगर आज वहां के लोगों में, जो वहां के लोकल रहने वाले हैं, इनके प्रति ईश्र्या और द्वेश पैदा हो गया है, मैं इस बात में नहीं जानना चाहता कि उसका कारण क्या है, क्या नहीं है लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ईश्र्या और द्वेश की भावना बंगाल, आसाम और दूसरे अन्य प्रदेषों में इतनी फैल चुकी है, कि उन्हें डर है कि हीं वे या उनकी पूंजी कभी खतरे में न पड़ जाए। वे अवष्य यहां आना चाहेंगे क्योंकि यह उनकी मातृभूमि है। उन्हें पता है कि हरियाणा एक पृथक प्रदेष बन चुका है और तरक्की कर रहा है। इस बात की उनके दिल में बड़ी भारी खुषी है। वे चाहते हैं कि अपने प्रदेष में जाकर इंडस्ट्रीज लगाएं। इससे पहले भी मुख्य

मन्त्री महोदय और मैं एक बार कलकता गए थे। वहां हरियाणा नागरिक संघ का अधिवेषन था। उस वक्त भी बड़ी भारी संख्या में बंगाल के उद्योगपति हमें मिलने के लिए आए थे और उन्होंने उत्कट इच्छा जाहिर की थी कि अगर उन्हें सुविधाएं दी जायें, सहारा दिया जाए और हौसला दिया जाए तो वे हरियाणा में आकर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। तो डिप्टी स्पीकार साहिबा, जब हमारे हरियाणा के लोग जो बड़े मेहनती हैं, जिनका बड़ा तजरूबा है इस क्षेत्र में और जो बड़ी हिम्मतवाले हैं, आज दूसरे प्रदेषों में जाकर इस औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं तो क्यों नहीं वे हरियाणा में आकर काम कर सकते हैं ? आज हमारे हरियाणा के भाई जा दूसरे प्रदेषों में बैठे हैं अगर यहां आकर इंडस्ट्रीज लगायें और हम सब मिलकर ईमानदारी और नेकनियती से काम करें तो हरियाणा कितना विकसित और खुषहाल हो सकता है, इसका डिप्टी स्पीकर साहिबा कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, विज साहब की इस बात का कि नई राजधानी में इस ओर विषेश ध्यान दिया जाए, मैं समर्थन करता हूं। अभी वैसे इस स्टेज पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि राजधानी कहां बनेगी लेकिन जहां भी बने अपैर जब भी बने इंडस्ट्रीज को तमाम सुविधाएं प्रदान करने का सरकार को ध्यान में रखना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विष्वास है कि हमारे वे भाई, जिनका मैंने अभी इस बात की पूरी चेश्टा करेंगे कि

उनको वहां जगह मिले, लोन मिले, बिजली तथा पानी मिले और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलें जो कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आवष्यक होती हैं। अगर वे अपने उद्योग धन्धे वहां लगायेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो राजधानी बनेगी वह जल्दी डिवैल्प होगी, बड़ी तेजी के साथ उसका विकास होगा और दूसरे कारखाने लगाने से सरकार को बड़ी भारी आमदनी होगी और हमारे बेकार नौजवानों को काम मिलेगा, कुछ टैक्नीकल षिक्षा मिलेगी।

तो डिप्टी स्पीकार साहिबा, मैं चाहता हूं कि इस प्रदेष का औद्योगीकरण करने के लिए जो सुझाव इस प्रस्ताव में रखे गए उन्हें मनवाने के लिए केन्द्रीय सरकार पर पूरा जोर डाला जाए ताकि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हरियाणा में उद्योग–धन्धे लगाने वालों को मिल सकती हों वे मिलें और यह प्रदेष बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी कुछ दिन पूर्व भिवानी में एक औद्योगिक मेला लगा था। यह मेला केन्द्रीय सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे मुख्य मन्त्री महोदय तथा उद्योग विभाग के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वे सब गए थे। इसी तरह दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के भी बड़े बड़े अधिकारी वहां आए थे।

मैंने उस मौके पर देखा कि लोगों में कितना उत्साह था। कलकता, बम्बई और आसाम से लोग आए हुए थे और हरियाणा के भी कोने–कोने से लोग आए हुए थे। 15–20 दिन कैम्पेन चला। लोगों ने नई–नई योजनाओं के लिए फार्म और आवेदन पत्र भरकर दिए। और जिस रोज हमारे मुख्य मन्त्री ने इस मेले का उद्घाटन किया उस रोज बीस तीस हजार के करीब लोग थे। लोगों में बड़ा उत्साह और लग्न थी कि हम इस क्षेत्र के अन्दर पूरी तरह से हिस्सा लें। इसके इलावा केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से कई जिलों के अन्दर सर्वे भी किया गया है कि वहां पर इन्डस्ट्री का कितना स्कोप है। लेकिन मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिन जिलों का सर्वे नहीं कराया गया है उनका भी सर्वे कराया जाए और देखा जाये कि कहां कहां किन किन ऐरिया के अन्दर इन्डस्ट्री पनप सकती है। परन्तु डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारा यह दुर्भाग्य है कि मुझ को बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला है जो हरियाणा में इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं। उनके पास पैसा भी है परन्तु उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन–सी इन्डस्ट्री लगायें। उनको यह ज्ञान नहीं होता कि कौन–सी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे उनको भी दो पैसे का लाभ हो सकता है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और सरकार को कर की आमदनी हो सकती हो। तो मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का सरकार की ओर से प्रबन्ध होना चाहिए कि उद्योग–धन्धें के विशय में लोगों को जानकारी दें। इस प्रकार से डिमास्ट्रेषन जगह जगह पर होने

चाहिएं। जगह जगह पर पार्टी बनाकर भेजी जायें। गांवों में, षहरों में और वे लोगों को इस सम्बन्ध में जानकारी दें कि इस जगह पर यह काम अच्छा चल सकता है। इस उद्योग–धन्धे को इस एरिया में लगाओगे तो इससे आपको यह लाभ हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बात का सरकार की ओर से अष्वय ही प्रबन्ध होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेष में बहुत तरक्की होगी।

दूसरी बात यह है कि जिन क्षेत्रों के अन्दर हरियाणा में नहरें निकली हुई हैं और जहां खेती में पानी लगता है वहां तो साल में तीन चार फसलें होती हैं, वहां तो गांवों में किसानों के पास सारे साल भर का काम होता है परन्तु जैसा कि हमारा इलाका है भिवानी के आसपास का जो कि बिल्कुल बंजर इलाका है वहां पर साल में केवल एक फसल पैदा होती है वह भी सावनी की। केवल तीन महीने ही बड़ी मुष्किल से उन लोगों के पास काम होता है बाकी वे साल भर तक अर्थात् नौ महीने ऐसे ही बेकार बैठे रहते हैं। और चौपाल में चौपड़ खेलने और हुक्का पीने के सिवाए कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। इस प्रकार आप अन्दाजा लगायें कि कितनी मैन पावर वेस्ट होती रहती है। यदि गांव के अन्दर छोटे छोटे उद्योग धन्धे लगाये जायें, इन्डस्ट्रीज को पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया जाये ताकि जो हमारी मैन पावर फिजूल हो जाया जाती है उसका उपयोग किया जाए। इससे उनका जीवन का स्तर भी ऊंचा हो जायेगा दूसरे उनमें खुषहाली आयेगी। मैं इन सब बातों को सदन के सामने इस लिए प्रस्तुत करना चाहता

हूं कि सरकार खेत की तरफ खूब ध्यान दे रही है। अच्छा है देना चाहिए। क्योंकि खेती एक ऐसा धन्धा है जो कि बुनियादी धन्धा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब जो फाजिल्का का इलाका हमारे पास आ रहा है वहां बड़ी भारी मिकदार में कपास पैदा होती है इसलिए हमारे यहां कपास के बड़े भारी कारखाने लग सकते हैं। गांठें बान्धने का कारखाना या टैक्सटाईल मिल लग सकता है। फाजिल्का बड़ी भारी ऊन की मण्डी है वह हमारे हाथ में आ रही है। विज साहब ने पानीपत का जिकर किया जहां पर ऊन की बड़ी भारी मण्डी है और वहां पर बड़ी भारी इन्डस्ट्रीज भी है। मैंने स्वयं देखा है वहां पर कितने अच्छे कम्बल बनते हैं, स्वेटर बनते हैं यानि कि वहां पर भी इन्डस्ट्री लगाने का बड़ा भारी स्कोप है। पानीपत के विशय में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार वहां इन्डस्ट्री लगाने के लिए बढ़ावा देगी।

**श्री रणबीर सिंह** : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम। क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि समय की भी कोई सीमा निर्धारित की हुई है या नहीं। क्योंकि इस प्रकार तो हमें समय ही नहीं मिलेगा?

**उपाध्यक्षा** : आप को भी अवष्य टाईम मिलेगा।

**श्री बनारसी दास गुप्ता** : डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं प्रस्तावक महोदय का बड़ा धन्यवादी हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रस्ताव सदन में रखा है। जो मैं अपने दिल से जजबात सदन में

इन्डस्ट्रीज के विशय में रखना चाहता था उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं विज साहब का बड़ा कृतज्ञ हूं। जहां तक पानीपत का सम्बन्ध है उस विशय में मैं निवेदन कर रहा था कि यदि सरकार वहां पर पूरी तरह से ध्यान दे तो लुधियाना से पानीपत किसी भी तरह से कम नहीं रह सकता। वहां हौजरी को टैक्नीकल षिक्षा दे और लोगों को इन्डस्ट्री लगाने का प्रोत्साहन दें तो वहां पर बहुत इन्डस्ट्र लग सकती है। उन हौजरीज वगैरह को चाहे देषी ऊन हो या इम्पोर्टिड हो उनको सप्लाई की जाये।

इसी प्रकार से फाजिल्का के अन्दर भी ऊन के बड़े बड़े कारखाने लगाये जायें। हिसार के अन्दर भी ऐसे कारखाने लग सकते हैं। वहां भी बड़ा भारी स्कोप है। आज को लुधियाना में बना हुआ माल बंगाल, बिहार और सारे हिन्दोस्तान में जाता है यहां रूककर दूसरे देषों में यानि फोरन में भी जाता है और उससे फोरन एक्सचेंज भी मिलता है। अगर इसी प्रकार हरियाणा के लोगों को भी प्रोत्साहन दिया जाये तो यहां पर भी पूरा स्कोप है पूरा अवसर है। डिप्टी स्पीकर साहिबा इतना ही नहीं कि यहां हरियाणा में खपत होने वाली ही चीजें यहां बनेंगी बल्कि हरियाणा से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें भी बहुत मिकदार में बनाई जा सकती हैं। तो उसे बड़ी भारी फोरन एक्सचेंज हमको मिल सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, करनाल जिला तो आपके बहुज नजदीक है वहां पर खेती की तरफ सरकार का काफी ध्यान है

जिससे वहां की पैदावार में काफी बढ़ोतरी हो गई है। वहां बड़ी भारी मात्रा में चावल की पैदावार होती है, गेहूं की पैदावार होती है और भी सभी चीजें होती हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस किस्म की चीजें जो एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्रीज में आती हैं वहां तैयार की जा सकती हैं। गवर्नमैंट ऐसी इन्डस्ट्रीज को जितना अधिक लगाये उतना ही कम है। हरियाणा में बड़े बड़े कारखाने भी लगाए जा सकते हैं। जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। आजकल अम्बाला में साईंटिफिक इन्स्ट्रूमैंट कितने बनते हैं। उनकी सारे हिन्दुस्तान में खपत होती है और ये दूसरे देषों को भी एक्सपोर्ट होते हैं। इसी प्रकार से आपके जिले अम्बाला में स्पोर्ट्स का सामान बनता है सर्जिकल इन्स्ट्रूमैंट बनते हैं। आपके जिले अम्बाला में इस तरह की बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं। जिस समय भिवानी के अन्दर उद्योग मेला लगा था उस प्रदर्षनी में मैं भी गया था और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे और दिल्ली के भी बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे सबने प्रदर्षनी को देखा। डिप्टी स्पीकार साहिबा, जब हमें यह बताया गया कि ये सर्जिकल इन्स्ट्रूमैंट अम्बाला में बनते हैं यह स्पोर्ट्स का सामन अम्बाला में बनता है तो उस समय हमारा सीना फूल गया कि हमारे हरियाणा में भी इतना अच्छा सामान बनता है। हमें तो महान् खुषी हुई थी कि अम्बाला के अन्दर इतना अच्छा सामान बनता है और इतनी लोगौं में योग्यता है और इतने अच्छे कारोबार और टैक्नीषियम हमारे हरियाणा में हैं। जब सब चीजें हमारे हरियाणा में मौजूद हैं टैक्नीकल साईड पर और लोगों में इन्डस्ट्रीज लगाने का हौंसला

और तजरूबा भी है तो हम पीछे क्यों रहें ? हमारे पास भूमि है, बिजली है, पानी है तो फिर कोई वजह नहीं कि हमारा हरियाणा उद्योग–धन्धों में तरक्की न कर सके। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे अधिकारियों को इस ओर विषेश रूप से ध्यान देना चाहिए और इस बात की पूर्णरूप से कोषिष करें और उन लोगों को पूरी सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न करें और जो भी केन्द्रिय सरकार से सहयोग मिल सकता है उसको भी लेने का प्रयत्न करें।

इसके इलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि हम समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं और वे समाजवाद को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो समाजवाद में पब्लिक सैक्टर के लिए बड़ा भारी स्कोप है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन सब बातों का भी आपको मालूम है कि हमारी केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर में बड़े बड़े प्रोजैक्ट लगाना चाहती है तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिए अनुरोध करे कि दो चार ऐसे बड़े बड़े प्रोजैक्ट हरियाणा में भी लगाए जाएं। अगर एक भी बड़ा प्रोजैक्ट किसी जगह पर लग जाता है तो उससे, उसके सहयोग से और भी छोटे छोटे उद्योग धन्धे लग सकते हैं। मुझे फरीदाबाद का पता है कि वहां पर एक एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है। इस एक ट्रैक्टरों के कारखाने के सहारे दो सौ यूनिट्स फरीदाबाद में और चल रहे हैं। जो छोटे छोटे पुर्जे वगैरह बनाते हैं। यह केवल एक कारखाने के लगने से इतने यूनिट्स चल रहे हैं।

ट्रैक्टर में एक गरारी लगती है वह दूसरी फैक्टरीज में बनती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि यदि बड़े बड़े कारखाने पब्लिक सैक्टर में लगे तो फिर उसके साथ अलग–अलग पुर्जे बनाने के छोटे–छोटे कारखाने लग सकते हैं। और यह स्टेट पूरे तौर से इन्डस्ट्रीयलाईज हो जायेगी। तो मैं इन षब्दों के साथ डिप्टी स्पीकार साहिबा, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जिन सुविधाओं का जिकर किया गया है अगर इनके अलावा और सुविधाएं भी दी जा सकें तो अच्छा होगा।

**श्री कमलदेव कपिल** (फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि मेरे एक साथी विज साहब ने रखा है। आज हरियाणा जो हमारा एक छोटा सा सूबा है सिर्फ 6 जिलों का और छोटा सूबा होने के नाते एक कृशि प्रधान सूबा है। इसलिए हमारे लिए यह आवष्यक है कि हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ायें और इंडस्ट्री को तरक्की दें। सरकार का यह फर्ज बन जाता है कि वह इंडस्ट्री को हर तरह की सहूलियत दें। जहां तक हरियाणा में कृशि का सम्बन्ध है अभी इसके किसानों के पास ऐसे इम्पलीमेंट्स नहीं हैं जिससे हम अपनी खेती बाड़ी में तरक्की कर सकें, जिससे कि यहां के नौजवानों और मजदूरों को काम मिल सके जैसा कि दूसरे मुल्कों में जापान तथा अमेरिका आदि में होता है। मगर जहां तक फैक्टरीज का सम्बन्ध है इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है इसमें हम बहुत ही तरक्की कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा सूबा है

उसके दोनों तरफ नई दिल्ली जो भारत की राजधाी है, फैली हुई है और उसके नजदीक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री डिवैल्प हो सकती है।कोई भी आदमी जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है वह देखता है कि उसको वहां हर तरह की सुविधा है या नहीं। वह नजदीक अपने माल को खपाने के लिए मण्डी भी देखता है और देखता है कि उसके आसपास ऐसा षहर हो जहां पर उसको हर किस्म का माल मिल सके, लेबर मिल सके। तभी वह अपनी इंडस्ट्री लगाता है। यह प्रस्ताव विज साहब ने रखा है उनका बहुत आभारी हूं। क्योंकि मेरा जो इलाका है वह इंडस्ट्री का इलाका है और जो दिक्कतें वहां पर आती हैं मैं उन्हें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत जो आज हमारी इंडस्ट्रीज को आती हैं वह यह है कि उनको सही तौर पर जो मैटिरियल है वह नहीं मिल पाता। इसके अलावा टैक्स के बारे में पूरी सहूलियत है वह नहीं मिल पाती। दिल्ली नजदीक होने के कारण दिल्ली में सेल्जटैक्स की दर कम है और हरियाणा में सेल्जटैक्स ज्यादा चार्ज किया जाता है उसकी वजह से फरीदाबाद के इंडस्ट्रीयलिस्ट का माल लोग नहीं खरीदते हैं जिससे हमारे स्टेट रैवेन्यू पर बड़ा असर पड़ता है। सरकार का फर्ज हे कि जो दिल्ली के नजदीक इंडस्ट्रीज है उनकी मदद करे। वहां पर मण्डी कायम करे। और टैक्स का रेट बराबर करें, जिससे टैक्स की चोरी न हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता होगा कि इसी तरह यूपी का षहर गाजियाबाद दिल्ली के नजदीक है। यू.पी. सरकार ने दिल्ली के बराबर टैक्स रखा हुआ है। इसलिए वहां टैक्स की चोरी को कोई डर नहीं है। इसके बारे

में एक छोटी सी मिसाल दूं। एक स्टेट के बार्डर पर एक पैट्रोल पम्प लगा हुआ है और दूसरी स्टेट के बार्डर पर भी पैट्रोल पम्प लगा है। हरियाणा का टैक्स ज्यादा होने के कारण यहां के पैट्रोल पम्प से कोई भी पैट्रोल नहीं खरीदता और वह उजड़ा सा ही रहता है। जितने भी फरीदाबाद के इंडस्ट्रीयलिस्ट्स हैं वे दिल्ली से ही माल लेते हैं। क्योंकि वहां टैक्स कम है। तो मैं अपनी सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह अपनी स्टेट की इंडस्ट्री को बढ़ा दें। अगर सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी तो हरियाणा की डिवैल्पमैंट काफी ज्यादा होगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं फरीदाबाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमें दूसरी स्टेट्स में जाने का मौका मिला। मैं कलकते अभी गया था वहां पर मैंने देखा कि वहां लेबर ट्रबल बहुत ज्यादा है। फैक्टरीज को काफी नुकसान पहुंचाया। इसका कारण यह है कि वहां की सरकार फैक्टरीज के मालिकों को पूरा प्रोटेक्षन नहीं दे पाती। वहां के लोग चाहते हैं कि वे हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगायें। वे जानते हैं कि यहां का मजदूर काफी मेहनती है। वे यह भी देखते हैं कि लोग दिल्ली के नजदीक पहुंच जायेंगे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों के प्रति उदार बने। छः महीने के करीब हो गए मगर यहां लेबर कोर्ट कायम नहीं की जा सकी। कांस्टीट्यूषनल तौर पर हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का सुझाव दिया था। मजदूर के साथ इससे ज्यादा और नाइन्साफी क्या हो सकती है ? आज हरियाणा

में लोग इन्ट्रेस्टिड है और यहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। यहां की लेबर में अभी कम्यूनिस्टों का इतना असर नहीं है। इसलिए भी बाहर के लोग यहां इंडस्ट्री कायम करना चाहते हैं। इसलिए सरकार का भी फर्ज होता है कि जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उनकी दिक्कतों को दूर करें। फरीदाबाद में पहले वहां पर बस सर्विस थी। उस बस सर्विस के बन्द होने से इंडस्ट्री में काम करने वालों को बहुत दिक्कत होती है। और इसके साथ ही लेबर का बड़ा भारी नुकसान होता है। फरीदाबाद में 10000 लड़कियां काम करती हैं। वे बेचारी पैदल चलकर आती हैं और पैदल ही उन्हें जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि उनको हर तरह की सुविधा दी जाय। सरकार लेबर कोर्ट कायम करे जिससे कि लेबर ट्रबल न हो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मेरे साथी ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया गया है। हम इस चीज को समझ नहीं सके। कौन सी ऐसी जगह है जहां इंडस्ट्री पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। मैं यह बता दूं कि इस सरकार की लेबर पॉलिसी पहले से खराब होने से काफी स्ट्राईक्स हुई हैं। और इन स्ट्राईक्स में कम्यूनिस्टों का हाथ रहा है। इन्हीं छह महीनों में फरीदाबाद में 50 स्ट्राईक्स हुई हैं। इसका कारण यह था कि यहां के कम्यूनिस्टों का लिंक कलकता के कम्यूनिस्टों और दूसरी स्टेट्स के कम्यूनिस्टों से है। वह नहीं चाहते हैं कि कलकता की इंडस्ट्री बाहर किसी दूसरी जगह जाये। वे जहां के

इंडस्ट्रीयलिट्स को यह दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा में भी लेबर ट्रबल है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि सरकार लेबर की दिक्कतों को दूर करें जिससे ये लोग कम्यूनिस्टों की ओर आकर्शिकत न हों। कम्यूनिस्टों में फरीदाबाद में स्ट्राईक करवायी। इस चीज को रोकने की कोषिष की गई ताकि वह स्ट्राईक न करें। मगर सरकार ने उस चीज को मदद देने की बजाय कोई भी लेबर की मदद नहीं की। उलटे वहांपर लेबर को कुचलने की कोषिष की। इसी कारण से जो इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स वहां पर फैक्टरीज लगाना चाहते थे, उन्होंने नहीं लगायी और उनमें कई आदमियों के दिमाग चेन्ज हो गये। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार यह काम कर रही है, अगर वह यह चाहती है कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज बढ़ें या वह तरक्की करें तो उसे इन बातों की ओर ध्यान देना होगा। फरीदाबाद में कुछ इन्डस्ट्रीज बड़ी हैं। यह उन का बिल्कुल गलत ख्याल है। कि इस सरकार की वजह से बढ़ी है। हमारे हरियाणा में इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है कि अगर सरकार की तरफ से उनको कोई सहूलियतें नहीं दी गई तो आप देखेंगे कि हरियाणा तरककी नहीं कर सकेगा। आप देखें राजस्थान में, वहां पर सुखड़िया को वजारत ने इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स को पूरे तौर पर षैड बना दिए हैं। इन्डस्ट्रीयलिस्ट की हर तरह की सहूलियतें देकर, इन्डस्ट्रीज के पनपने में मदद की है। दूसरी तरफ यू.पी. की मिनिस्ट्री ने गाजियाबाद में पूरी सहूलियतें दी हुई हैं। हमारे लेबर एंड इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट में इस प्रकार की कोई भी सहूलियत नहीं दी हुई है।

उल्टे इंडस्ट्रीज में जो मजदूर भड़के हुए थे, उन पर लाठीचार्ज किया और उनको गिरफ्तार भी किया। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि अगर यही हाल रहा तो हमारे यहां किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं होगा। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में पूरी तरह से लेबर डिपार्टमैंट से यह कहूं कि वह वहां पर सही तरीके से मजदूरों की मांग को सुनें। हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जब कि हम दूसरे सूबे में जाकर देखते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीयलिस्ट्स को पूरी सहूलियतें दी हुई हैं। हरियाणा के लेबररज सीनसियरली और मेहनती ढंग से काम भी करते हैं और अगर आज भी हम हरियाणा के मजदूरों को देखें, तो वह आज भी 60–70–80 रुपए महीना ले रहे हैं। अगर इसके कारण उनमें निराषा होती है तो सरकार का फर्ज बनता है कि वह उनकी दिक्कतों को दूर करें। आज हमारे एक भाई ने इन्कम टैक्स के बारे में कहा, सेल्स टैक्स के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि इस रैजोल्यूषन को हमारी सरकार और यह हाउस पास करेगा। हरियाणा जो कि 6 जिलों की छोटी सी स्टेट है, इन्डस्ट्रीज के पनपने से, इंडस्ट्रीज के बढ़ने सक हमारे यहां के नौजवानों की और गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा।

**श्री रामधारी गौड** : 6 जिले नहीं 7 हैं।

**श्री कमल देव कपिल** : जीन्द का जिला तो एक छोटी सी तहसील के समान है। (विघ्न)

**चौधरी नेकी राम** : प्वायंट आफ आर्डर प्लीज। यह बात कहना कितना गलत है। मैं आपकी मारफत पूछना चाहता हूं कि अगर एक जिले को तहसील कह दें, यह एक बड़ी तौहीन की बात होती है। इसलिए मेरी आपसे अर्ज है कि आप इन षब्दों को वापिस करवायें।

**उपाध्यक्ष** : यह आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। यह कोई आब्जैक्षनेबल बात नहीं है।

**श्री कमल देव कपिल** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा हूं कि हमारे साथी श्री बनारसी दास गुप्ता, एम.एल.ए. ने कहा कि इस सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा न मिल सके। आप पिछली सरकार के बारे में भी देख लें और आज की सरकार के बारे में भी देख लें। इस सरकार के समय में जितनी मजदूर को ट्रबल हरियाणा में हुई है, पहले कभी भी हरियाणा में नहीं हुई है। इसका मैन कारण यही है कि बंगाल के कुछ इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स हरियाणा में इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते थे परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी यह नहीं चाहती थी कि यहां पर इन्डस्ट्रीज बढ़ें। यहां पर लोगों को रोजगार मिले। सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि यहां के मजदूरों को मजदूरी में या किसी और तरह से रिलीफ मिलती। तो मैं सदन के सामने जो प्रस्ताव हमारे भाई विज साहब ने यहां रखा है, इसकी ताईद करता हूं और साथ ही सरकार से यह भी मांग करता हूं कि इसके लिए स्पैषल तौर पर देखा जाये और वहां पर मण्डियां

कायम की जायें ताकि हमारे जो इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स हैं, जो भी मषीनरी लाखों रुपये की लाते हैं। वह दिल्ली से सेफ्टी करके लाते हैं, इसमें हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, वह बच सके। जैसा कि पहले मैंने यहां पर पैट्रोल के बारे में बताया था कि युनाईटिड फरन्ट की सरकार ने यहां पर दिल्ली स्टेट के मुताबिक टैक्स कर दिए थे। उससे हमारी स्टेट को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था। ऐसे ही रिक्वैस्ट मेरी इस सरकार से भी है ताकि जो लोग दिल्ली में, जो कि हमारे नजदीक की स्टेट हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। बिजनैस कर रहे हैं। उनको किसी तरह की तकलीफ न हो और सही ढंग से वे यहां पर आयें, क्योंकि उनको पहसूल चूंगी दोबारा देनी पड़ती है। इससे जो चीजें उन इन्डस्ट्रीज में बनती हैं। वे औरों के मुकाबले में महंगी बिकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे विज साहब की तरफ से रिजोल्यूषन है उसको यह हाउस पास करेगा।

**चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़)** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो भाई विज साहिब, ने प्रस्ताव रखा है, इन्डस्ट्रीज के मुताल्लिक, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि जिस देष में इन्डस्ट्रीज ज्यादा होती हैं, उस देष की गरीबी दूर होती है और इन्डस्ट्रीज के बगैर कोई भी देष तरक्की नहीं कर सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, लेकिन इस बात का ध्यान रख जाए कि इन्डस्ट्रीज जहां पहले लगी हुई हैं, दूसरी इन्डस्ट्रीज भी वहां न लगाई जाएं। इन्डस्ट्रीज वहां लगाई जाएं जहां पर जमीन सस्ती

हो, मजदूर सस्ता मिलता हो, जैसे कि तहसील नारायणगढ़। नारायणगढ़ के अन्दर जमीन सस्ती है, मजदूरी सस्ती है और वहां पर कोई कारखाना इस वक्त नहीं है। इसलिए वहां पर इन्डस्ट्रीज लगायी जाए। ऐसा न करें कि जहां पर पहले ही इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर और भी लगाई जाएं, जो इन्डस्ट्रीज या कारखाने नारायणगढ़ में चल सकते हैं हरियाणा में और कहीं भी नहीं चल सकते। मैं तो यह कहूंगा कि सारे इण्डिया में नहीं चल सकते हैं। नारायणगढ़ में मूंगफली और भााबड़ घास पैदा होता है, जिससे गत्ता और कागज बनता है। तो ऐसी जमीन को छोड़कर इन्डस्ट्रीज को बाहर लेजाएं यह ठीक नहीं है। यह मेरे इलाके के साथ अन्याय है। मैं डिप्टी स्पीकार साहिबा, आपकी मारफत यह बताना चाहता हूं कि जब इन्डस्ट्री लगाई जाए, सरकार को यह ख्याल रखना चाहिए कि उसकी कोई हद उसके लिए मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। जहां पर जमीन सस्ती है वहां लगानी चाहिए। जहां पर पहले ही इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर नहीं लगानी चाहिएं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन्डस्ट्री ज्यादा लगानी चाहिएं।

इन्डस्ट्रीज वहां लगानी चाहिएं, जहां पर जरूरत हो, लोगों को फायदा हो, जहां पर आवष्यकता नहीं होती वहां पर फायदे की बजाय लोगों को नुकसान होता है। जैसे आदमी जरूरत से ज्यादा खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है तो इसलिए अगर यह सोचा जाए कि दिल्ली में लगा दो, तो इससे सूबे को फायदा

नहीं पहुंचेगा। कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, अमीर आदमी हैं, वह एयरकन्डीषन के सिवा सो नहीं सकते। कारखाने वहां होने चाहिएं, जहां पर उनकी जरूरत हो और वहीं की लेबर हो, यदि कोई वहां पर इन्जीनियर न हो तो दूसरी जगह से ही इन्जीनियर आने चाहियें। यह नहीं होना चाहिए कि विलायत से पास किया हुआ कोई इन्जीनियर आ जाए और कोई दूसरा मिल मालिक वहां आ जाए।

**राव विरेन्द्र सिंह** : किसी एम.एल.ए. को लगाना चाहिए।

**चौधरी लाल सिंह** : मेरा मतलब यह है कि पढ़े–लिखे लोग होने चाहियें, इस देष में अगर इंजीनियर नहीं हो तो बाहर से इंजीनियर आने चाहियें और अगर यहां पर इंडस्ट्रीज हों और उनमें बाहर के लोग काम करें, तो उससे बाहर के लोगों को फायदा होगा, उससे देष की ओर हमारे सूबे को फायदा नहीं होगा। बहिन जी मेरे मुंह सं लफज निकल ही जाते हैं, प्यार छुपता नहीं है। मुझे चण्डीगढ़ से प्यार है और प्यार था अगर चण्डीगढ़ हमारी नजर से दूर हो भी गया है तो कोई बात नहीं क्योंकि यहां पर कोई इन्डस्ट्रीज नहीं है। जो परमात्मा करता है, अच्छा ही करता है, भला ही करता है। अब मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जहां पर नई राजधानी हरियाणा की बने, वहां पर बैठने के लिए महल इतने सुन्दर नहीं होने चाहियें। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भाई हम तो झोंपड़ियों में बैठकर दफ्तर का काम कर सकते हैं, मैं फिर बहिन जी प्रार्थना करूंगा कि

जितना पैसा चण्डीगढ़ में लगा है अगर आप उतना पैसा इन्डस्ट्रीज पर लगाते तो देष मालामाल हो जाता। हमारे नेता पंडित जवाहर लाल जी ने भी कहा था कि इन्डस्ट्रीज ज्यादा होनी चाहियें, लेकिन हमने किया क्या ? मकान तो यहां बनाने षुरू कर दिए और उन पर प्रदेष का सारा पैसा लगा दिया और फिर उसको बनाकर हम आपस में लड़ने लगे। मुझे दुख है पहले तो यहां की बिल्डिंगों पर इतना पैसा लगा दिया और फिर उसको लाडो बनाकर लड़ने लगे हैं। अगर इतना पैसा कहीं इन्डस्ट्रीज में लगाया होता तो देष कहीं का कहीं पर पहुंच जाता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नहीं समझ सकता कि इतनी ऐषपरस्ती चण्डीगढ़ में है क्या उससे किसी का भला हो सकता है ? मैं तो खुद नहीं समझ सकता। राव साहिब आप तो राजे खानदान से हो, मैं तो गरीब खानदान से हूं अगर राजे खानदान का आदमी कम्बन पहन करके आ जाए तो वह राजधानी की बात भूल नहीं सकता (व्यावधान)– डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत राव साहब से पूछना चाहता हूं कि आप तो महलों में रहने वाले आदमी हैं लेकिन मैं उस इलाके का हूं जहां रोटी और पानी नहीं मिलता। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं जिस क्वार्टर में रहता हूं अगर कोई वहां पर चपड़ासी रह जाए तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। एम.एल.ए. बनने के बाद भी मैं उसी क्वार्टर में रहता हूं जहां पर कोई चपड़ासी नहीं रहता है।

**श्रीमती षकुन्तला** : पंडित जी तो कहते हैं कि एक लाख रुपये की जमीन ले रखी है।

**चौधरी लाल सिंह** : जो मेरे नाम जायदाद है, वह आप अपने नाम करवा लो और जो आपकी है, वह मेरे नाम करवा दो। राव साहब की जायदाद का चौथा हिस्सा मेरे नाम हो जाए और मेरी जायदाद उनके नाम हो जाए, तो मुझे मन्जूर है।

**उपाध्यक्ष** : राव साहिब ने तो कुछ कहा नहीं है।

**राव वीरेन्द्र सिंह** : वह जमाने बहुत याद रहेंगे।

**चौधरी लाल सिंह** : राव साहब तो मेरे हमदर्दों में से हैं, वह तो पुराने नेता थे, मैं तो बहिन जी उनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन क्या करें, उनको रद्दोबदल करने की आदत पड़ी हुई है और मुझे यह आदत पड़ी नहीं। बहिन जी मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर कारखाने और इन्डस्ट्रीज लगा दी जाएं तो इस देष की खुषकिस्मती होगी, हमारा देष तरक्की करेगा। मगर उसके तरीके और ढंग अपनाने चाहियें। जहां पर पहले एक या दो इन्डस्ट्रीज हों, वहां और लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहिन जी, मैं आपके थ्रू सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा तरककी हो। वहां पर लगाएं, जहां पर उसकी जरूरत हो। जो लोग भूखे मरते हैं, बेकार हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए और जहां पर जमीन और सब चीज ज्यादा सस्ती हो, वहां पर ही

इन्डस्ट्री लगानी चाहिए। इन्डस्ट्र की आवष्यकता सब से ज्यादा तहसील नारायणगढ़ में है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो इन्डस्ट्री में मजदूर काम करते हैं, वे इन्डस्ट्री के नौकर नहीं होने चाहिए वे हिस्सेदार होने चाहियें। अगर सरकार को यह बातें मन्जूर हों कि आदमी नौकर नहीं, बल्कि वह इन्डस्ट्री का मालिक हो तो ही फायदा होगा। अगर कोई आदमी इन्डस्ट्री लगाए और फिर 6 महीने विलायत में रहे तो उससे देष का भला नहीं हो सकता। बहिन जी यह भी कोई बंदिष नहीं होनी चाहिए कि इतने मील की दूरी पर कारखाने या इन्डस्ट्री हों। बल्कि कारखाने के सामने कारखाने होने चाहिएं ताकि एक दूसरे को देखकर तरक्की करें ? दुकानों के सामने दुकानें होनी चाहिए, इससे कम्पीटीषन बढ़ता है। जिस तरह क्रेन क्रैषन पर कोई बंदिष नहीं है। आज बन्सी लाल जी गन्ने के क्रषर लोगों को दे रहे हैं, कोई भी लगा ले तो हर आदमी को फायदा होगा। उसी तरह से इन्डस्ट्रीज पर भी बन्दिष नहीं होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, में आपके थ्रू सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी इन्डस्ट्री लगाना चाहता है, पढ़ा–लिखा है, मगर उसके पास पैसा नहीं है। सरकार कहती है कि कुछ हिस्से पहले वह जमा करे, तो फिर पैसा मिलेगा, यह बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके पास इतना पैसा न हो और सरकार भी पैसा न दे, तो वह कैसे कारखाना लगायेगा ? सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को इसकी पूरी छूट मिले। मेरा सुझाव है ट्रेनिंग के लिए एक सैन्टर खोला जाये और उस सैन्टर के अन्दर पुराने अफसर रखे जाएं, जो

रिटायर हुए हों, जिनको तजरूबा हो, वह सलाह दें कि कौन–कौन सी इन्डस्ट्री कहां पर लग सकती है, या नहीं लग सकती हैं। गांव में पुराने आदमियों को तजरूबा होता है लेकिन बहिन जी यहां क्या होता है कि जो आदमी रिटायर हो गया वह कन्डैम हो गया। रिटायर होने के बाद सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमियों की सलाह ले। होता क्या है कि एक दो महीने के बाद ऐसे अफसर सड़कों पर घूमते रहते हैं उनकी सेवाएं नहीं ली जाती। सरकार को चाहिए कि ऐसे तजरूबेदार आदमियों की एक कमेटी बनाए और उसमें पुराने रिटायर तजरूबेदार अफसलों को रखा जाए। रिटायर इन्जीनियरों को सरकार को एक एडवाइजरी कमेटी में ले लेना चाहिए, जिससे सरकार को फायदा होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दरखास्त करूंगा कि जो इस किस्म के आदमी हैं, जिन्हें काम करने का तजरूबा है, उनकी सरकार एक एडवाइजरी कमेटी बनाएं। जब तक उनके दिमाग में ताकत है तब तक अपने अफसरों से काम लेना चाहिए। मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। बुरा न मानना। मुझे अगर कारखानों का मिनिस्टर बना दो। यह तो सबको पता है कि मैं वोट लेकर चुनकर यहां आ गया मगर कारखानों के बारे में मुझे पता कुछ नहीं। तो अगर मुझे कारखानों का मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या होगा ? जिस डिपार्टमैंट का मिनिस्टर बनाया जाएगा, यदि उस डिपार्टमैंट की जानकारी न हो तो उसका भट्ठा बैठ जाएगा। इसलिए जिन अफसरों को तजरूबा है  वही अच्छा काम कर सकते हैं और स्टेट को फायदा पहुंचा सकते हैं।

एक बात में अपोजिषन के भाईयों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बंसीलाल जी ने हरियाणा को उठाने की कसम खाई है उसी तरह से अपोजीषन वाले भी हरियाणा की भलाई करने की ठान लें तो हरियाणा का भला हो सकता है।

जहां तक कारखाने के अन्दर मजदूरी करने वाले का सवाल है, उसको अगर तरक्की मिले तो वह भी कारखाने की बेहतरी के लिए काम करेगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, होता इसके उलट है। एक या दो आदमी मिलकर उस कारखाने की आमदनी खा जाते हैं और मजदूर देखता का देखता रह जाता है। इससे भला नहीं हो सकता कि बड़े बड़े लोगों के लड़के अमेरिका में पढ़ने चले जाएं या सैर करने चले जाएं और वहीं से बैठे बैठे लोग यहां इन्तजाम करते रहें और कारखाना चलता रहे। उन्हें यहां आकर काम करना होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज हमारी देषी है, हमारी मादरी है, उसकी हम बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हम नकल करके बड़े नहीं हो कते। यहां पर कारखाने में जाकर इंजीनियर लोग मजदूर से अंग्रेजी बोलते हैं। वह बेचारा क्या समझे ? अपनी जबान में अगर आप बोलें तो कारखाने का मजदूर आपकी भाशा को और आपकी हिदायत को ठीक से हासिल करेगा। यहां की बड़ी विचित्र हालत है। मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला था। वहां पर रूस का प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ था। उसको भाशण करने के लिए कहा गया कि या तो आप अंग्रेजी में या हिन्दी में बोलें तो लोग समझ

सकते हैं। मगर उसने क्या कहा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पीछे ही बैठा था। वह कहने लगा "मैं तो रूसी में बोलूंगा चाहे आप समझें न समझें। समझना हो समझ लो। वरना गेट आउट"। (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो भी कारखाना षुरू होता है, वह अम्बाला की तरफ से लगना षुरू होता है। पर मेरी दरखास्त यह है कि जो मैटीरियल जहां मिले उस मैटीरियल से सम्बन्धित कारखाना वहीं लगे तो कारखाना तरककी कर सकता है।

एक इन्डस्ट्री के लगने में अमूमन 4–5 किल्ले जमीन लगती है। इन्डस्ट्रीज लगाते लगाते कहीं ऐसा न हो कि 4–5 किल्ले ले ले कर जमीन तो सारी चली जाए और कारखाना कामयाब न हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे काम तो इन्डस्ट्री के लिहाज से अच्छा हो रहा है। बड़े–बड़े स्टोर भी बन रहे हैं। मैं एक दिन अम्बाला चला गया। मैंने सोचा कि बहिन जी का इलाका देख लूं। तो बहिन जी का स्टोर देखकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई और मुझे लगा कि अब हम अगर इसी तरह से काम करते रहे तो अमेरिका के आगे झोली नहीं फैलायेंगे। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह लोग बीच में अड़चन करते हैं इस तरह से मेरा सारा टाइम जाया चला जाता है और फिर आप कहती हैं कि जल्दी खत्म करो। मैं तो जैसी जबान जानता हूं उसी में बोल रहा हूं। मैं बोलते वक्त व्याकरण तो घोटता नहीं और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं इम्तहान में फैल

हो जाउंगा। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने अनाज का हरियाणे का स्टोर अपने वहां रख लिया। यह बड़ा अच्छा किया।

यह जो ट्रैक्टर्ज की इंडस्ट्री का विचार हो रहा है इस विशय में मेरी दरखास्त यह है कि यहां पर लगाई जाए जहां जरूरत हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, खेती भी इन्डस्ट्र में आती है, पानी वगैरह जो खेती को दिया जाता है वह भी इन्डस्ट्री में ही आता है, अगर आप मेरी बात समझते हैं तो इन्डस्ट्री के बिना कुछ है ही नहीं। स्कूल भी इन्डस्ट्री के अन्दर आता है। संस्कृत में स्कूल को कारखाना ही कहा जाता है। क्योंकि वहां पर बच्चे बनते हैं। बच्चे भी देष के एक पुर्जा हैं। एक कारखाना वह है जो पुर्जा बनाता है और डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसी तरह से एक कारखाना भी है जो बच्चे बनाता है (व्यवधान) आप मेरी बात को पहले समझें कि मैं कहता क्या हूं ? जो आदमी है उसके बारे में आप देखें कितने अंग हैं, उनको बनाने वाला भी तो कोई मिस्तरी होगा, यह भी तो किसी कारखाने में बनता है। अगर इसकी एक चीज खराब हो जाए तो उसको कोई बना नहीं सकता। इस कारखाने को आप क्यों नहीं मानते। यह भी एक बड़ी भारी इन्डस्ट्री है। (हंसी)। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई ऐसा षब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा जो किसी तरह भी षास्त्रों के विरुद्ध हो।

**उपाध्यक्षा** : फिर भी मैं यही कहूंगी कि लाल सिंह जी आप सोच समझ कर बोलें।

**चौधरी लाल सिंह** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर आप का यह ख्याल है कि इन्डस्ट्री सिर्फ गन्ने पीसने वाली मषीन हो या षस्त्र बनाने वाली मषीन को ही कहा जाता है तो मैं उस पर ही आ जाता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हरियाणा में जो भी आदमी इन्डस्ट्री लगाने के लिए आए चाहे वह विलायत से आये या कलकते से आए या किसी और ूबे से आये उसका स्वागत करना चाहिए लेकिन इसके साथ यह कन्डीषन जरूर होनी चाहिए कि इन्डस्ट्री हम जहां चाहें, जिस ढंग से चाहें, उस तरीके से उस को लगानी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि षर्तें उसको सारी हमारी ही माननी पड़ेंगी। फिर अगर वह हमारी षर्तों पर न आना चाहे तो उसकी मर्जी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे देष में कुछ सरमाएदार आदमी ऐसे भी हैं, जो इन्डस्ट्री तो यहां लगाना चाहते हैं, पैसा हिन्दुस्तान से कमाना चाहते हैं लेकिन उसको खाना कहीं और बैठकर चाहते हैं। यह चीज नहीं होने देनी चाहिए कि वह यहां के लोगों को खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके ब्लैक करके पैसा ले जायें। इस तरह के इन्डस्ट्रीयलिस्ट हम को नहीं चाहिएं।

**उपाध्यक्षा** : आप कोई नई बात कहें, रेपिटीषन न करें।

**चौधरी लाल सिंह** : बहुत अच्छा है। मैं अपनी सरकार से दरखास्त करूंगा कि जहां पर नई राजधानी बनाई जाए वहां पर इन्डस्ट्री सब से ज्यादा लगाई जानी चाहिए ताकि राजधानी का मैन्टीनैंस का खर्चा उसी में से ही निकलता जाय और हमारे ऊपर

किसी किस्म का बोझ न पड़े। अब मैं फिर से यह कहता हूं कि गवर्नमैंट को एक तो जमीदारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिएं दूसरे इन्डस्ट्र के लिए सुविधाएं देनी चाहिएं और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वह यह है कि तालीम बच्चों को ठीक ढंग की देनी चाहिए। यह कोई तालीम ही है कि पढ़ने के बाद लोगों के मकानों को आग लगा दी।

**उपाध्यक्षा** : चौधरी साहिब, आप रेजोल्यूषन पर बोलें।

**चौधरी लाल सिंह** : मैं उसी पर ही बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर एक आदमी ने चार करोड़ रुपया खर्च करके इन्डस्ट्री लगाई हो और स्कूलों से उठ करके लड़के उसको आग लगा जायें तो वह बहुत बुरी बात है। इसलिए में कहता हूं कि तालीम का ढंग जो है यह सही होना चाहिए। मैं आपकी मार्फत एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि इन्डस्ट्री से जो भी आदमी आमदन खाता है उसको चाहिए कि आठ घंटे वहां पर काम करे। एक मजदूर तो सुबह से लेकर षाम तक काम करता रहता है और उस बेचरे को पेट भर कर रोटी भी नसीब नहीं होती औरदूसरे ऐसे हैं जो कोट पैंट पहन कर विलायत से टेलीफोन करते रहते हैं। और वहां बैठे ही आठ–आठ हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं। और उनके बच्चों को भी तनख्वाह मिलती है।

**उपध्यक्षा** : चौधरी साहिब, कारखानेदार बड़े अकलमन्द होते हें, वह बगैर काम करवाने के किसी को पैसे नहीं देते।

**चौधरी लाल सिंह** : डिप्टी स्पीकार साहिबा, यह जो बड़े–बड़े सरमाएदार लोग हैं वह कारखाने में मजदूरों को नकेल डालकर रखते हैं ताकि वह आवाज न उठा सकें, इसलिए वे बेचारे सब उनसे डरते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो आदमी आठ घंटे काम करके रोटी खाता है वह आदमी नहीं है और यदि सारे ही इस ख्याल से काम करें तो देष का बहुत भला हो सकता है। चाहे कोई मिनिस्टर हो या कारखानेदार हो या कोई और बड़ा आदमी हो, सब को दिन में आठ घंटे काम करना चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। जहां तक तनखाह देने का ताल्लुक है वह बेषक काबलियत के मुताबिक दी जाए, इस बात से मेरा कोई ऐतराज नहीं है। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर चार आदमियों ने मिल के कोई कारखाना लगाना हो, तो सरकार कहती है कि पहले कुछ पैसे उनको अपने पास से खर्च करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिनके पास पैसा न हो वह बेचारे काम षुरू नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को यह पाबन्दी हटा देनी चाहिए और किसी ओर तरह की जमानत वगैरह लेकर गरीब लोगों को इन्डस्ट्री लगाने के लिए रुपया दे देना चाहिए।

**उपाध्यक्षा** : चौधरी लाल सिंह, जी अब आप बैठ जायें।

**सूबेदार प्रभु सिंह** : डिप्टी स्पीकार साहिबा, मुझे आप मुआफ करेंगी अगर मैं यह कहूं कि चौधरी लाल सिंह जी जब बोलते हैं तो उनको टाइम बहुत कम मिलता है। यह तो उनकी

ऐतिहासिक स्पीक है। इसलिए उनको 15 मिनट और मिलने चाहिए।

**चौधरी लाल सिंह** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं इतना ही कह कर बैठ जाऊंगा कि इस वक्त हरियाणा में जितना भी इन्डस्ट्री का काम हो रहा है वह बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और मैं समझता हूं कि जैसे अब ईमानदारी के सोच हमारी सरकार और अफसरान काम कर रहे हैं अगर वह इसी तरह काम करते रहे तो हमारा सूबा बहुत तरक्की करेगा। बस मैं इतना कहकर बैठ जाता हूं, आप का धन्यवाद।

**चौधरी बनवारी राम** (जुंडला एस.सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे साथी विज साहब ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके साथ–साथ मैं सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जो फैक्ट्रियां कारखाने या दस्तकारी सरकार हरियाणा में लगाना चाहती है उनका लगाने के लिए आप गरीब जनता की सहायता करें उनको दस्तकारी लगाने के लिए कोटे परमिट लाईसेंस दें और पैसे से उनकी मदद करें और गरीब लोगों को फैक्ट्रियां लगाने की सारी सहूलियतें दें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डिप्टी स्पीकर साहिबा आप देख ही रहे हैं बंगाल का नक्षा। उन हालात को पैदा न होने देने के लिए आप गरीबों की मदद करें और उनकी हर प्रकार से दस्तकारी लगाने के लिए सहायता करें। आज हालत यह है कि हरियाण में गरीब कुचले जा रहे हैं। उनके पास

कोई रोजगार नहीं है। सरकार उनको रोजगार देने की कोषिष करें नहीं तो जहां तक मेरा विचार है कि यह जो फैक्टरियां लगी हुई हैं या जो सरकार लगाना चाहती है उन पर षायद कुछ दिनों में मजदूरों का कब्जा होगा। इलिए सरकार अभी से गीबों के साथ मजदूरों के साथ न्याय षुरू कर दे। गरीबों की मजदूरी की मदद करना सरकार का धर्म भी है और सरकार ने ऐसा करने के वायदे भी किए हुए हैं। आज गरीब मजदूर हर प्रकार से फैक्टरियों की तरफ से, जमीनों की तरफ से, नौकरियों की तरफ से और हर बिजनैस की तरफ से नाउम्मीद हो रहे हैं और उनकी इस सरकार की तरफ उनकी सारी उम्मीद टूटती जा रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि उसे पता होना चाहिए कि सरकार किसानों और मजदूरों के सिर पर चलती है लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सोनीपत में ऐटलस साइकिल फैक्टरी में देख रहा हूं कि वहां पर मजदूरों की क्या हालत हो रही है। वहां वह 80/90 रुपए मजदूर को देते हैं और इतनी बुरी हालत से देते हैं कि कहते हैं कि अगर जरा भी विरोध में आवाज उठाओगे तो गैट आउट कर देंगे। वहां मजदूरों का इतना भी रिगार्ड नहीं है कि वह दिल खोल कर काम कर सकें। इसी तरह सब जगह होता है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में फैक्टरियां लगाने के लिए वह गरीब मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाकर उनको पैसे दें, मजदूरों के उन में हिस्से हों, उनको कोटे परमिट और लाईसेंस दिए जायें। ऐसा करने से सरकार की भी आमदनी बढ़ जायेगी और हरियाणा में अमन भी कायम रहेगा।

अगर उी तरह फैक्टरियां चलाओगे जिस तरह से पहले चल रही हैं और अगर मजदूरों को उनमें षामिल नहीं करोगे और दस्तकारी चलाने के लिए अगर आप मजदूरों की मदद नहीं करोगे तो देष का रवैया बिगड़ जायेगा।

मजदूर इस वक्त बहुत तैयारी कर चुके हैं। इस मौका पर मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि परसों चौथे सरकार को मेरी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मजदूरों की तकलीफों के बारे में कहा गया था और यह भी कहा था कि 18 तारीख तक तो बात सरकार के हाथ में है लेकिन 19 को बात हमारे पास होगी। कल मैं करनाल गया था और मेरी पार्टी ने अब एक ही ऐलान किया है कि अब सरकार ही हमारे पास आयेगी तो हमारी मूवमैंट रूकती है वरना नहीं। कल षाम से जत्थे हरियाणा से जारी हो जायेंगे जो इन मन्त्रियों का घेराव करेंगे। मैं सरकार को कहूंगा कि वह इस आफत को रोके, नहीं तो जो नुकसान होगा या मजदूर जो कुछ नुकसान करेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। रिपब्लिकन पार्टी की नहीं होगी। मै। तो अब सरकार के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा लिया। अब तो सरकार ही मेरे पास आएगी अगर सस्ता सौदा उसे दिखेगा तो सरकार हमारे से बात कर लेगी नहीं तो हमारी अब लड़ाई चलेगी। जहां तक फैक्टरियां खोलने की बात है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस देष में दस्तकारी की तरक्की होती है वही देष तरक्की करता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार को एक मिसाल दे देना चाहता

हूं कि सरकार कैसी होनी चाहिए ? एक बादषाह बीमार पड़ा था और मरने के करीब था। उसने अपने मन्त्रियों से कहा कि जब मैं मर जाऊं और मेरी अर्थी निकलेगी तो जो कोई मेरी अर्थी के सामने पहले आ जाये चाहे वह अमीर हो या गरीब हो उसे मेरी जगह बादषाह बना दिया जाए। वह मर गया। सुबह जब उसकी अर्थी जा रही थी तो उसके सामने एक गरीब मजदूर आ गया। उसे पकड़ लिया गया। वह कहने लगा कि उसने कोई चोरी–चारी नहीं की मुझे क्यों पकड़ते हो ? उन्होंने कहा कि तुमको बादषाह के हुक्म से गद्दी पर बिठाया जायेगा। तो उसे गद्दी पर बैठा दिया गया उसने जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे वह एक छोटे से कमरे में रख दिए और रोज सुबह–षाम वह उनको देखता था ताकि उसे अपने गरीबी के दिन और गरीबों की हालत न भूल जाये। वह ऐसा करके गरीबों की सेवा करना चाहता था और देष की सेवा करना चाहता था। तो मैं इन वजीरों से भी कहना चाहता हूं कि वह गरीबों को न भूलें वह उनके बीच से ही आये हैं। यह गोवर्धन दास जी बैठे हैं। आप गांव में जाकर देखें कि आपकी माओं, बापों बहनों की क्या हालत है जो चीथड़े पहने फिरते हैं। उनकी क्या हालत है बच्चों की क्या हालत है? यह तो पंडित भगवत दयाल ने मरना था अर्थात् मुख्य मंत्री पद से हटना था, और उसकी अर्थी के आगे से इस चीफ मिनिस्टर से निकलना था तो इनका दाव लग गया लेकिन अब इनको अपने पुराने कपड़े भूल गये हैं.....

**उपाध्यक्षा** : बनवारी राम जी आप रास्ते से बहुत दूर जा रहे हैं। आप प्रस्ताव पर ही बोलें।

**चौधरी बनवारी राम** : मैं किसी का विरोधी नहीं हूं मैं तो सरकार को अच्छा उपदेष दे रहा हूं जिससे देष की भलाई होगी। मगर हमारे मन्त्री इन बातों पर विचार कर लें तो वह नौबत हो हरियाणा में नजर आ रही है वह रूक जायेगी। फैक्टरियों के बारे में मेरा यही सुझाव है कि इनके लगाने के लिए मजदूरों गरीबों की सोसाइटियां बनाई जायें और उनको पैसे सहायता के लिए दिए जायें उनमें उनके हिस्से हों और उनको चलाने के लिए उनको कोटे परमिट और लाईसेंस दिए जायें। नहीं तो पता नहीं यह फैक्टरियां किस के हाथ में होंगी और यह आगे वक्त ही बतायेगा। एक बात मेरे बारे में कल सुरजीत सिंह जो ने मेरे विरुद्ध कही थी और उसका जवाब मैं कल ही दूंगा। उनको मैं अच्छा जवाब दूंगा और उनको अपना बड़ा भाई समझ कर ही दूंगा लेकिन जवाब सही दूंगा। तो इन अलफाज के साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप का षुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे समय दिया है और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनकी तरफ ध्यान दें ताकि हरियाणा में तरक्की हो।

**श्री रामधारी गौड** (गोहाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, विज साहब ने जो प्रस्ताव हाउस में रखा है उस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्ताव में दस्तकारी के बारे में कुछ सुझाव

रखे हैं कि यह यह सहूलियतें दे दी जायें, लेकिन उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह बात नहीं रखी कि कौन–कौन सी दस्तकारी को क्या–क्या सहूलियतें दी जायें। इसके बगैर बात बनती नहीं है। कई बड़े–बड़े लोगों ने जगह जगह कारखाने लगाए हुए हैं ओर इसके साथ–साथ उनके कई प्रकार के पेषे हैं। वह जमीनों पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं और अपने पैसे के बनबूते पर इन्डस्ट्री भी लगा ली है और इस तरह सारे देष का धन वही अपनी जेबों में समेटे बैठे हैं। आज उनको अगर यह छूट दे दी जाये कि उनका इन्कम टैक्स भी माफ सेल्स टैक्स भी माफ.....और उनको ही कोटे मिलें, सहायता के लिए पैसे भी मिलें और सहूलियतें भी मिलें, इससे समाजवाद नहीं आ सकता क्योंकि आजकल एक प्रथा सी चली आ रही है कि बड़े–बड़े पूंजीपति अपने भाई–भतीजे के जरिए कई नए इंडिस्ट्रयल यूनिट्स लगा लेते हैं, नाम दूसरों का चलता रहता है और पैसा सारे का सारा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। मैं समझता हूं कि कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं हैं, लेकिन अपने काम धन्धे चलाना चाहते हैं उन्हें मदद होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देखती हैं कि हिन्दुस्तान में तकरीबन 80 फीसदी आबादी जमीन पर काम करती है और बाकी लोग दूसरे काम धन्धों में लगे होते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें सहूलियतें मिलती हैं। हमारे मुल्क में जितने आदमी हैं वे जमीनकी तरफ भागते हैं, लेकिन यहां सहूलियतें नहीं हैं। इन्डस्ट्रीज चन्द आदमियों के हाथों में हैं, वे अपने पैसे के बलबूते पर खूब धन कमाते हैं लेकिन दूसरे आदमी, उन्हें पता नहीं लगता

कि क्या करें, कहां जाएं उनको कोई काम दिखाई नहीं देता। इस किस्म के जो आदमी हैं उन्हें लोन्ज दिए जायें, टैक्नीकल सहायता दी जाए और हर प्रकार सहूलियतें दी जायें वे पनप सकें। जो सरमायेदार बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो इन्डस्ट्रीज को अपनी मनोपोली बनाए हुए हैं, उनके चंगुल से आम आदमी का छुटकारा करवाएं ताकि वे ऊपर उठ सकें। होता क्या है, सब एक ही जगह मंडला जाते हैं एक ही इन्डस्ट्री लगी और सब उसी की तरफ दौड़े फिरते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देहातों में जाकर देखें, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको कोई काम–धन्धा नहीं मिलता, लेकिन उनके अन्दर हिम्मत है, ताकत है, और षक्ति जाया हो रही है। वे मजबूर हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने बाल–बच्चों को छोड़कर दिल्ली कैसे जा सकता है, चंडीगढ़ कैसे आ सकता है और फरीदाबाद कैसे जा सकता है ? कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि वे बाहर जा सकें। कई बार गवर्नमैंट एलान करती है कि जो भाई देहातों में काम करेगा उसको ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी, उसको तरक्की मिलेगी। इंडस्ट्रीज के बारे में भी सरकार का यही एलान होना चाहिए कि जो आदमी ऐसे पसमांदा इलाकों में इन्डस्ट्रीज लगायेंगे उनकी हर प्रकार की सहूलियतें मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि विज साहब, अपने रैजोल्यूषन में यह कर देते कि सहूलियतें उन लोगों को मिलनी चाहिए जो पसमांदा इलाकों के हैं ताकि वे काम–धन्धा चला सकें, यह नहीं कि बड़े–बड़े सरमायेंदार गरीबों का खून चूसें। ये सारे लोग इन्डस्ट्रीज के झूठे फट्टे लगा लेते हैं और रा–मैटीरियल के

कोटे इषू करवा लेते हैं, बाद में उनक ोटे को ब्लैक में बेच देते हैं। आफिस में एक–दो बाबू ऐसे होते हैं जिन के हाथ में सारी ताकत होती है। उनकी खातिर तवज्जोह कर देते हैं और सारे का सारा कोटे का माल ब्लैक में बेच देते हैं। जो आदमी सही मायनों में अपने हाथ से काम करता है, कोटा खरीदता है उनको मुनाफा कम होता है। जैसे कोई चीज उसकी 90 रुपये में मिलती है और 100 रुपये में बेचनी पड़ती है। इस तरह से उसके पल्ले में 10 रुपये ही पड़ते हैं। जबकि ब्लैक करने वाला आदमी 20 रुपए की चीज को 90 रुपये में बेच देता है और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कृशि पर आबादी का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता जा रही है। यहां तक कि, कुछ खादान ऐसे हैं जिन के हिस्से में सिर्फ पांच बीघे जमीन आती है। सिर्फ पांच बीघे जमीन है और कुनबे के 20 आदमी हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता। ऐसे परिवारों को काम–धन्धे देने चाहिए। कोओप्रेटिव फारमिंग की चीज चलाई थी, बहुत अच्छी चीज थी लेकिन हमारा आपस में ष्विास नहीं है इसलिए फेल हो गई। अगर कोओप्रेटिव फार्मिग का काम सही मायनों में कामयाब हो जाता तो भूमि का काम सोसियटियां बनाकर दे देते और बाकी आदमियों को घरेलू उद्योग–धन्धे देते। लेकिन वे बड़े–बड़े मठ नहीं बनाने चाहिएं, जो गरीबों का खून चूसें। गरीबों को कुछ मिलता ही नहीं, न ही उनको किसी चीज का पता है, परिणाम यह होता है कि उनकी

एक्सप्लायटेषन होती है। हमें सही मायनों में कोआप्रेटिव ढंग से बैकवर्ड इलाकों में इन्डस्ट्रीज लगाएं ताकि आम आदमी अपने घर के नजदीक काम धन्धा कर सके। उनको हर प्रकार की सहूलियत दें, छूट दें और इन्डस्ट्री के लिए रा–मैटिरियल दें, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ जोड़–तोड़ कर इधर उधर से पैसा कमाते हैं, उनके चंगुल से निकालें। नये आदमियों के पास काम करने की षक्ति तो बहुत है लेकिन साधन नहीं हैं। उनके ऊपर से सेल्स टैक्स माफ किया जाए और लोन्ज दिए जाएं। लोन्ज की क्या हालत है। लोन लोन इन लोगों को दिया जाता है जो अयोग्य होते हैं। उनके हाथ में एक बैग होता है और घूम घाम कर अपना काम निकाल लेते हैं। कपड़े अच्छे होंगे बैग हाथ में होगा उस को लोन मिल जााात है लेकिन जो काम करना जानता है वह चाहता है कि मुझे लोन मिले उसको मिलता ही नहीं, अगर उसके कपड़े मैले होंगे तो उसको आफिस से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी हालत में गरीबों को ऐक्सप्लायट करने के लिए बीच ही में बिचौले होते हैं जिनको काम–धन्धा होता नहीं हाथ में बैग लेकर इधर उधर बातें करके कोई न कोई ग्राहक फंसाना चाहते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो हम तुम्हें पैसा दिलाएंगे। उसको कई दरवाजों से निकलना पड़ता है और जितना पैसा मिलता है यह लोन को हासिल करने में ही लग जाता है। जो कुछ बचता है वह सूद देने में लग जाता है। लोन वापिस क्यों नहीं होता वह इसलिए नहीं होता वह कि लोन मिलने से पहले ही बिचौले खा जाते हैं; फिर बाद में उस गरीब के बर्तन नीलाम होते

हैं और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि लोन लेकर हवालात में बैठे हैं। पूछने पर कहते हें कि 'थोड़ा सा पैसा मिला था, काम पूरा चला नहीं, हो गया नुकसान, जब पैसा खत्म हो गया तो मुझे पकड़ लाये और जेल में बैठा दिया।' डिप्टी स्पीकर साहब हम सही मायनों में देहातों में जाएं, तो जनषक्ति खाली बैठी हुई है, उसकी सोसायटियां बनाकर उनको टैक्नीकल हैल्प दें, सुझाव दें। कोओप्रेटिव डिपार्टमैंट के ऑफिसर भी गैलरी में बैठे सुन रहे होंगे, कोओप्रेटिव डिपार्टमैंट में क्या होता है ? एक आदमी के हाथ में षक्ति आ जाती है और वह ऐक्सप्लायट करता है। कई मैम्बरों को पता ही नहीं है कि उसका कितना हिस्सा, सिर्फ कागज पर ही बात रहती है, उसको बताया नहीं जाता क्योंकि उसका काम धन्धा नहीं होता। होना यह चाहिए कि तीन चीजों को—इलैक्ट्रिसिटी, इन्डस्ट्रीज और कोओप्रेटिव को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके मोबिलाइज किया जाए। इसका 10 मील का एक यूनिट बना दिया जाए जिसमें बिजली के कनैक्षन, रॉ. मैटीरियल और दूसरी किस्म की सहूलियतें दें। उसको ठीक प्रकार से सुपरविजन की जाए और तीनों डिपार्टमैंट्स को पता दिया जाए कि अगर इस यूनिट में नुकसान हो गया तो जितने अधिकारी हैं उनके खिलाफ ऐक्षन लिया जाएगा। इसलिए जब उन लोगों को काम—धन्धा मिलेगा, मुनाफा होगा तभी वे ठीक ढंग से अपना गुजारा कर सकेंगे। आजकल क्या है? बड़े बड़े आदमी इन्कम टैक्स से बचने के लिए तथा दूसरे टैक्सों से बचने के लिए जमीन की तरफ आ रहे हैं। वे गरीब आदमियों को लालच और थोड़ा

बहुत पैसा देकर उनकी जमीन खरीद लेते हैं। अब गरीब आदमी जो है वह या तो भैंस खरीद लेगा जो कि कुछ ही दिनों के बाद बीमारी सीमारी से या बूढ़ी होकर मर जाएगी या और, चीजों पर पैसा खर्च कर देगा, मगर दूसरी तरफ वह बड़ा आदमी जो पहले ही काफी पैसे वाला होता है, और आमदनी प्राप्त करने लगेगा। डिप्टी स्पीकर साहिब, आमदनी तो वह प्राप्त करे, मैं इस बात को बुरा नहीं मानता, अगर अफसोस की बात यह है कि वह इस आमदनी को कहीं दिखाता नहीं। वह तो टैक्स से बचने के लि इन्डस्ट्री की दो लाख की आमदनी को जमीन से हुई आमदनी बता देगा और जमीन से हुई 1000 की आमदनी को इन्डस्ट्र से हुई बता देगा। फिर वह इन्डस्ट्र भी बाप के नाम से चलती है और जमीन बेटे के नाम से ले ली जाती है या किसी और का पट्टा लगा दिया जाता है। तो जब तक यह चक्करबाजी देष से नहीं निकलेगी जब तक न तो कोई इन्डस्ट्री पनप सकती है और न कोई सरकारी हो सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरे मुल्कों में जब कोई चीज चलती है तो वह मामूली किस्म की होती है और जैसे–जैसे वह मार्किट में आती जाएगी बढ़िया होती जाएगी मगर यहां बिल्कुल उल्टी बात है। पहले दफा तो बड़ी चमक–दमक वाली बढ़िया चीज मार्किट में आएगी लेकिन उसके बाद दिन प्रति दिन स्टैण्डर्ड गिरता जाएगा। यह खून निचोड़ने और एक्सप्लाएटेषन वाली बात नहीं होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मानता हूं कि काफी इलाकों में डवैल्पमैंट का बहुत काम हुआ है लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कुछ नहीं हुआ है। जब सरकार को कोई चीज लेनी होती है तब तो उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है मगर जब कोई चीज वहां करनी होती है या वहां फ्लड आते हैं और पानी, रोटी और रहने के लिए मकान लोगों को नहीं मिलते तो सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। .....

**चौधरी नेकी राम** : वे कौन से इलाके हैं जरा बता तो दें ?

**श्री रामधारी गौड** : जींद भी उनमें षामिल है, घबराओ नहीं। आपका इलाका भी बैकवर्ड है। जींद का इलाका काफी पीछे था। कोई इन्डस्ट्री वहां नहीं थी। जब ये मिनिस्टर था तो हमने एक मिल्क प्लांट लगाना था और मैंने कहा था कि इसे जींद में लगाओ जब भी चौधरी साहब को जान कर खुषी होगी कि हम जींद में कैटल फीट का एक कारखाना लगवा रहे हैं। यह कारखाना एग्रोइन्डस्ट्रीज के तहत होगा और इसमें कोई 30–35 लाख रुपया खर्च आएगा। जींद में सबसे पहले बिजली केवल 13 फीसदी थी लेकिन अब डेढ़ साल के अर्सा में 43 फीसदी हो गई है। वहां इन्डस्ट्रीज लगने का बहुत स्कोप है। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै। आपके द्वारा चौधरी साहब को सुझाव दूंगा कि वे देहात में जाकर इन्डस्ट्रीज लगवाने का काम करें ताकि इनका पसमांदा इलाका आगे बढ़ सके। यह बात तो है नहीं डिप्टी स्पीकर

साहिबा, कि आसमान से फरिष्ता आकर यह काम करेगा। यह तो हमें और इन्हें की करना होगा। इसलिए मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि वे अपने इलाके में जाएं, इन्डस्ट्री वालों से मिलें, कोओप्रेटिव वालों से मिलें और उन्हें अपने सुझाव देकर इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। बिजली की, जैा आपको पता ही है, हरियाणा के अन्दर कोई कमी नहीं है। इस दिषा में हरियाणा में बड़ा सराहनीय काम हुआ है। मुख्यमन्त्री जी ने यहां बताया भी है कि चौथी पंचवर्शीय योजना का जो हमारा निषाना था वह पहले ही पूरा हो चुका है। अभी योजना के तीन साल बाकी हैं और उम्मीद है कि इनमें हम निषाने से बहुत आगे बढ़ जायेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज के मामले में इस प्रकार की ट्रेनिंग का प्रबन्ध होना चाहिए जिसको लेने के बाद देहात में जाकर इंडस्ट्रीज लगा सकें। यह नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोगों को एटलस इन्डस्ट्रीज में या यमुनानगर जाकर किसी और इन्स्ट्र में काम करना पड़े। उनको काम षुरू करने के लिए पूरी तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, विज साहब ने अपने प्रस्ताव में लोन देने, सस्ता रॉ.मैटीरियल देने और इन्कम टैक्स माफ करने के बारे में जो कहा है, उसके बारे में मैं बर्ज करना चाहता हूं कि वह तो उन्होंने बड़े–बड़े आदमियों की बात कह दी। इन्कम टैक्स तो उसको लगेगा जो बहुत बड़ा आदमी

होगा। जो थोड़ी पूंजी वाला होगा और कही किसी कोने में जाकर काम करेगा उसे तो इन्कम टैक्स लगेगा ही नहीं। यह इन्कम टैक्स का सवाल तो बाद में आता है जब इन्कम मकें साधन हो जाते हैं या जब काम लग जाता है। और फिर यदि इन्कम होने पर इन्कम टैक्स देना भी पड़े तो इसमें कौन–सी बुरी बात है। सरकार तो अपनी ही है। अगर लोग रकार को अपना अपना कन्ट्रब्यूषन नहीं देंगे तो यह चलेगी कैसे ? खैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक सस्ता कच्चा सामान देने, लोन देने और इन्डस्ट्रियल सेल्ज टैक्स माफ करने की बातें हैं, इनके बारे में मेरा सुझाव है कि ये सहूलियतें उन दस्तकारियों को दी जाएं जो मजदूरों के हाथ में हैं, जिसमें काम करने वाले एक्चुअल वर्कर्ज हों।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चाहता हूं कि हरियाणा में यानी अपना राज्य बनने के बाद तो कम से कम इस ओर विषेश ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब में तो हरियाणा के इलाकों के साथ गेलड़ बच्चे का सा व्यवहार होता था जैसे हमारा वहां कोई हक ही न था.....

**श्रीमती षकुन्तला** : डिप्टी स्पीकर साहिबा यह अन–पार्लियामैंन्टरी षब्द हैं। विधान सभा में गेलड़ बच्चे का क्या काम ?

**श्री रामधारी गौड** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं मगर अगर इन्हें इसमें आपति है तो मैं इसे

वापिस ले लेता हूं। (विघ्न) मेरा कहने का मतलब तो यह था कि हमारी वहां कोई पूछ नहीं थी। अगर वहां कोई तरक्की वाली बात होती थी तो उसमें हमें कोई षेयर नहीं मिलता था। बची खुची चीज हरियाणा वालों को दी जाती थी जबकि बढ़िया माल वे खुद खा जाते थे। यही कारण है कि हमारा हरियाणा बैकवर्ड है। कहीं भी दो तीन जगहों को छोड़कर कोई अच्छी दस्तकारी आपको नहीं मिलेगी। (विघ्न) ठीक है कि फरीदाबाद में बहुत कुछ काम हुआ है, पानीपत और सोनीपत में भी कुछ काम हुआ है लेकिन इन तीनों षहरों से ही हरियाणा नहीं बनसकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोगों के पास रोजी कमाने के बिल्कुल साधन नहीं हैं। यदि कुछ फैक्टरीज वगैरह हैं तो वे उनके आसपास नहीं हैं। जैसे सोनीपत, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद है वहां पर लोग कम जाते हैं। क्योंकि उनके पास तो किराया तक के पैसे नहीं होते। अगर ये वहां चले भी जायें तो उनको धन्धा नहीं मिलता, क्योंकि आजकल आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और काम कम है। इस दस, बीस–बीस मील से चलकर लोग धन्धों की तलाष में जाते हैं। परन्तु फिर भी नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमन्त्री साहब जो यहां बैठे हुए हैं मैं आपके जरिए उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां पर ही यूनिट्स खोली जाएं। उस एरियाज के अन्दर अधिक सुविधाएं लोगों को प्रदान की जायें। उन लोगों को ही सुविधाएं न दी जायें जिन लोगों ने अपने दस धन्धे खोल रखे हैं। वे वहां पर अपने काम का फट्टा लगा लेते हैं परन्तु काम कोई नहीं होता है और सरकार से जो भी सहायता लेनी होती है उस

फट्टे के नाम से ले लेते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हीं लोगों को सहुलियतें दी जायें जो अपने हाथों से काम करते हैं। उन लोगों को जो मुषकलात है उनको पहले दूर किया जाए। जो आदमी लाखों रुपया कमाता है उनको इन्कम टैक्स की माफी नहीं होनी चाहिए। जो रुपया एक आदमी की जेब में जाता है उन पर तो पाबन्दी लगनी चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि एक आदमी के अधिक धन्धे नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक आदमी तो छः छः जगहों पावों फंसाये रहता है और उसकी मनोपली सी होती है। इसलिए यह मनोपली खत्म करनी चाहिए। आम आदमी को धन्धा मिलना चाहिए न कि उसको जिसको पहले ही काफी सहूलियतें होती हैं।

जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि ये जो बोगस सोसाईटियां बनायी जाती हैं इनको भी खत्म करना चाहिए। बोगस नाम देकर सोसाइटी चला रहे हैं। धन्धा उनके पास कोई होता नहीं है फट्टा उन्होंने लगाया हुआ होता है। उस ाईन बोर्ड के सहारे से सरकार से कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं। इसलिए आम आदमी का पेट भरना चाहिए न कि अमीरों का। ये बोगस फट्टा लगाने वाले एक कमरे को सजा लेते हैं और वहां पर लोगों की आवभगत का प्रबन्ध कर देते हैं केवल दिखावे के लिए। अगर उनसे कोई माल मांगों तो उनके पास कोई होता नहीं है। जब कोई ज्यादा जोर देता है तो

दूसरों का बना हुआ माल दिखा देते हैं। इस प्रकार से लाखों रुपया हेर–फेर करके कमा रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं तो विज साहब से दरखास्त करूंगा कि इसमें एक और भी अमेंडमैंट कर देते तो अच्छा था कि जो मनोपेलिस्ट हैं उनको अधिक सुविधाएं न मिलें तो अच्छा है और दूसरे जो बैकवर्ड इलाके हैं उन इलाकों में उद्योग–धन्धे अधिक मात्रा में लगाए जायें। इन षब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए में आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य श्री रामसरण चन्द मित्तल पदासीन हुए)।

**श्री रणबीर सिंह** (घरोण्डा) : चेयरमैन साहब आज यह प्रस्ताव हमारे जनसंघ के सदस्य श्री फतेह चन्द विज की ओर से हाउस के सम्मुख पेष किया गया है। मैं इस प्रस्ताव के लिए अपनी हरियाणा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सैंट्रल गवर्नमैंट को अपनी रिकमैन्डेषन भेजें कि हरियाणा एक पिछड़ा हुआ प्रदेष है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदेष भी है और यहां के रहने वाले लोग अधिकतर कृशि पर निर्भर करते हैं। यहां पर लोगों को जितनी भी जरूरीयात हैं वे अधिकतर खेती की पैदावार पर निर्भर करती है। वे अपना पेट केवल खेती से ही पालते हैं। परन्तु किसी देष या प्रदेष की उन्नति के लिए यह

आवष्यक हो जाता है कि वहां पर उद्योग–धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाये। प्रोत्साहन देने का दारोमदार उस प्रदेष की सरकार का होता है। यह जो रैज्योल्यूषन या प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है और बहुत सारे मेरे साथी मैम्बरों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार भी हाउस के सामने रखे हैं। भाई बनारसी दास गुप्ता जी ने यहां बताया कि हरियाणा के अन्दर चाल फोकल प्वायंट्स हैं। उन्होंने कहा कि इन चारों जगहों पर अधिक से अधिक सरकार को ध्यान देना चाहिए और उद्योग–धन्धे और इन्डस्ट्रीलगाई जानी चाहिए। जैसा कि उन्होंने यह सुझाव दिया है उसके बावजूद भी हम हरियाणा में उन्नति नहीं कर सकते क्योंकि जब तक सरकार उन सब बातों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे कि किसी उद्योग को स्थापित करने में किस किस चीज की आवष्यकता है तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। किसी भी उद्योग के लिए जिस भी चीज की आवष्यकता है उसकी उपलब्धि यहां होनी जरूरी है। मिसाल के तौर पर पानीपत में दरिया बनाने का सबसे बड़ा केन्द्र है। इससे बड़ा सेन्टर हरियाणा में कहीं भी नहीं होगा। वैसे तो पानीपत में खेस और चादरें भी बनती हैं और दूसरा खादी का सामान भी बनता है। परन्तु हमारी सरकार ने सेल्ज टैक्स के बारे में जो नीति अपनाई हुई है वह बड़ी ही गलत है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेष में एक परसेंट सेल्ज टैक्स लगाया जाता है परन्तु हमारे प्रदेष की ओर से खादी की बनी हुई चीजों पर जो परसेंट लगाया जाता है। अब आप अन्दाजा लगायें कि हमारे व्यापारियों पर उसका क्या असर पड़ता होगा ? जब उद्योगपति

अपना–अपना हिस्सा बांटते हैं तो उनको कम मुनाफा मिलता है उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। यदि सरकार की सेल्ज टैक्स की यही नीति रही तो उद्योगपति हरियाणा में इतने उद्योगों को लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए सरकार को सेल्स टैक्स की नीति बदलनी चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी चीज यह है कि उद्योगों के लिए जो जरूरी चीजें हैं वे भी उद्योगों के लिए मिलनी चाहिएं। जैसे कि जमीन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, और अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की जरूरत है या लेबर की जरूरत है ये सब चीजें हरियाणा के अन्दर मौजूद हैं परन्तु पैसे की कमी की वजह से यहां अच्छे उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं। हरियाणा की यह बदमिस्मती रही कि पंजाब के क्षेत्र में ही अधिकतर उद्योग लगते रहे और हरियाणा में नहीं लग सके। जितने भी लोहे के बड़े बड़े कारखाने हैं या सीमेंट के कारखाने हैं या दूसरे अन्य कारखाने हैं या सर्जीकल इन्सट्रूमेंट्स की इन्डस्ट्रीज हैं, वे अधिकतर लुधियाना, अमृतसर और जालन्धर के अन्दर ही लगती रही ? अभी अभी सदन के सामने एक जिकर आया कि अम्बाला में सरजीकल इन्स्ट्रूमेंट्स का कारखाना चल रहा है। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के कारखानों को अधिक से अधिक पूंजी दें और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे कर पूंजी भी दें ताकि अधिक से अधिक लोग यहां इस प्रकार की इन्डस्ट्री लगा कें। हमारा हरियाणा प्रदेष एक पिछड़ा हुआ प्रदेष है जिस कारण से हमारे यहां टैक्नीकल आदमियों को कमी है। हमारे प्रदेष के अन्दर 75

फीसदी आदमी दूसरे प्रदेषों के काम कर रहे हैं। जिसके कारण हमारे प्रदेष के लोगों को नुकसान हो रहा है। उससे हमारे प्रदेष की पर कैपिटा इन्कम कम होती है। वह इन्कम दूसरों के पास चली जाती है। इसलिए हमारी सरकार को इस तरह के टैनीकल लोगों को षिक्षा देनी चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि हरियाणा के अन्दर ऐसे इंस्टीचूषनज कायम किए जायें जिनके अन्दर टैक्नीकल एजूकेषन दी जाय जो कि छोटे छोटे उद्योगों के अन्दर सफल हो सके। अभी कुछ भाईयों ने जिकर किया कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग हरियाणा में लगाए गए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन उद्योगों को एक ही जगह पर केन्द्रित न किया जाए। यही बात भाई लाल सिंह ने भी कही है और ये उद्योग पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत के अलावा दूसरे इलाकों में भी होने चाहिए। सरकार को छोटे दोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार की नीति अभी तक ऐसी रही है कि कुछ रुपया षहर से, जैसे पंजाब नेषनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जजो हैं, उनसे जुटाए जायें ताकि इन्डस्ट्री के लिए कुछ रुपया हमें मिल सके और कम इन्टरेस्ट पर हम पैसा लेकर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज कायम कर सकें। लेकिन अभी जैसा कहा गया उस पैसे को प्राप्त करने के लिए एक उद्योगपति को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और तब कहीं जाकर बड़ी कठिनाई से पैसा मिलता है अगर वह लिबरल एमाउन्ट लेता है तो इस दिककत से बच जाता है। इलिए जो रेजोन्यूषन आज दन के सामने पेष किया है वह एक अहम प्रस्ताव है और जिस प्रकार से वह दन के

विचारार्थ है उससे साफ जाहिर है कि यह सदन उसे स्वीकार करता है। हरियाणा के अन्दर जितनी औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए वह नहीं हो कती है। उसका एक मात्र कारण सरकार के सहयोग की कमी है। आज जब कि सरकार दूसरे काम चला रही है एडमिनिस्ट्रेषन वगैरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करके और एडमिनिस्ट्रेषन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है वहां इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज भी जैसे सीमेंट की इन्डस्ट्री, लोहे की इन्डस्ट्री, पीतल की इन्डस्ट्र जो कि हरियाणा के अन्दर अच्छी तरह से कामयाब हो सकती है लगाई जाये और यहां पर छोटे छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए हमारी सरकार को पूरे जोर से मदद करनी चाहिए। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विज साहब ने इसके बारे में विचार किया कि केन्द्रीय सरकार से हम ये सुविधाएं प्राप्त करें जिनकी वजह से हमारे हरियाणा प्रदेष के अन्दर काफी इन्डस्ट्रीज हो सकें। पिछले दिनों हमारे मुख्य मंत्री बम्बई, कलकता, आदि षहरों, जिन्होंने उद्योग में काफी उन्नति की है, में गए थे और वहां के उद्योगपतियों से बात की कि किस प्रकार से हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। उस समय एक ही बात सामने आई और यह बताया गया कि तालमेल अफसर रखे जायें। उन्होंने यह भी विष्वास दिलाया कि रा–मैटीरियल टैक्नीकल हैड्ज और जो एक्सपर्टस हैं उनकी हम मदद ले सकते हैं। कलकता, बम्बई तथा दूसरे षहरों में उद्योग में काफी प्रगति की है अगर हमारे यहां भी उसी प्रकार

इन्डस्ट्रीज लग जायें तो हमारा प्रान्त भी काफी उन्नति कर सकता है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

उपाध्यक्ष महोदया, आज इस सदन के सामने हमारे कांग्रेसी सदस्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और स्वागत करते हुए उन्होंने यह बात कही कि सरकार का यह फर्ज है कि वह इन्डस्ट्र को कम ब्याज पर रुपया दे लेकिन सुबह एक सवाल आया था कि जब हरियाणा सरकार के पास रुपए की कमी है तो वह इन्डस्ट्री कैसे चला सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें अनेक प्रकार के साधन जुटाने होंगे जैसे कि नीलोखेड़ी में ट्रैक्टर के पार्ट्स एसैम्बल करने का कारखाना लगाया है जिससे कि हमारे प्रदेष में हजारों आदमियों को काम मिलाऔर उस कारखाने से न केवल खेती में ही उन्नति होगी बल्कि यहां से वह माल पंजाब, मद्रास और मध्य प्रदेष को भी जाएगा। इसी प्रकार पानीपत का जो सैन्टर है वहां खादी की चीजें बनती हैं और इसी प्रकार सोनीपत में भी। पिछली बार भी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि करनाल जिले के अन्दर सिवाए पानीपत और नीलोखेड़ी के कई सैंटर नहीं हैं और इसलिए दूसरी जगहों पर अनेक प्रकार के उद्योग कायम किए जा सकते हैं। लेकिन केवल कमेटी बनाने में ओर उसका एकमात्र लेखा दन के सामने प्रस्तुत कर देना काफी नहीं है। जब तक कि उस पर ठोस कदम न उठाए जायें। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदया, काफी दिनों से करनाल के अन्दर एक कोआपरेटिव षूगर मिल

लगाने की बात चल रही थी जैसी कि पानीपत में है। उस मिल के हिस्से भी खरीदे गए और हिस्से और हिस्से खरीदने के बाद उसको करीब चाल साल हो गए उसका विचार तक सरकार को नहीं है। पता नहीं किस वजह से यह स्कीम फेल हो गई। ऐसा लगता है इसका एकमात्र कारण यह है कि अगर कोई कांग्रेसी सदस्य किसी इलाके विषेश से चुनकर जाता है तो वह अपनी बात मनवाने के लिए कुछ करता रहता है और इसी कारण से यह इन्डस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह घूमत4ी रहती है। उस समय यह नहीं सोचा जाता कि कहां रा–मैटीरियल है, कहां मजदूर मिल सकते हैं, माल की खपत के लिए कौन सी जगह नजदीक रहेगी, सड़कें कहां की अच्छी हैं ? इन सब बातों को भुलाकर इन्डस्ट्री राजनीति के चक्कर में चलती रही और जब इन्डस्ट्री राजनीति के चक्कर में फंस जाती है तो फिर वह खत्म हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदया, आज जब इस सदन में सामने यह प्रष्न है कि हरियाणा के अन्दर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए और जैसा कि सदन के विचारों को सुनने से पता चलता है कि इस प्रष्न पर सब एक मत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उद्योगों को प्रोत्साहन दें ताकि हमारा हरियाणा प्रदेष दिन प्रति दिन उन्नति करता रहे। प्रदेष के प्रत्येक आदमी की आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा प्रदेष का औद्योगीकररण हो सके। इन षब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं।

**श्रीमती षकुन्तला** (साल्हावास एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, आज यह जो सराहनीय प्रस्ताव श्री विज ने पेष किया उसकी मैं सराहना करती हूं और सदन का ध्यान इस प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहती हूं। वैसे तो बहुत से आपोजीषन के लोगों ने और कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर काफी विचार व्यकत किए हैं और सब नेइस प्रस्ताव पर जो बातें रखी हैं मैं उनकी तरफ नहीं जाती।

जो देष के अन्दर बड़े बड़े उद्योग हैं और स्टेट के अन्दर की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ तो षायद सरकार का ध्यान है ही लेकिन मैं उन छोटे कस्बे के अन्दर रोजी के साधन हो सकते हैं। आज स्टेट के अन्दर मजदूरों को जब भी उनकी मर्जी होती निकाल देते हैं। उनसे महीने में तीन–चार दिन काम लेते हैं और फिर उनकी छुट्टी कर देते हैं। परमानेंट आदमी जो हैं उनको भी इन्डस्ट्री के मालिक महीने में 3–4 दिन काम लेकर छोउ़ देते हैं और उनकी जगह उन लोगों को ले लेते हैं जो बड़े बड़े आदमियों की सिफारिष लेकर आते हैं। इन सब चीजों सेमजदूरों के अन्दर बड़ा असंतोश है। उपाध्यक्ष महोदया आज सरकार की जो नीति है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। एक तरफ तो जो ऊंचे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो नीचे हैं वे नीचे होते जा रहे हैं। इसलिए मैं जो नीचे का लबका है उनकी तरफ ध्यान दिलाती हूं। नारनौल एक छोटी जगह है। उसके अन्दर सक खटीक जाति रहती है वहां 250–300

घर इस खटीक जाति के हैं। वहां मैंने देखा कि उनकी औरतें अपने घरों में बैठकर औरतों के बालों को इकट्ठा करती हैं। उन बालों से बनावटी चोटियां बनाई जाती हैं जबकि बहुत दूर तक विदेषों में भी जाती हैं। अगर इन छोटे उद्योगों के लिए सरकार कुछ लोन रखे, कुछ ग्रान्ट रखे, या उन्हें फ्री ग्रान्ट दें, तो इस प्रकार से सरकार उनकी सहायता कर सकती है। दूसरी तरफ हमारे यहां चमड़े रंगने का जो काम होता है सरकार इस इन्डस्ट्री को बड़े पैमाने पर चलाये। अब जूते जो हैं वह बड़ी–बड़ी जगहों पर बनने लग गये हैं। इसलिए यह काम जो है छोटे धन्धों का नहीं रहा है। इसके लिए सरकार ऐसे कदम उठाये जिससे उनकी रोजी चलती रहे और उन्हें अपनी रोजी के लिए इधर उधर भागना न पड़े। सरकार उन लोगों को इतना लोन दे कि वह अपना उद्योग छोटे पैमाने पर अच्छी तरह चला सकें, जिसके अन्दर चमड़ा रंगने का काम चल सके और उनके अन्दर जूते आदि बनाने का काम भी चल सके ताकि वह लोग दूसरे लोगों के मोहताज न होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहती हूं और वह यह है कि जो खादी भण्डार का काम है वह भी एक बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और खादी बनाने वालों को जो कुछ सरकार देती है, वह हम अखबारों से पढ़ लेते हैं और वैसे आपको सभी आइटमज से भी पता चलता है कि सरकार कितनी तव्वजो देती है। जिस तरफ मैं रहती हूं वहां लौग घर के अन्दर खादी बनाने के लिए ताना बुनते हैं। लेकिन आजकल खद्दर की कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत कम है।

सारा–सारा दिन काम करने के बाद बड़ी मुष्किल से उन्हें दो या तीन रूपए मिलते हैं जोकि उनके परिवार के लिए बहुत कम हं। तो मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहूंगी कि यह जो छोटे धन्धे हैं, उसका जो खुद का अपना काम है, इसको इतना पैसा देना चाहिए ताकि वह सहूलियत से उस काम को चला सके और खद्दर बना सकें और खद्दर भण्डार तक पहुंचा सकें। अब मैं आपका ध्यान उन छोटे धन्धों की ओर दिलाना चाहती हूं जो औरतों या आदमी भी, अपने घरों के अन्दर बैठकर करते हैं। जैसे कुम्हार लोग हैं वह घड़े वगैरह, कसोरे वगैरह बनाते हैं, इन लोगों को खासतौर पर सरकार ने आज तक कोई सहूलियत नहीं दी और न ही इधर कभी ध्यान दिया है। इन लोगों को किसी तरह से कोई बढ़ावा दिया जाये। एक तरफ तो यह है कि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं, दूसरी तरफ सरकार विषेश ध्यान दे सकती है ताकि उनमें समानता लाई जाये। सरकार को समानता लाने के लिए उन्हें पैसा देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, षायद परसों की बात है कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने हाउस के अन्दर कहा था कि जिस किसी काम को सरकार करने लगती है उके लिए उसे मजदूर नहीं मिलते। सही मायनों में मैं बतलाऊं जिन गांवों मैं रहती हूं वहां लोग सारा दिन सड़कों पर मिट्टी डालकर अपनी रोजी कमाते हैं। वह अपनी रोजी कमाने के लिए कहीं भी काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मै। आपका ध्यान इधर दिलाना चाहूंगी कि खास तौर पर गांव के अन्दर ऐसी सहूलियतें दी जाएं कि लोग घर के अन्दर बैठकर काम कर सकें और वे अपने

परिवारेां को सम्भाल सकें। बड़ी इन्डस्ट्रीज के लिए तो आप इतना लोन देते हैं, उसी तरह छोटे धन्धों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहां इन्डस्ट्रीज होती हैं वहां पर मजदूरों की दुर्गति उतनी ही अधिक होती है। वह क्यों होती है किस लिए होती है, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि कम से कम मजदूरों के लिए जो बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें इस तरह सहूलियतें दी जायें कि वह टाइम पर आकर काम करना षुरू करें और टाईम पर जा सकें और उन्हें इतना पैा मिल सके कि वह, अपनी रोजी अच्छी तरह से कमा कर खा सकें। मैं इन्हीं षबदों के साथ अपना स्थान लेती हूं क्योंकि जो कांग्रेसी हैं उन्होंने भी इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। पहले भी एक षराब व दो का प्रस्ताव इस सदन में आया था उसको भी पिछले सैषन के अन्दर सब का समर्थन मिला था लेकिन समर्थन मिलने के बावजूद भी वह आज तक किसी भी जगह पर भी एक दिन के लिए भी षराब बन्द नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस प्रस्ताव को आप ठीक ढंग सक लागू करेंगे और सरकार इस ओर ध्यान देगी।

**श्री कंवर सिंह दहिया (रोहट) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे प्रदेष में जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए कुछ सुझाव आये हैं जिसमें सबसे पहले रिलीफ फरौम इन्कम टैक्स है और दूसरे सेल्स और एक्साईज टैकस के बारे में हैं। यह तो जो गवर्नमैंट को आदमनी है, इस पर ही पहले हमला किया

गया है। जो इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मेन फैक्टर था वह लेबर का था, इसको उन्होंने नहीं दिया। यह ठीक है कि रा–मैटीरियल भी देना चाहिए लेकिन काफी तफसील भी देनी चाहिए, पैसा भी देना चाहिए। लेकिन मजदून जोकि मैंने फैक्टर है, उसका कहीं भी जिकर नहीं आया कि मजदूर को क्या फैसिलिटीज देनी चाहिएं, उनके वेजिज कितने होने चाहिएं। उनकी कोई कालोनी भी बननी चाहिए या नहीं। अगर इन्डस्ट्रीज में काम करने के लिए मजदूर नहीं होंगे तो इन्डस्ट्री कहां से पनपेगी तो मैं इसके बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए एक ही जगह नहीं बल्कि जहां से जो रा–मैटीरियल आसानी से मिल सके, उस किस्म की इन्डस्ट्री वहां पर स्थापित करनी चाहिए। हर इलाके में हर सदस्य की मांग है कि मेरे इलाके में जितने भी कस्बे हैं, जहां कि दूसरी फसीलिटीज मुहैया हो सकें वहां इन्डस्ट्रीज लग गई हैं तो मेरे विचार में एक फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि दूसरे हरेक इलाके में भी हो जो दिल्ली से बहुत निकट हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज लगनी चाहिए। हमारा उद्देष्य सिर्फ किसी चीज की पैदावार की हो बढ़ाना नहीं है, उसकी कन्जम्प्सन को भी देखना है। दिल्ली देष की सबसे बड़ी मार्किट है। मेरे इलाके के जो गांव हैं दिल्ली के सबसे नजदीक हैं इसलिए आप वहां पर भी इन्डस्ट्रीज लगायें। वहां पर हर चीज मिल सकती है। रेलवे की वहां पर मेन लाईन है। मेरे ध्यान में इतना अच्छा वह षहर है कि हरियाणा में और नहीं हो सकता। ठीक दिल्ली के नजदीक के गांव में लगाने से यह फायदा होगा

कि जो इन्डस्ट्रीज कालोनी बनानी पड़ती है, उससे बच जायेंगे, क्योंकि आपपास में बड़े गांव हैं जहां ये कि लेबरर्ज आकार अपने घर वापिस जा सकते हैं। टैक्सिज का जहां तक ताल्लुक है अगर टैक्स गवर्नमैंट नहीं लगायेगी तो काम कैसे चलेगा। हमारा पिछड़ापन इसी ढंग से दूर हो सकता है। जैसे कि हमारे महिला सदस्य ने बताया, हमारे यहां जो इन्स्ट्रीज हैं, उनको पनपाया जाये और इन्डस्ट्रीज को सहायता दी जाए। (विघ्न)

**Deputy Speaker:** Order Please. The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

**6.30 P.M.**

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 20th February, 1970)